

v/; k; & 2  
**i pk; rka }kjk vkrfjd jktLo l xg.k**

छत्तीसगढ़ सरकार ने अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के **i pk; r vf/kfu; e 1993** एवं उसके अंतर्गत बने विनियमों के प्रावधानों को अंगीकृत किया था। इसमें वे प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका संबंध पंचायत राजस्व से है तथा जो नये राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के समय लागू थे।

**2.1.0 ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कर एवं गैर-कर %**

**2.1.1 भूमि अथवा भवनों अथवा दोनों पर कर :**

**mMhl kj m-iz , oamYkjkpy** को छोड़कर **Hkjr** के सभी राज्यों में पंचायत क्षेत्र में स्थित भवनों पर कर लगाने का अधिकार **xte i pk; rka** को दिया गया है। जहाँ **vkka ns'kj rkfyekMq vkl ke] gfj ; k.kk] fgekpyi ns'k** तथा **jktLFku** जैसे कतिपय राज्यों में यह कर केवल मकानों/भवनों तक ही सीमित है, वहीं अनेक अन्य राज्यों में इसका स्वरूप भवनों एवं भूमियों पर कर का है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न राज्यों में कर निर्धारण के भिन्न-भिन्न आधार जैसे पूँजीगत मूल्य, वार्षिक मूल्य, पूँजीगत मूल्य पर आधारित वार्षिक मूल्य, निर्मित क्षेत्र एवं वर्गीकृत निर्मित क्षेत्र, प्रचलित हैं। जहाँ तक कर की दरों का संबंध है, आम तौर पर राज्य सरकारें या तो इन्हें निरपेक्ष राशि के रूप में अथवा कर-आधार के आकार के प्रतिशत के रूप में निर्धारित करती हैं। कहीं-कहीं संबंधित पंचायत परिनियम अथवा राज्य सरकार न्यूनतम एवं अधिकतम दरों का निर्धारण करती हैं, जिनके बीच वास्तविक कर दर चयन करने का अधिकार **xte i pk; rka** को होता है। पंचायत परिनियमों अथवा राज्य सरकार के प्रशासकीय निर्देशों में ऐसे भवनों एवं भूमियों का विशिष्ट उल्लेख होता है, जो कर मुक्त होती हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (जिसे आगे 1993 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 77 (1) में प्रावधान है, कि "इस अधिनियम के प्रावधानों तथा ऐसी शर्तों एवं अपवादों के अध्याधीन रहते हुये, जिनका निर्धारण किया

जाये, प्रत्येक *xte ipk; r* एवं *tuin ipk; r* अनुसूची-I में दिये गये करों को अधिरोपित करेगी। इस अनुसूची में प्रावधान है कि “(अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार, *xte ipk; r*, *tuin ipk; r* अथवा *ftyk ipk; r* में निहित स्वामित्व वाले भवन एवं भूमि, तथा (ब) ऐसे भवन एवं भूमि अथवा उनके कुछ भाग, जिनका उपयोग पूर्णतः धार्मिक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये किया जाता है तथा जिनमें छात्रावास भी शामिल होंगे, को छोड़कर उन सभी भूमियों अथवा भवनों अथवा दोनों, पर सम्पत्ति कर लगायेगी, जिनका पूँजीगत मूल्य, भूमि के मूल्य को शामिल करते हुये, 6000 रुपये से अधिक हैं।”<sup>1</sup>

राज्य सरकार द्वारा 1996<sup>2</sup> में ही इस *\*l ifyk dj\** के प्रशासन हेतु कार्यकारी विनियमों के रूप में संदर्शिका जारी की गई थी। इन विनियमों के नियम 5 में प्रावधान है, कि “प्रत्येक *xte ipk; r* अधिनियम की अनुसूची-I अ के मद क्रमांक 1 एवं धारा 77 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुये तथा नियम 3 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये, भवन एवं भूमि के पूँजीगत मूल्य पर आधारित ऐसी दर पर भूमि अथवा भवनों अथवा दोनों, पर कर अधिरोपित करेगी, जिसे वह निश्चित करे, परन्तु यह दर प्रथम अनुसूची में उल्लेखित न्यूनतम से कम तथा अधिकतम से अधिक नहीं होगी।” इसके अतिरिक्त बाद के क्रम के नियम (नियम 6) में प्रावधान है कि *^dj dk Hkxrkul ml Hkou ds Lokeh dks djuk glxkl ftl ij dj vf/kjksir fd;k x;k ga^*

*1993 ds vf/kfu; e* में भूमि एवं भवनों पर कर की मात्रा न्यूनतम एवं अधिकतम दरों का उल्लेख किया गया है। इनका अवलोकन *l kj.kh Ø- 2-1* में किया जा सकता है।

अविभाजित मप्र. सरकार द्वारा जारी किये गये वैधानिक प्रावधानों एवं प्रशासकीय विनियमों में केवल कर की दरों का उल्लेख है। जैसा कि इन्हें अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है अतः वैधानिक रूप से कहा जा सकता है, कि वे वर्तमान में राज्य में लागू हैं।

<sup>1</sup> देखें, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1973 धारा 77, उप-धारा (i), तथा अनुसूची-1 का मद क्र-1

<sup>2</sup> देखें, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत, अनिवार्य कर एवं फीस (शर्तें एवं अपवाद), विनियम, 1996।

वर्तमान वैधानिक प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत वर्ष 1996 में जारी किये गये प्रशासनिक विनियमों के सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां आवश्यक हो जाती हैं :

- (1) यह ऐसा कर है, जिसे प्रत्येक ***xte ipk; r*** को अनिवार्य रूप से अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में लगाना होगा,
- (2) कर को भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों पर अधिरोपित किया जा सकता है, जिसका निहितार्थ है, कि कर के दो घटक हैं, यथा भवनों पर कर एवं भूमियों पर कर। 1996 में जारी प्रशासकीय विनियम तत्संबंधी वैधानिक प्रावधानों से मेल नहीं खाते। उदाहरण स्वरूप, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कर की दर संरचना केवल भवनों पर कर से संबंधित हैं। "भूमियों" पर लागू किये जाने वाले कर की दर के संबंध में वह मौन हैं। जहाँ कर दरों से संबंधित सारणी के शीर्षक में "भूमियों", "भवनों" शब्दों के बीच "एवं" शब्द का उपयोग किया गया है, वहीं उसके विवरण में केवल भवनों से संबंधित दरें दी गई हैं।
- (3) संदर्शिका/विनियमों में कर योग्य भवनों के पूँजीगत मूल्यों के निर्धारण की प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया में ***xte ipk; rks*** को किन-किन कारकों का ध्यान रखना चाहिये, को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ***xte ipk; rks*** द्वारा मनमाना निर्धारण हुआ।
- (4) ***\*lkouks ij dj\**** के लिये निर्धारित दर संरचना में सभी भवनों के लिये समान/विशिष्ट दरों का प्रावधान, बिना निर्धारित पूँजीगत मूल्यों के आकार का भेद किये किया गया है। उदाहरण के लिये, न्यूनतम कर दर पूँजीगत मूल्य के 0.20% तथा अधिकतम दर 0.30% निर्धारित की गई हैं। यद्यपि समझने की दृष्टि से ये समान दरें कर अधिकारियों एवं करदाताओं के लिये सरल हैं, ये दरें काफी कम हैं। उदाहरण के लिये, एक भवन जिसका निर्धारित पूँजीगत मूल्य रु. 5 लाख है, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत उसकी कर देयता न्यूनतम रु. 1000 तथा अधिकतम रु. 1500 प्रति वर्ष होगी।

वास्तव में नियमित कार्यक्रम के तौर पर एवं सामान्य अवस्थाओं में प्रत्येक राज्य सरकार को चाहिये, कि वह दशक में कम से कम एक बार उसके द्वारा **ipk; rks** के लिये निर्धारित कर दरों की समीक्षा एवं उनका पुनर्निर्धारण करें, **ipk; rks** को यही कार्यवाही पाँच वर्षों में एक बार करनी चाहिये।

- (5) **vf/kfu; e 1993** में अन्य प्रावधानों के साथ शैक्षणिक उपयोग में आने वाले भवनों एवं भूमियों (छात्रावास सहित) को कर-मुक्त किया गया है। इस संबंध में कहा जा सकता है, कि जहाँ शैक्षणिक उद्देश्य के लिये निजी भवन के उपयोग के लिये किसी किराये के भुगतान की बाध्यता नहीं है, वहाँ तो कर छूट का औचित्य है, परन्तु जहाँ निजी व्यक्तियों अथवा निगमित संस्थाओं के स्वामित्व वाले भवनों का किराये पर लेकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये उपयोग होता है तथा विद्यार्थियों से फीस वसूली जाती है, उन्हें सम्पत्ति कर से छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ समय से, अनेक निजी व्यक्ति एवं निगमित संस्थायें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 'कोचिंग' दे रहे हैं तथा अनेक नामों से उनसे भारी फीस वसूल रहे हैं। ऐसी कोचिंग कक्षाओं, शालाओं अथवा महाविद्यालयों को संपत्ति कर से छूट का लाभ नहीं मिलना चाहिये। अतएव शैक्षणिक उद्देश्यों में लाये जाने वाले सभी भवनों को समग्र रूप से कर मुक्ति के योग्य नहीं माना जा सकता। तथापि **idk'k dj** संबंधी विनियमों में आंशिक रूप से ही इस प्रकार की समग्र कर मुक्ति के निहितार्थ को स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ **xle ipk; r** अनिवार्य कर एवं फीस (शर्तें एवं छूटें) विनियम, 1996 के नियम 10(2) में प्रावधान है कि "पूर्णतः धार्मिक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों के उपयोग में आने वाले किसी भवन पर, जिसमें छात्रावास भी शामिल है तथा जिनसे भवन स्वामी तथा ट्रस्टी को कोई किराया प्राप्त नहीं होता, पर कोई प्रकाश कर (जो भवन के पूँजीगत मूल्य पर लगाया जाता है) नहीं लगाया जायेगा।" फिर भी, इस प्रावधान में यह भी उल्लेख होना चाहिये था, कि स्वामी अथवा ट्रस्टी को किराया न मिलने के साथ-साथ

संबंधित शैक्षणिक संस्था द्वारा छात्रों अथवा छात्रावासियों से कोई शुल्क न लिया जाता हो।

- (6) यद्यपि रु. 6000 *Is de ipthxr eW; okys Hkou dj Is ePr gS* अधिनियम में सभी कर-योग्य भवनों के लिये समान निर्धारण आधार (पूँजीगत मूल्य) तथा कर दरों का प्रावधान हैं। एक ऐसे राज्य में जिसमें 50% से कुछ अधिक *xte ipk; rla* आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें अधिकांश घर कच्चे हैं, दीवारें कच्ची हैं तथा छतों पर कबेलू हैं, इन मकानों का पूँजीगत मूल्य (उस भूमि को छोड़कर जिस पर वे बने हुये हैं) निर्धारित छूट की सीमा रु. 6000 से कम ही होगी। ऐसे क्षेत्रों में पूँजीगत मूल्य को लागू करना व्यर्थ हो जाता है तथा उसे निर्धारण का तार्किक आधार मानना उचित नहीं लगता। जहाँ तक भवनों पर कर का संबंध है, आदिवासी क्षेत्रों में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हैं। वर्तमान अधिनियम में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न कर आधार एवं कर दरों का प्रावधान नहीं है।
- (7) स्थानीय भू-संपत्ति करारोपण का एक उचित सिद्धांत यह है, कि भूमियों एवं भवनों के कर-योग्य मूल्य निर्धारण करने वाली संस्था उस स्थानीय सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिये, जिसके अधिकार क्षेत्र में कर-योग्य संपत्तियां स्थित हैं। जब तक निर्वाचित स्थानीय नेता तथा उनके अधीन कार्यरत स्टाफ उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित कर-योग्य संपत्तियों का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करते रहेंगे, इस बात की संभावना बनी रहेगी, कि अधिकांश प्रकरणों में राजनैतिक एवं व्यक्तिगत आधारों पर कर निर्धारण में वस्तुपरकता विकृत हो। यह विशेष तौर से *xte ipk; rla* जैसी राज्य की उन अत्यन्त छोटी स्थानीय संस्थाओं के मामलों में सही होगा, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नतम स्तर की संस्थाओं के निर्वाचित सरपंच किसी कर के अधिरोपण को प्रायः राजनैतिक आत्महत्या मानते हैं। राज्य में ग्रामीण करारोपण के क्षेत्र की वर्तमान अस्त-व्यस्त स्थिति इस बात का प्रमाण हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार जिसने भरोसे के आधार पर इस कर को **xte ipk; rks** को सौंपा तथा उनके द्वारा इसे लगाना अनिवार्य किया गया, अब तक इन पंचायतों के प्रति नरम रहीं हैं तथा निर्वाचित **xte ipk; rks** के द्वारा उचित रूप से इस कर के निर्धारण एवं वसूली को न करने की अनदेखी करती रही है। इसने **tuin ipk; rks** में, अनेक स्थानीय अधिकार क्षेत्रों में इस कर को लगाने एवं वसूलने के प्रति अनिच्छा नहीं तो कम से कम उदासीनता की अवांछित प्रवृत्ति को जन्म दिया। वास्तव में, यदि राज्य सरकार ने इस कर को **xte ipk; rks** को न सौंपा होता, तो स्वयं राज्य सरकार के द्वारा इस लोचशील राजस्व के स्रोत का दोहन लाभदायक तरीके से किया गया होता। इस प्रकार कर-योग्य संपत्तियों के समय-समय पर मूल्यांकन तथा उन पर कर के अधिरोपण एवं वसूली के प्रति निर्वाचित सरपंचों की मात्र उदासीनता से राज्य सरकार बढ़ते हुये ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व के एक उत्प्लावक स्रोत से वंचित हो गयी है। अतएव वर्तमान दुःखद स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, जिसमें **xte ipk; rks** के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय भू-संपत्ति के करारोपण को तर्कसंगत बनाना भी शामिल है।

### 2.1.2 निजी शौचालयों पर कर :

वर्तमान वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक **xte ipk; r** को “निजी शौचालयों पर कर लगाना आवश्यक है, जिसका भुगतान सम्बद्ध भवन के रहवासी अथवा उसके स्वामी के द्वारा किया जायेगा।”<sup>3</sup> अधिनियम 1993 के अंतर्गत जारी वैधानिक विनियमों में उल्लेख है, कि स्वामी/रहवासी पर **xte ipk; r** द्वारा निर्धारित दरों पर कर तभी अधिरोपित किया जा सकता है, जब **xte ipk; r** निजी शौचालयों की सफाई के लिये प्रावधान करती हैं।<sup>4</sup> इस प्रकार जहाँ वे ऐसे शौचालयों के लिये सफाई सेवा प्रदान करती हैं, वहाँ **xte ipk; rks** को निजी

<sup>3</sup> छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993, अनुसूची 1, मद 2

<sup>4</sup> देखें, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत, अनिवार्य कर एवं फीस (शर्तें एवं अपवाद) विनियम, 1996 नियम 7 से 9

शौचालयों पर कर लगाना अनिवार्य है तथा उन्हें कर की दर निश्चित करने के अधिकार दिये गये हैं, परन्तु इन अधिरोपण संबंधी विनियमों में कर लगाने के तरीके को स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस संबंध में *tgk; rd bl vfuok; Zvf/kjki .k dk l xak g\$ gea dj ,oa Qhl ea Hkn djuk gkskA l kekl; r; % ^Qhl ^ ds cnys ea HkqrkudYkkZ dks dN vak iR; {k ykkk gsrk g\$ tcf d dj ea dj l xg.kdYkkZ ,oa dj nkrk ds chp dkbZ ^tJ s dk rJ k^ ugha gsrkA* निजी शौचालयों पर कर की प्रकृति फीस अथवा सेवा—मूल्य की है, क्योंकि *xte ipk; r* द्वारा प्रदत्त सेवा का व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसके विपरीत जहाँ *xte ipk; r* द्वारा सामुदायिक शौचालयों अथवा दीवारों सहित खुली भूमि की व्यवस्था की जाती है, जिसका वहाँ के रहवासी निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था पर व्यय के लिये स्थानीय *xte ipk; r* अपने सभी रहवासियों पर एक 'सफाई कर' लगा सकती हैं। अनेक राज्यों में इस सफाई कर को कर—योग्य भूमियों एवं भवनों पर उनके स्वामियों/रहवासियों द्वारा देय, नगरीय निकाय सम्पत्ति कर का एक घटक बनाया गया है।

परिस्थितियों के अनुकूल तथा निजी शुष्क शौचालयों को हतोत्साहित करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार यह आवश्यक है, कि खुले शुष्क शौचालयों के खतरों के बारे में जन—जन को शिक्षित किया जाय तथा उन्हें कम लागत के स्वास्थ्यकर शौचालयों के निजी उपयोग के लिये प्रेरित किया जाय। *xte ipk; r* अपने—अपने क्षेत्राधिकार में अनेक केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का लाभ लेते हुए लोगों के द्वारा ऐसे कम लागत के स्वास्थ्यकर शौचालयों के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह उचित होगा, यदि *jkt; l jdkj* अथवा *xte ipk; r* सार्वजनिक अथवा निजी ऐसे भवनों को कर—मुक्त न करें, जहाँ *xte ipk; r* शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था करती है।

### 2.1.3 प्रकाश कर :

राज्य की *xte ipk; rka* के *vfuok; l djka* का एक अन्य घटक *~i d'k'k dj gSc'kr xte ipk; rka ds }kjk i d'k'k dh 0; oLFkk dh tkrh gka<sup>5</sup>* शौचालयों पर कर से भिन्न वैधानिक विनियमों में प्रावधान किया गया है, कि *xte ipk; r* जिसने प्रकाश की व्यवस्था की है, पंचायत क्षेत्र के सभी भवनों पर, भवनों के पूँजीगत मूल्य के अनुसार, स्वयं पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रकाश कर लगायेगी। विनियमों में आगे प्रावधान है, कि जैसा पूर्व में बताया गया है, यह कर उन भवनों पर नहीं लगेगा, जिनका उपयोग पूर्णतः धार्मिक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों (छात्रावासों को शामिल करते हुये) के लिये किया जाता है तथा जिनसे स्वामी अथवा ट्रस्टी को कोई किराया नहीं मिलता। पुनः भूमि एवं भवन पर कर से भिन्न यह कर भवन के रहवासी के द्वारा चुकाया जायेगा।

इस कर से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विश्लेषण के आधार पर कुछ मत प्रगट करना आवश्यक है। *i fkej* प्रकाश कर का उद्देश्य उन खर्चों की भरपायी करना है, जो मार्गों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने में होते हैं। इस कर की प्रकृति एक 'सेवा कर' की है। सभी निजी भवनों की भाँति, शैक्षणिक एवं धार्मिक उपयोग में आने वाले भवनों को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा वे मार्ग प्रकाश की सुविधा का भी उपयोग करती हैं। शैक्षणिक एवं धार्मिक उपयोग वाले विशिष्ट प्रकार के भवनों को तो सम्पत्ति कर अथवा भवन एवं भूमि पर कर में छूट देने का कुछ औचित्य हो सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार के भवन को, उसके उपयोग अथवा स्वामित्व को दरकिनारा करते हुये, 'सेवा कर' से छूट देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। *f}rh; ]* सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अनेक शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर सेवा करों को भूमि एवं भवनों पर कर के किसी निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। भवन स्वामी को ही प्रमुख कर एवं सेवा करों, जिन्हें उसके पूरक के रूप में लगाया जाता है, दोनों को

<sup>5</sup> छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993, अनुसूची-1, मद 3



चुकाना होता है। *jkT; dh oržku 0; oLFkk ds vuq kj Hkfe; ka , oa Hkouka ij dj Hkqrku dk nkf; Ro Lokeh ij gS rFkk izdk'k dj dk jgokl h iJA* इसका परिणाम टल सकने योग्य दोहरा प्रयास होता है, क्योंकि *xte ipk; r* को दो पृथक माँग पत्र जारी करने होते हैं— एक स्वामी को तथा दूसरा रहवासी को। ऐसा उन सभी प्रकरणों में करना होता है, जहाँ भवन का रहवासी स्वामी से भिन्न हो।

#### 2.1.4 व्यवसाय, व्यापार एवं धन्धों पर कर :

विधान में राज्य की *xte ipk; rka* के लिये घोषित एक अन्य कर “उन व्यक्तियों पर कर है, जो *xte ipk; r* क्षेत्र की सीमाओं में कोई पेशा, व्यापार अथवा धन्धा करते हैं।”<sup>6</sup>

राज्य सरकार ने इस कर के लिये विनियमों का निर्माण किया, जिनमें कर की उच्चतम एवं निम्नतम सीमायें निर्धारित की गई, जिनके मध्य *xte ipk; r* कर दर का निर्धारण करने में स्वतंत्र होंगी।<sup>7</sup> राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम कर दरें **I kj.kh Ø- 2-2** में दी गई हैं :-

इस मुकाम पर व्यावसायिक कर को नियन्त्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों तथा प्रशासकीय विनियमों के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करना आवश्यक है। *ifke]* जहाँ अधिनियम की अनुसूची-1 में उन सभी व्यक्तियों पर *xte ipk; rka* द्वारा कर लगाने का उल्लेख है, जो कोई व्यवसाय, व्यापार या धन्धा करते हैं, वहीं उसके विनियमों 1996 में इस श्रेणी में ‘अथवा कला’ का समावेश भी किया गया है। *f}rh; ]* इस कर के मामलों में समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। राज्य

<sup>6</sup> वही, मद 4

<sup>7</sup> देखें, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस (शर्तें एवं अपवाद) विनियम 1996 नियम 12, 13 तथा द्वितीय अनुसूची

सरकार व्यवसायों पर विशेषतयः वेतन भोगियों पर पृथक से कर लगाती है। राज्यों में सामान्य परिपाटी यह है, कि यह कर पूर्णतः या तो राज्य सरकार अथवा स्थानीय शासन इकाइयों के द्वारा लगाया जाता है। अत्यन्त कम मामलों में राज्य सरकार इस कर से प्राप्त राजस्व को स्थानीय शासन इकाइयों को पूर्णतः अथवा अंशतः हस्तांतरित करती हैं। कर के दोहरे अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न कतिपय समस्याओं को अनुभव करते हुये, मध्यप्रदेश सरकार ने फरवरी 2002 में संबंधित वैधानिक विनियमों में संशोधन किया था, जिसमें तत्संबंधी सुरक्षा का प्रावधान किया था। विनियमों के नियम 11 में एक उपबन्ध जोड़कर प्रावधान किया गया कि “बशर्ते यदि राज्य सरकार एवं ग्राम सभा (*xte ipk; r*) द्वारा अधिरोपित व्यवसायिक कर की कुल राशि रु. 2500 से अधिक है, तो ग्राम सभा (*xte ipk; r*) द्वारा लगाये कर की सीमा को अतिरिक्त राशि से कम कर दिया जायेगा, जिससे राज्य सरकार एवं ग्राम सभा (*xte ipk; r*), दोनों द्वारा लगाये गये कुल कर की राशि रुपये दो हजार पांच सौ से अधिक न हो।” परन्तु छत्तीसगढ़ में संबंधित विनियमों में इस प्रकार का संशोधन किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। *rrh; ]* वैधानिक विनियम विभिन्न कर-दाताओं के कर दायित्व के आकलन के तरीके के बारे में अत्यन्त अपूर्ण है एवं न ही उनमें कर के उद्देश्यों के लिये ‘व्यक्ति’ की परिभाषा दी गई है और न ही ‘स्रोत पर कर की कटौती’ संबंधी प्रावधान किये गये हैं। *prfk* अधिनियम एवं विनियम में इस बात के स्पष्ट संकेत नहीं है, कि क्या *xte ipk; r* को पूर्णतः या तो निर्धारित न्यूनतम अथवा अधिकतम दरें अपनायी होंगी अथवा वह विभिन्न कर योग्य आय स्तरों के लिये भिन्न-भिन्न कर दरें निश्चित कर सकती हैं, जैसे कुछ निश्चित आय के लिये न्यूनतम दरें तथा अन्य समूहों के लिये अधिकतम दरें। यदि राज्य सरकार की मंशा बाद के विकल्प की थी, तो दर संरचना को कुछ अधिक प्रगामी बनाना था। वास्तव में *vkla ns'k* जैसे राज्यों में, अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है, कि निम्न आय वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा देय कर की राशि, अधिक आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा देय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। अन्य शब्दों में

राज्य में किसी आय वर्ग के लिये निर्धारित न्यूनतम दरें, उसकी निकटतम पूर्ववर्ती आय वर्ग के लिये निर्धारित अधिकतम दरों से कम है। यदि कोई **xke ipk; r** अपने स्वविवेक से किन्हीं आय-वर्गों पर न्यूनतम दरों पर तथा किन्हीं अन्य पर अधिकतम दरों पर कर लगाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप संभव है, कि कम आय वर्ग का अपने निकटतम उत्तरावर्ती आय वर्ग की तुलना में अधिक कर दायित्व हो। यह हास्यास्पद नहीं तो कम से कम न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।

### 2.1.5 बाज़ार फीस :

**xke ipk; rks** के लिये जारी परिनियम की आदेशात्मक अधिरोपण सूची में 'फीस' के दो मदों का उल्लेख है।

**f}rh; ] xke ipk; r** को "उन व्यक्तियों पर फीस लगाना आवश्यक है, जो ऐसे बाज़ार या स्थान में विक्रय के लिये माल प्रदर्शित करते हैं, जो पंचायत का है अथवा उसके नियन्त्रणाधीन है। राज्य सरकार ने **xke ipk; r** द्वारा विनिर्दिष्ट बाज़ार अथवा स्थान अथवा भवन अथवा ढाँचों में विक्रय के लिये माल प्रदर्शित करने हेतु आधिपत्य के लिये लगाई जाने वाली फीस की राशि की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमायें निर्धारित की हैं। यह फीस व्यापारियों अथवा दुकानदारों पर ऐसे स्थानों पर आधिपत्य के लिये दैनिक अथवा मासिक आधार पर लगाई जायेगी। माल की बिक्री हेतु विनिर्दिष्ट स्थान के आधिपत्य के लिये राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक एक वर्गमीटर अथवा उसके किसी भाग के लिये न्यूनतम रु. 0.30 प्रतिदिन अथवा रु. 8 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 0.50 प्रतिदिन अथवा रु. 14 प्रतिमाह की दर निर्धारित की जायेगी। **xke ipk; rks** को स्वविवेकाधीन अधिकार दिये गये हैं, कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम एवं न्यूनतम सीमाओं के अधीन रहते हुये अपनी दरें निर्धारित कर सकें।

**f}rh; ] xke ipk; r** के द्वारा बाज़ार में बिक्री के लिये लाये गये माल पर न्यूनतम रु. 0.25 अथवा रु. 8 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 0.50 अथवा रु.

14 प्रतिमाह प्रति बास्केट अथवा सिरबोझ (थैला नहीं) की दर से फीस अवधारित की जायेगी। इस फीस की प्रकृति **xte ipk; r** के स्वामित्व अथवा उसके नियन्त्रणाधीन बाजार में बिक्री के लिये लाये गये माल पर **'idsk dj^** की हैं।

वर्तमान विधिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत निर्मित विनियमों में **xte ipk; rks** को उन व्यक्तियों पर बाजार फीस अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है, जो बिक्री के लिये अपने माल का प्रदर्शन ऐसे बाजार अथवा स्थान अथवा भवन/ढांचे में करते हैं, जिनका स्वामित्व अथवा नियन्त्रण निजी व्यक्तियों के पास है। तथापि यह कहा जा सकता है, कि यह उचित होगा, कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वस्तुओं की बिक्री का कार्य करने का इच्छुक है, उसे इसके लिये संबंधित **xte ipk; r** से व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व निर्धारित आवेदन फीस एवं लायसेंस फीस चुका कर अनुमति लेना आवश्यक कर दिया जाय। प्रत्येक वर्ष **xte ipk; r** के विवेकाधीन इस अनुमति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। निजी स्थानों के माल की बिक्री के लिये उपयोग करने वाले व्यक्तियों के द्वारा बिक्री के लिये अपने माल के प्रदर्शन के लिये **xte ipk; rks** द्वारा निर्धारित फीस दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त 'सिरबोझ' अथवा 'थैला' जैसे शब्दों को किसी वस्तुपरक एवं सरल रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसे स्थानीय राजस्व अधिकारी स्पष्ट रूप से समझ सकें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें अत्यन्त कम हैं।

वास्तव में, व्यापारियों/दुकानदारों के द्वारा स्थान के आधिपत्य के लिये, बिक्री के लिये प्रदर्शन हेतु रखी गई भिन्न-भिन्न वर्ग की वस्तुओं के लिये भिन्न दरें होनी चाहिये थीं। वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे खाद्यान्न/अनाज, सब्जी, किराना/फैन्सी वस्तुयें, विद्युत एवं यांत्रिकी वस्तुयें, ज्वैलरी एवं गहने, उर्वरक एवं पेन्ट्स तथा अन्य। प्रत्येक वर्ग के लिये भिन्न न्यूनतम दर निर्धारित की जा सकती है।

### 2.1.6 बाजार में बिक्रित पशुओं पर रजिस्ट्री फीस :

प्रत्येक **xte ipk; r** द्वारा उसके स्वामित्व अथवा नियन्त्रणाधीन बाजार अथवा स्थान में बिक्रित पशुओं की रजिस्ट्री पर फीस लगाई जायेगी। मान्य रूप से यह फीस पशु के क्रेता द्वारा देय होगी।

राज्य सरकार ने इस फीस की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित की हैं, जिनके अंतर्गत **xte ipk; r** अपनी दरें तय कर सकती है, जिसे **I kj.kh Ø- 2-3-** में दर्शाया गया है।

### 2.1.7 ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वैच्छिक अधिरोपण :

अधिनियम 1993 के द्वारा गैर-कर राजस्व के अनेक स्रोतों को **xte ipk; rka** को सौंपा गया है। इनकी दरें एवं इनके प्रशासन संबंधी कार्यकारी विनियम राज्य सरकार द्वारा 1996 में जारी किये गये। इन स्वैच्छिक अधिरोपणों में निम्नलिखित का समावेश है :

- (1) सवारी करने वाले, चलाने, खींचने या बोझा ढोने के उपयोग में आने वाले पशुओं, कुत्तों एवं सुअरों पर उनके स्वामी द्वारा देय कर। राज्य सरकार द्वारा इस कर की दरें सवारी करने वाले, चलाने अथवा खींचने व बोझा ढोने वाले पशुओं के लिये रु. 10 प्रतिवर्ष तथा प्रति कुत्ता अथवा सुअर रु. 2 प्रतिवर्ष।
- (2) **xte ipk; r** क्षेत्र में किराये पर चलने वाली बैलगाड़ियों, सायकलों तथा रिक्शों पर रु0 10 प्रति वाहन प्रतिवर्ष कर।
- (3) सराय, धर्मशाला, विश्रामगृह, वधगृह तथा कैंप स्थलों के उपयोग के लिये फीस। राज्य सरकार द्वारा इस कर के लिये निर्धारित फीस **I kj.kh Ø- 2-4** में दी गई है।

- (4) जहाँ **xte ipk; r** नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था करती हैं, वहाँ जल-दर। यह दर **xte ipk; r** द्वारा स्थापित नलों के माध्यम से जल प्रदाय प्रणाली से जल प्राप्त करने वाले प्रत्येक नल पर प्रतिमाह अधिरोपित किया जायेगा। संबंधित **xte ipk; r** पिछले वित्त वर्ष में उसके द्वारा जल-योजना के संचालन एवं संधारण पर होने वाले व्यय के अनुपात में प्रति नल दर का निर्धारण करेगी।
- (5) जहाँ **xte ipk; r** ने जल निकास व्यवस्था की है, वहाँ भवन के पूंजीगत मूल्य के 0.1% प्रतिवर्ष की दर से जल निकास शुल्क।
- (6) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत **xte ipk; r** क्षेत्र में मंडी क्षेत्र को छोड़कर क्रेता, एजेण्ट, कमीशन एजेण्ट, तुलाईकार अथवा नाप तौल करने का पेशा करने वाले व्यक्तियों पर कर। राज्य सरकार द्वारा इस कर के लिये निर्धारित दरें **I kj.kh Ø- 2.5** में दर्शित हैं।

यद्यपि, अधिनियम में इस अधिरोपण को 'कर' कहा गया है, विनियम इस संबंध में 'फीस' शब्द का उपयोग करते हैं।

- (7) मोटर वाहनों को छोड़कर **xte ipk; r** क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर रु. 5 प्रतिदिन की दर से शुल्क। यह अधिरोपण गैर-मोटर वाहनों पर प्रवेशकर की प्रकृति का हैं।
- (8) विशेष लोकोपयोगी कार्यों के लिये अस्थायी कर। विनियमों में प्रावधान है, कि यह कर उस प्रत्येक आवास/भवन पर लगेगा, जिन पर भवनों का सम्पत्ति कर लागू है। यह एक समान दर वाला कर है, क्योंकि इसका आधार है "अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि भागित भवनों की संख्या जिनका पूंजीगत मूल्य रु. 6000 से अधिक हैं।" इस प्रकार विधि निर्माताओं की मंशा किसी लोकोपयोगी विशेष कार्य की अनुमानित लागत के 50% का संग्रहण इस कर के माध्यम से करना प्रतीत होता है, जो एक बार किया जायेगा।
- (9) सार्वजनिक शौचालयों के सन्निर्माण अथवा अनुरक्षण के लिये तथा मल को हटाने एवं उसके व्ययन के लिये सामान्य स्वच्छता कर। इस विधिक प्रावधान

के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इसके दो अवयव हैं, यथा सार्वजनिक शौचालयों के सन्निर्माण अथवा अनुरक्षण (अथवा दोनों 'जैसा कि संबंधित विनियमों में आगे जोड़ा गया है') के लिये कर तथा मल को हटाने एवं उसके व्ययन के लिये एक सामान्य 'स्वच्छता' कर। तथापि इस कर संबंधी विनियम में रु. 5 प्रति आवास प्रतिमाह की एकल कर दर का प्रावधान है तथा कर को एक 'सामान्य सफाई कर' माना गया है, जिसके अंतर्गत **xte ipk; r** क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का सन्निर्माण एवं/अथवा अनुरक्षण और मल हटाने एवं उसका व्ययन करने, दोनों को शामिल किया गया है।

- (10) बैलगाड़ी एवं टांगा स्टैण्ड के लिये रु. 20 प्रतिवाहन, प्रतिवर्ष की शुल्क। इस कर के लिये, जो 'उपभोक्ता-मूल्य' की प्रकृति का है, विनियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, कि क्या यह कर **xte ipk; r** क्षेत्र के सभी वाहनों-बैलगाड़ियों एवं टाँगों के लिये है अथवा केवल उन वाहनों तक सीमित है, जो 'स्टैण्ड' की सुविधा का उपयोग करते हैं।
- (11) किसी सार्वजनिक स्थान के अस्थायी दखल अथवा उस पर अस्थायी ढाँचा अथवा प्रक्षेप के लिये रु. 2 प्रतिदिन, प्रतिवर्ग मीटर अथवा उसके भाग की दर से फीस।
- (12) **xte ipk; rka** के अधिकार क्षेत्र वाले चारागाहों में चरने वाले पशुओं के लिये रु. 20 प्रतिपशु, प्रतिवर्ष की दर से फीस।
- (13) अधिनियम की अनुसूची-II का अंतिम मद (क्रमांक 14) है, "अन्य कोई कर जिसे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की विधायिका को अधिरोपित करने का अधिकार है।" अपनी मंशा के अनुरूप, विधिनिर्माताओं को चाहिये था कि वे 'अधिकार हैं' के बाद इन शब्दों को और जोड़ते कि, "तथा जो विधि द्वारा **xte ipk; r** को सौंपा गया हो।" अन्यथा वर्तमान प्रावधान निरर्थक लगता है।

***xke ipk; rks*** के , ***SPNd vf/kjki .kks*** को नियन्त्रित करने वाले वर्तमान प्रशासकीय विनियमों में उन ***xke ipk; rks*** के लिये, जो किन्हीं या सभी ऐच्छिक करें अथवा शुल्क का दोहन करना चाहते हैं, संबंधित ***"tuin ipk; r"*** से "पूर्वानुमति" लेना एक आवश्यक शर्त है। ***tuin ipk; r*** को अधिकार है, कि वह अपने क्षेत्राधिकार की किसी ***xke ipk; r*** के प्रस्ताव पुनर्विचार के लिये लौटा दे अथवा उसका किसी संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के अनुमोदन कर दे। इसके अतिरिक्त किसी ***xke ipk; r*** के तत्संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन करते समय, संबंधित ***tuin ipk; r*** के लिये आवश्यक होगा, कि वह यह स्पष्ट करें, कि उसमें उल्लेखित कर अथवा फीस किस तिथि से प्रभावशील होगी।

## 2.2.0 जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को सौंपे गये कर एवं गैर-कर :

### 2.2.1 नाट्यशालाओं अथवा रंगमंचीय अभिनयों इत्यादि पर कर :

1993 के अधिनियम में प्रावधान है, कि प्रत्येक ***tuin ipk; r*** नाट्यशालाओं अथवा रंगमंचीय अभिनयों एवं अन्य सार्वजनिक मनोरंजन अभिनयों पर कर अधिरोपित करेगी। इस कर की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें तय करने तथा इसके प्रशासन के लिये कार्यकारी विनियम 1996 में ही जारी हो गये थे। तदनुसार, प्रत्येक ***tuin ipk; r*** को नाट्यशालाओं, रंगमंचीय अभिनयों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, प्रत्येक सिनेमा, ड्रामा, सर्कस, कार्नीवाल, शो, तमाशा, कुश्ती अथवा अन्य मनोरंजनकारी अभिनयों पर ऐसी दरों पर कर अधिरोपित करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम दरों से कम तथा अधिकतम दरों से अधिक न हों।

तथापि, विनियम में प्रावधान है, कि कर ऐसे मनोरंजन के प्रबंधक पर नहीं लगेगा, जिसके लिये (अ) कोई मूल्य नहीं लिया गया हो तथा (ब) जो भुगतान पर सामान्य जनता के लिये नहीं खुला हो। इसके अतिरिक्त कर योग्य अभिनय की किसी ऐसी श्रृंखला, जिसकी अवधि एक बार में एक माह से अधिक न हो, के मामलों में पूरी श्रृंखला के लिये कर के एक मुश्त लेने की अनुमति दी गई है। इस कर का भुगतान करयोग्य प्रदर्शन के प्रबन्धक के द्वारा प्रदर्शन से पूर्व करना होगा।



यह कर जो 'प्रदर्शन/शो' कर हैं, अनेक अन्य राज्यों में प्रचलित सामान्य मनोरंजनों पर कर से भिन्न है। राज्य में 'नाट्यशाला कर' की निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरें **1 kj.lh Ø- 2-6** में दी गई हैं।

### 2.2.2 विकास कर :

**tuin ipk; rka** को सौंपे गये ऐच्छिक करों में से एक है कृषि-भूमि पर 'विकास कर' जो करदाताओं द्वारा भू-राजस्व की भाँति देय होगा। **tuin ipk; r** द्वारा अधिरोपित कर की वसूली राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तथा कर राशि को संबंधित **tuin ipk; r** तथा उसके अधिकार क्षेत्र की **xle ipk; rka** को 50 : 50 के अनुपात में हस्तांतरित किया जायेगा।

राज्य सरकार ने इस कर के प्रबन्धन के लिये छत्तीसगढ़ **tuin ipk; r** (कृषि-भूमि पर विकास कर का अधिरोपण) विनियम, 1999 में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। विनियमों में विनिर्दिष्ट है कि (अ) कृषि-भूमि पर अधिरोपणीय विकास कर की दर 'भू-राजस्व अथवा भूमि के लगान के दस गुना से अधिक नहीं होगी; (ब) कर का प्रबन्धन राज्य सरकार का राजस्व विभाग करेगा तथा कर से प्राप्त राशि को संबंधित जिले की **ftyk ipk; r** राज निधि में जमा किया जायेगा; (स) इस कर से उदग्रहीत राशि को संबंधित **tuin ipk; r** एवं उसके अधिकार क्षेत्र की **xle ipk; rka** में 50:50 के अनुपात में बाँटा जायेगा। **xle ipk; rka** के भाग का आपसी बटवारा प्रत्येक **xle ipk; r** की जनसंख्या के आधार पर होगा।

राज्य की **tuin ipk; rka** को यह भी अधिकार दिया गया है, कि वे अपने स्वविवेक से उनके द्वारा दी गई किसी अनुमति अथवा लायसेंस के लिये या उनके स्वामित्व अथवा अनुरक्षणाधीन भूमि या अन्य सम्पत्तियों के दखल के लिये शुल्क निर्धारित कर सकेंगे।

### 2.2.3 भू राजस्व पर उपकर :

1993 का अधिनियम, **ftyk ipk; rka** को कृषि-भूमि के उपकर को ऐसी भूमि के लिये निर्धारित भू-राजस्व अथवा लगान के प्रत्येक रुपये पर स्वविवेक से 0.5 से

रु. 10 तक की वृद्धि करने का अधिकार देता है। इस उपकर को एक कर माना जा सकता है, क्योंकि **ftyk ipk; rka** को उसके अधिरोपण एवं उसकी दर के संबंध में उनके विवेकाधीन अधिकार दिये गये हैं। राज्य की **ftyk ipk; rka** को इसके अतिरिक्त करारोपण के माध्यम से राजस्व उदग्रहण के अन्य कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं।

#### 2.2.4 अन्य संबंधित विधिक प्रावधान :

राज्य की पंचायतों के तीनों स्तरों को प्रदत्त राजस्व उदग्रहण अधिकारों की रूपरेखा के पश्चात्, पंचायतों के आंतरिक राजस्व उदग्रहण के अधिकारों तथा तत्संबंधी राज्य सरकार के अधिकारों से संबंधित 1993 के अधिनियम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट करना उचित होगा।

- (1) **tuin ipk; r** की पूर्वानुमति, **xte ipk; r** तथा **ftyk ipk; r** की अनुमति से **tuin ipk; r** अनुसूची-II [देखें धारा 77(2)] में विनिर्दिष्ट करों को लगा सकेगी। तथापि अनुसूची-II में **ftyk ipk; r** को किसी कर अथवा फीस लगाने के अधिकार का उल्लेख नहीं है।
- (2) अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध अपने विवेकाधीन राजस्व उदग्रहण अधिकारों में किसी एक अथवा सभी अधिकारों का उपयोग करने के लिये **xte ipk; rka** को संबंधित **tuin ipk; rka** से पूर्वानुमति लेनी होगी।<sup>8</sup>
- (3) **xte ipk; rka** एवं **tuin ipk; rka** को अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट किसी फीस के उदग्रहण को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ठेके पर देने का अधिकार दिया गया है। इनमें स्वैच्छिक अधिरोपण जैसे बाजार फीस, बिक्रित पशुओं की रजिस्ट्री फीस, उनके स्वामित्व अथवा नियन्त्रणाधीन सम्पत्तियों से फीस, बैलगाड़ी एवं टॉगा स्टैण्ड फीस, **xte ipk; rka** के चारागाहों में पशुओं की चरायी से फीस, तथा **tuin ipk; r** द्वारा अधिरोपित कोई फीस शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से कार्यकारी विनियम बनाये थे।

<sup>8</sup> देखें, ग्राम पंचायत स्वैच्छिक कर एवं फीस (शर्तें उप अपवाद) विनियम 1996

- (4) अधिनियम के अंतर्गत जिलाधीश को किसी कर अथवा फीस एवं दण्ड अथवा अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसी देय राशि की बकाया को बकाया भू-राजस्व की भाँति वसूलने का अधिकार है (धारा 81)।
- (5) किसी कर, फीस, दर अथवा अन्य किसी देय राशि के भुगतान में चूक के लिये निर्धारित दण्ड रु. 500 अथवा इस चूक से संबंधित राशि का दस गुना जो भी अधिक हो निर्धारित है (धारा 82)।
- (6) राज्य सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त हैं :-
- (i) किसी शिकायत के मिलने पर अथवा अन्यथा तथा संबंधित पंचायत से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किसी कर को समाप्त करना अथवा विलम्बित करना अथवा उसकी दर कम करना, यदि सरकार को ऐसा लगता है, कि पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर का कर दाताओं पर करभार अत्यधिक है [धारा 83 (1)] ;
- (ii) किसी पारित प्रस्ताव जारी किये गये आदेश, स्वीकृत लायसेंस या अनुमति के क्रियान्वयन पर रोक लगाना, अथवा पंचायत के किसी भी कार्य को निषिद्ध करना, यदि उसके मत में संबंधित कार्य वैधानिक रूप से पुष्ट नहीं हैं, अथवा अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के बाहर हैं अथवा किसी विधान के विपरीत है, अथवा ऐसे किसी कार्य के क्रियान्वयन से हानि, विनष्टि, अथवा द्रव्य का दुरुपयोग, अथवा पंचायत में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति, अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य 'सुरक्षा' एवं सुविधा के लिये हानिकारक, अथवा जनता या उसके किसी वर्ग के लिए हानिकारक तथा उनमें आक्रोश उत्पन्न करने वाला अथवा शांति भंग करने वाला है। तथापि राज्य सरकार को संबंधित अधिकरण के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध संबंधित पंचायत को सुनने का उचित अवसर प्रदान करना होगा (धारा 85) ;
- (iii) स्वमेव अथवा अन्यथा तथा मामलें में पंचायत को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के बाद, किन्ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों, किसी सम्पत्ति

अथवा सम्पत्तियों को किसी कर के संपूर्ण अथवा आंशिक भुगतान से ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जिन्हें वह निर्दिष्ट करना चाहें, छूट देना [धारा 83 (2)];

- (iv) उपयुक्त गवेषणा के बाद यदि इन्हें यह प्रतीत होता है, कि कोई पंचायत लगातार अधिनियम 1993 अथवा लागू किसी अन्य विधान के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अपने निर्धारित कर्तव्यों के वहन में चूक की दोषी है, अथवा अपने अधिकारों के बाहर जाती है, अथवा दुरुपयोग करती है, अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकरण के आदेशों का पालन करने में असफल रहती है, तो पंचायत को भंग करना एवं उसका पुनर्गठन करना (धारा 87) तथा
- (v) पंचायत के किसी पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी अथवा सेवक के दुराचरण अथवा अपने कर्तव्यों की गंभीर अवहेलना के कारण पंचायत के धन अथवा अन्य संपत्ति को हुई किसी हानि, विनष्टि, अथवा दुरुपयोग हुआ हो अथवा वह उसमें एक पक्ष हो, तो उसकी प्रतिपूर्ति कराना (धारा 89)।

### 2.3.0 पंचायत वित्त में आंतरिक राजस्व संग्रहण की समीक्षा :

2.3.1 हमारे द्वारा अध्याय-1 में इंगित **xte ipk; rka** द्वारा हमें प्रस्तुत सांख्यिकीय समकों अथवा "संख्याओं के सम्पादन, संसाधित करने एवं सारणीयन में अनुभव की गई समस्याओं के प्रतिबंधों में रहते हुये, तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हमारी सीमाओं के अध्यक्षीन, हमने राज्य के पंचायत वित्त की समीक्षा करने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी हमारा विश्वास है, कि जो समंक हमें उपलब्ध कराये गये वे भले ही पूर्णतयः स्वीकार योग्य न हों, उनसे कम से कम छत्तीसगढ़ की पंचायतों की प्राप्तियों एवं व्यय की मोटी-मोटी स्थिति/रूपरेखा उपलब्ध हो सकेगी।

2.3.2 इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत समंक राज्य की **2728 xte ipk; rka** से संबंधित हैं तथा हमारे मत में निःसंदेह न्यादर्श का आकार पर्याप्त है, क्योंकि इसमें राज्य की कुल **xte ipk; rka** की लगभग **28%** पंचायतें शामिल है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, ये न्यादर्श **xte ipk; rka** 61 ब्लाक (कुल 146) एवं राज्य के **I Hkh**

16 *ftyka* मे फैली हुई हैं। काफी सीमा तक हमारे इस न्यादर्श को अन्य *xke ipk; rka* का प्रतिनिधि कहा जा सकता है।

2.3.3 *funf'kr xke ipk; rka* के तथाकथित संसाधित समंक, जो हमें संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा जिनकी उन्होंने अपने स्तर पर पूर्ण जाँच की, स्पष्ट करते हैं कि :

- (1) कुछ ब्लाकों में सभी नहीं, परन्तु अधिकांश *xke ipk; rka* ने भूमि एवं भवनों पर कर सहित अपने अधिकांश *^vfuok; 7 vf/kjki .ka* से 'निरंक' राजस्व बताया है ;
- (2) कुछ ब्लाक की कुछ *xke ipk; rka* ने अपने अनिवार्य अधिरोपणों में से कुछ में केवल 1999-2000 अथवा 2003-04 में ही अत्यल्प राजस्व वसूला है। बड़ी संख्या में उन *xke ipk; rka* ने जिन्होंने 1999-2000 में कर अधिरोपित किये थे, उन्होंने 2003-04 में अनिवार्य अधिरोपणों से निरंक राजस्व बताया। इसी प्रकार, जिन्होंने 2003-04 में कुछ राजस्व वसूला, वे 1999-2000 में निरंक वसूली वाले रहे ;
- (3) *xke ipk; r* करों के विभिन्न घटकों संबंधी बताये गये समकों से यह आशय नहीं है, कि वे ब्लाक की समस्त *xke ipk; rka* से संबंधित हैं। अन्य शब्दों में किसी ब्लाक की *xke ipk; rka* के राजस्व के किसी विशेष स्रोत से प्राप्त औसत राजस्व का यह अर्थ नहीं है, कि वह संबंधित ब्लाक की समस्त *xke ipk; rka* द्वारा उद्ग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। उस राशि का संबंध केवल उन *xke ipk; rka* से है, जिन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय स्रोतों से 'कुछ' राजस्व उद्ग्रहीत किया है। वास्तव में किसी ब्लाक अथवा जिले की औसत संख्यायें तभी प्रासंगिक होती हैं, जब विभिन्न स्थानों के बीच कर एवं गैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व में भिन्नतायें हों। ये संख्यायें उस स्थिति में कम प्रासंगिक होती हैं, जब किसी ब्लाक/जिले

की अधिकांश **xte ipk; rā** उन्हें उपलब्ध राजस्व स्रोतों में से बहुतों से कोई राजस्व उद्ग्रहीत नहीं करतीं, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे औसत, पंचायत राजस्व प्राप्तियों की 'उच्च' एवं 'न्यून' अथवा अधिक सुस्पष्ट अंतःस्थानीय भिन्नताओं को छुपा देते हैं ;

- (4) एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध, जिसका हम उल्लेख करना चाहेंगे, का संबंध **xte ipk; rā** द्वारा उनके द्वारा किये गये विभिन्न अधिरोपणों के लिये पंचायत अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित कार्यपालक विनियमों (यदि हों) में निर्धारित सीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुये कर दरों एवं कर निर्धारण के आधार के लिये अपनायी गई वास्तविक प्रक्रिया से है। इस मामले में हम स्वीकार करते हैं, कि न्यादर्शी **xte ipk; rā** में हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा। हमारा यही अनुभव व्यक्तिगत **xte ipk; rā** अथवा उनके ब्लाकवार समूहों की राजस्व संबंधी \*ekx] ol wjh , oa 'k'k\* संबंधी समकों के बारे में है।

2-3-4 फिर भी, **tc jkT; ds l a/kr iz'kl dh; foHkx }kjk mYkjkf; Ro u yus ds ifjiā; ea jkT; foYk vk; ks t' s jkT; &Lrjh; l aFk dks Lo; a gh jkT; dh gtkjā xte ipk; rā l s vR; Ur l hfer l e; kof?k ea l eakā ds , d=hdj.k] l a k/ku , oa l kj.kh; u ds dfBu , oa l e; l k/; dk; l dks ysk iMk gkā rc dN l hek rd ^vkā r^ l eakā ij Hkjkā k djus l s ughācpk tk l drkA**

2.3.5 अब हम **xte ipk; rā** के **vkrfjd jktLo l xg.k** की स्थिति का संक्षिप्त विवरण एवं उनके समग्र वित्त में उसकी भूमिका प्रस्तुत करेंगे। हम **xte ipk; rā** के **vfuo; l vf/kjā .kā** से प्रारम्भ करेंगे।

- (1) **l kj.kh Ø- 2-7 , oa 2-8** में वर्ष 1999—2000 एवं 2003—04 में जिले—वार, **U; kn'kz xte ipk; rā** के द्वारा उनके **vfuo; l , oa**

, *SPNd vf/kjksi .kka rFkk vU; xj&dj l karka l s iklr jktLo* का विवरण दिया गया है। सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि—

- I. निरपेक्ष रूप में *funf'kr xke ipk; rka* द्वारा संग्रहित सम्मिलित 'स्वयं (अथवा आंतरिक) के साधनों की राशि 1999—2000 के रु 3.64 करोड़ से बढ़कर 2003—04 में रु. 5.48 करोड़ हो गई, जो स्पष्टतः तीन वर्ष की अवधि में 51% की महत्वपूर्ण वृद्धि है ;
- II. किसी एक *funf'kr xke ipk; r* का 'स्वयं के स्रोतों' आंतरिक राजस्व संग्रहण (आ.रा.सं.) से प्राप्त राजस्व वर्ष 1999—2000 में रु. 4058 (कांकेर) एवं रु. 21223 (रायपुर) के मध्य रहा। इसी प्रकार, वर्ष 2003—04 के संबंधित आँकड़ों के अनुसार यह औसत राजस्व रु. 2387 (कोरिया) तथा रु. 36866 (बिलासपुर) के मध्य रहा। तथापि राज्य की *funf'kr xke ipk; r* का औसत आ.रा.सं. 1999—2000 में रु. 13351 तथा 2003—04 में रु. 20106 रहा। जिले जिनमें 1999—2000 में *funf'kr* पंचायत का औसत आं.रा.सं रु. 13351 से अधिक रहा वे हैं : बिलासपुर (रु. 14486), धमतरी (रु. 17659), दुर्ग (रु. 20317), रायपुर (रु. 21223) एवं राजनांदगांव (रु. 14608)। इसी प्रकार वर्ष 2003—04 में जिन जिलों का प्रति *xke ipk; r* आ.रा.सं. औसत, राज्य के औसत (रु. 20106) से अधिक था, वे हैं : बिलासपुर (रु. 36866), धमतरी (रु. 20568), दुर्ग (रु. 25984), जशपुर (रु. 25377), रायपुर (रु. 25718), राजनांदगांव (रु. 23515) एवं सरगुजा (रु. 27357)।
- III. *I kj .kh Ø- 2-7 , oa2-8* में *funf'kr xke ipk; rka* के व्यक्तिगत करों एवं फीस के कुल स्वयं के साधनों में प्रतिशत योगदान की *vr% ftyk flldurk; a* देखी जा सकती हैं। 1993 के अधिनियम की अनुसूची-1 में दिये गये चार करों के 2728 *funf'kr xke ipk; rka*

के कुल स्वयं के राजस्व में योगदान को *1 kj.kh Ø- 2-9* में देखा जा सकता है। सारणी से स्पष्ट होता है, कि तीन वर्ष की अल्प समयावधि में *funf'k̄r xte ipk; rka* में चार अनिवार्य करों के राजस्व का अनुपात कुल आ.रा.सं. में काफी घटने की प्रवृत्ति रही है। मात्रात्मक रूप में तीन वर्षों में चार अनिवार्य करों का राज्य की *funf'k̄r xte ipk; rka* के कुल आ.रा.सं. में प्रतिशत योगदान 1999–2000 के 9 से काफी कम होकर 2003–04 में 6.62% रह गया। निरपेक्ष रूप में राज्य के इन चार करों का प्रति *xte ipk; r* औसत 1999–2000 में मात्र रु. 1200 तथा 2003–04 में रु. 1332 अथवा केवल रु. 100 से 110 प्रतिमाह रहा।

- IV. सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख *'Hk̄ie; ka , oa Hkouka ij dj^* का *funf'k̄r xte ipk; rka* के आ.रा.सं. में अंश 1999–2000 में 0.29% (सरगुजा) एवं लगभग 27% (रायगढ़) के बीच तथा 2003–04 में 0.12% (सरगुजा) एवं 18.80% (रायगढ़) के बीच रहा। अन्य शब्दों में समीक्षाधीन अवधि में जिलों में इस कर राजस्व के न्यूनतम एवं अधिकतम स्तरों में भी काफी कमी हुई *¼ kj.kh Ø- 2-8½* इसके अतिरिक्त *funf'k̄r xte ipk; rka* का जिला औसत वर्ष 1999–2000 में 9 जिलों में 3.76% के राज्य औसत के कम था, जबकि राज्य में 2003–04 में 3.37% के राज्य औसत से कम औसत वाले जिलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई।
- V. *futh 'k̄pky; ka ij dj* के संबंध में वर्ष 1999–2000 में राज्य के 16 जिलों में से 8 में इस कर से प्राप्त राजस्व 'निरंक' बताया गया है, ऐसे जिलों की संख्या 2003–04 में बढ़कर 10 हो गई। जिन जिलों की *funf'k̄r xte ipk; rka* ने इस कर से प्राप्त कुछ राजस्व बताया भी उनमें *funf'k̄r xte ipk; rka* के कुल आ.रा.सं. में इस कर का अंशदान 1999–2000 एवं 2003–04 दोनों वर्षों में 1% से कम रहा। संपूर्ण राज्य के लिये *funf'k̄r xte ipk; rka* को



इस कर से प्राप्त औसत राजस्व वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में उनके कुल साधनों का मात्र क्रमशः 0.16 एवं 0.20% था।

VI. जहाँ तक *funf'kīr xte ipk; rka* द्वारा *izk'k dj* से उद्ग्रहीत राजस्व का संबंध है, इस कर से प्राप्त राजस्व का राज्य औसत इन *ipk; rka* के औसत कुल आ.रा.सं. के अनुपात के रूप में 1999–2000 के 3.60% से घटकर 2003–04 में 1.84% रह गया। इसके अतिरिक्त *funf'kīr xte ipk; rka* को इस कर से प्राप्त औसत राजस्व 1999–2000 में 8 जिलों में 3.60% के राज्य औसत से कम था तथा 2 अन्य जिलों में 'निरंक' था। वर्ष 2003–04 में इस कर से प्राप्त जिला औसत राजस्व 7 जिलों में 1.84% के राज्य औसत से कम था तथा 2 अन्य जिलों ने इस स्रोत से 'निरंक' राजस्व बताया।

VII. जहाँ तक *funf'kīr xte ipk; r* को *0; ol k; ] 0; kikj dyk , oa /k'kka ij dj* से प्राप्त औसत राजस्व का संबंध है, समीक्षाधीन 2 वर्षों में 2 जिलों ने इस कर के राजस्व को 'निरंक' बताया। *funf'kīr xte ipk; rka* के कुल आ.रा.सं. में इस कर के योगदान के घटने की प्रवृत्ति रही तथा राज्य में यह 1999–2000 में 1.48 से कम होकर 2003–04 में 1.21% रह गया। राज्य में वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में ऐसे जिलों की संख्या जिनका औसत *funf'kīr xte ipk; rka* के औसत आ.रा.सं. से कम था क्रमशः 5 एवं 6 थे।

VIII. व्यक्तिगत करों में किसी भी एक कर की तुलना में 1993 के अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध राजस्व के दो अन्य स्रोतों ने राज्य की *funf'kīr xte ipk; rka* के आ.रा.सं. में कहीं अधिक योगदान किया है। उदाहरण के तौर पर जहाँ वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में, 'पशु रजिस्ट्री फीस' ने स्थानीय वित्त को उनके स्वयं के साधनों के क्रमशः 7.36% एवं 5.36% का योगदान किया, वहीं 'बाजार

फीस' का संबंधित योगदान समीक्षाधीन 2 वर्ष की अवधि में 23.49% एवं 22.72% था। अन्य शब्दों में **funf'kīr xte ipk; rka** के अनिवार्य अधिरोपण संबंधी उपलब्ध समंक दर्शाते हैं, कि राज्य सरकार के सबसे निचले **xteh.k LFkkuh; i'kkl u** के स्तरों पर कर की तुलना में फीस से **xte ipk; rka** को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। यथा, राज्य की **funf'kīr xte ipk; rka** के कुल आ.रा.सं. में अनिवार्य अधिरोपणों (कर एवं फीस) से प्राप्त राजस्व का वर्ष 1999-2000 में सम्मिलित अंशदान लगभग 40% तथा 2003-04 में 35% था, जो संदर्भित अवधि में कुल आ.रा.सं. से इन अधिरोपणों के अंशदान में काफी गिरावट का द्योतक है।

IX. **funf'kīr xte ipk; rka** को उनके **pkj vfuok; l djka** से प्राप्त औसत राजस्व के ब्लाक-वार उपलब्ध समकों की सहायता से अब हम इन पंचायतों के निष्पादन की व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व हम यह उल्लेख करने के लिये बाध्य हैं, कि इस क्षेत्र में **xte ipk; rka** का निष्पादन एक अत्यन्त दयनीय स्थिति प्रस्तुत करता है। **¼ kj.kh Ø- 2-10½** में ऐसी **funf'kīr xte ipk; rka** की संख्या देखी जा सकती है, जिन्होंने इन चार अनिवार्य अधिरोपणों को नहीं लगाया है।

X. **l kj.kh Ø- 2-10** की संख्याओं के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है, कि 1999-2000 एवं 2003-04 के बीच उन **xte ipk; rka** का प्रतिशत बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, जो सभी चारों अनिवार्य करों के अधिरोपण के मामलों में गम्भीर अवहेलना अथवा चूक को दोषी हैं। वास्तव में हमारा विश्वास है, कि सही स्थिति और अधिक चौकाने वाली होगी, क्योंकि ब्लाक-वार समंक जिनका हमने संसाधन एवं सारणीयन किया, वह किसी ब्लाक में स्थित सभी **funf'kīr xte**

***ipk; rka*** का केवल सम्मिलित राजस्व है, बिना इस बात की चिन्ता किये कि वास्तव में कितनी ***xte ipk; rka*** ने व्यक्तिशः इन करों का अधिरोपण किया। यह तथ्य कि ब्लाकों की बड़ी संख्या में ***funf'kr xte ipk; r*** का औसत राजस्व अत्यन्त कम है, हमारी इस मान्यता को और पुष्ट करता है, कि ***xte ipk; r*** करों से प्राप्त राजस्व संबंधी समंक प्रत्येक ब्लाक की केवल कुछ ही ***funf'kr xte ipk; rka*** से संबंधित है। संबंधित अनेक अधिकारियों के साथ हुई हमारी अनौपचारिक चर्चाओं ने भी हमारी मान्यता को सहारा दिया है। अतएव हमारा यह दृढ़ मत है, कि स्वयं हमारे न्यादर्श में चूक करने वाली ***xte ipk; rka*** की संख्या सारणी में दी गई संख्या से काफी अधिक होगी। परिमित आकार में हम ***funf'kr xte ipk; rka*** की गम्भीर चूक का प्रतिशत भूमियों एवं भवनों पर कर के मामलों में 40%, प्रकाश कर में 50%, निजी शौचालयों पर कर में 90% तथा व्यवसाय, व्यापार, कला एवं धन्धों पर कर के मामलों में 50% रखना उपयुक्त समझते हैं।

- XI. अब हम ***funf'kr xte ipk; rka*** का उनके द्वारा चार अनिवार्य करों में से प्रत्येक से संग्रहीत औसत राजस्व के अनुसार, ब्लाक-वार वितरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, हमारे द्वारा एकत्रित समंक, जानकारी प्रदाता ***61 Cykdk*** में से प्रत्येक में प्रति न्यादर्श ***xte ipk; r*** इन करों की औसत आय दर्शाते हैं। यह भी पूर्व में बताया गया है, कि ***funf'kr xte ipk; rka*** की ब्लाक-वार जानकारी में उन पंचायतों से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित होती है, जो कर नहीं लगाते। यह भी कि न्यादर्श में शामिल कुछ ***xte ipk; r*** राज्य के आदिवासी ब्लाकों में स्थित हैं। अतएव, किसी

ब्लाक में 'प्रति न्यादर्श *xte ipk; r* औसत राजस्व' को सतर्कता से देखना होगा।

XII. *I kj.kh Ø- 2-11 Is 2-22* तक में *funf'kr xte ipk; rka* इन चार करों में प्रत्येक से होने वाली औसत राजस्व आय के अनुसार वितरण को देखा जा सकता है। इन सारणियों के अवलोकन से *Hkfe , oa Hkouka* पर कर के संबंध में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती है :

- (i) ऐसी *funf'kr xte ipk; rka* की संख्या जिन्होंने *Hkfe , oa Hkouka ij dj* नहीं लगाया है, 1999-2000 के 419 से बढ़कर 2003-04 में 537 हो गई, जो 28% की वृद्धि है। वर्ष 2003-04 में यह संख्या राज्य में कुल *funf'kr xte ipk; rka* की संख्या का 1/5 थी। *I kj.kh Ø- 2-11* में यह भी अवलोकनीय है, कि समीक्षाधीन दोनों वर्षों में अनेक ब्लाकों में सभी *funf'kr xte ipk; rka* इस कर के अधिरोपण एवं वसूली न करने की लगातार दोषी रही हैं; खास तौर से वर्ष 2003-04 में, 12 जिलों के 16 ब्लाकों की सभी *funf'kr xte ipk; rka* में ऐसा हुआ है।
- (ii) जहाँ तक शेष *funf'kr xte ipk; rka* का संबंध है, जिनकी संख्या 1999-2000 में 2309 तथा 2003-04 में 2191 थी तथा जिनके समकों का संकलन हमारे द्वारा किया गया है, *I kj.kh Ø- 2-12 , oa 2-13* में इन *funf'kr xte ipk; rka* का उन्हें इस कर से प्राप्त वार्षिक औसत राजस्व के स्तर के अनुसार वितरण दिया गया है। यह अवलोकनीय है, कि *funf'kr xte ipk; rka* की 36% पंचायतें, जिन्होंने 1999-2000 में, इस कर से कुछ राजस्व आय होना बताया,

उनका वार्षिक औसत राजस्व रु. 300 से कम था। तथापि वर्ष 2003-04 में ऐसी **xte ipk; rka** का प्रतिशत बढ़कर 41 हो गया। **¼ kj.kh Ø 2-13½** इसके अतिरिक्त ऐसी **funf'kr xte ipk; rka** जिन्हें इस कर से रु. 600 से अधिक वार्षिक औसत राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, उनकी संख्या कुल संख्या की 50% से अधिक थी; इनमें वे पंचायतें शामिल नहीं हैं, जिन्होंने इस कर का अधिरोपण/वसूली नहीं की। अन्य प्रकार से देखने पर ज्ञात होता है, कि वर्ष 1999-2000 एवं 2003-04 में, राज्य की 2728 **funf'kr xte ipk; rka** की क्रमशः 64 एवं 61% **ipk; rka** ने भूमि एवं भवनों पर कर या तो बिल्कुल ही अधिरोपित/वसूल नहीं किया अथवा उससे रु. 600 (या रु. 50 प्रतिमाह) से अधिक का वार्षिक औसत राजस्व प्राप्त नहीं किया। **¼ kj.kh Ø- 2-12 , oa 2-13½** स्थिति वास्तव में अत्यन्त चेतावनी परक है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में **ipk; rka** के द्वारा भूमि एवं भवनों पर कर जो विश्वभर में मान्य प्रमुख स्थानीय कर है, का अनिवार्य रूप से पूर्णतया एवं उचित तरीके से दोहन किया जाय, तत्काल राज्य सरकार के हस्तक्षेप की माँग करती है।

XIII. **futh 'kpk; ka ij dj** के संबंध में **¼ kj.kh Ø- 2-14 I s 2-16** दर्शाती है कि -

- (i) समीक्षाधीन दो वर्षों 1999-2000 एवं 2003-04 में इस कर का अधिरोपण/वसूली क्रमशः 2098 एवं 2189 **funf'kr xte ipk; rka** जो कुल संख्या का क्रमशः 77 एवं 80% हैं, के द्वारा नहीं की गई। अन्य शब्दों में इस अनिवार्य कर के

अधिरोपण/वसूली के मामलों में चूक का भार 2003-04 में, 1999-2000 की तुलना में, 3% अधिक हो गया।

(ii) **funf'kr xte ipk; rka** में से जिन पंचायतों ने इस कर से कुछ न कुछ राजस्व प्राप्त होना बताया (1999-2000 में 630 एवं 2003-04 में 539), उनमें सर्वाधिक **xte ipk; rka** को इस कर से रु. 100 से अधिक औसत वार्षिक राजस्व नहीं मिला तथा इनकी संख्या कुल ऐसी पंचायतों की संख्या का क्रमशः 90% एवं 83% थी। इसके अतिरिक्त राज्य की कुल **funf'kr xte ipk; rka** (2728) में इन पंचायतों की संख्या, जिन्हें रु. 100 से अधिक औसत वार्षिक राजस्व नहीं मिला, वर्ष 1999-2000 एवं 2003-04 में, क्रमशः कुल का 21% एवं 16% थी।

(iii) ऐसी **funf'kr xte ipk; rka** की कुल संख्या जिन्होंने 'निरंक' अथवा रु. 100 से अधिक वार्षिक औसत राजस्व नहीं मिलना बताया, उनकी कुल संख्या का 98% एवं 97% थी। **¼ kj.kh Ø-2-15 , oa 2-16½** समकों का निहितार्थ है, कि राज्य की कुल निदर्शित **xte ipk; rka** में से केवल 2% से 3% ने ही निजी शौचालयों पर कर से रु. 100 से अधिक के औसत वार्षिक राजस्व का होना बताया।

XIV. **izk'k dj ds l æk eþ l kj.kh Ø-2-17 l s 2-19** स्पष्ट करती हैं कि -

(i) वर्ष 1999-2000 में राज्य की कुल **funf'kr xte ipk; rka** में से 27% ने इस कर से प्राप्त राजस्व को 'निरंक' बताया। वर्ष 2003-04 में यह प्रतिशत बढ़कर 33% हो गया। इसका

निहितार्थ है कि 1999–2000 की स्थिति की तुलना में वर्ष 2003–04 में ऐसी 'निरंक' राजस्व वाली **xte ipk; rka** की संख्या में 20% की वृद्धि हुई।

- (ii) शेष **funf'kr xte ipk; rks** में से जिन्होंने प्रकाश कर से कुछ राजस्व प्राप्त होना बताया 32% ने समीक्षाधीन दोनों वर्षों में रु. 200 (अथवा रु.17 प्रति माह) से अधिक का औसत वार्षिक राजस्व उद्ग्रहीत नहीं किया। इसी प्रकार ऐसी **xte ipk; rka** जिन्होंने वार्षिक औसत राजस्व के रूप में रु 500 तक प्राप्त किये (अथवा रु. 42 प्रतिमाह), का कुल ऐसी पंचायतों में प्रतिशत 1999–2000 एवं 2003–04 में क्रमशः 54% एवं 56% था।
- (iii) ऐसी **funf'kr xte ipk; rj** जिन्होंने या तो प्रकाश कर के अधिरोपण/वसूली में पूर्ण चूक की अथवा रु. 200 से अधिक वार्षिक औसत राजस्व प्राप्त नहीं किया, राज्य की कुल **funf'kr xte ipk; rka** में वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में सम्मिलित प्रतिशत क्रमशः 50 एवं 54 था।

XV. राज्य की **xte ipk; rka** के एक अन्य अनिवार्य कर जिसकी विशुद्ध छोटे आकार की ग्रामीण बसाहटों की तुलना में शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अधिक राजस्व क्षमता है यथा **0; ol k; ] 0; ki kj] dyk , oa /ku/ka ij dj** की स्थिति स्पष्ट करती हैं कि –

- (i) वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में राज्य की क्रमशः 31% एवं 34% **funf'kr xte ipk; rka** ने इस कर का अधिरोपण एवं वसूली नहीं की। अन्य शब्दों में जहाँ तक इस कर के अधिरोपण का प्रश्न है समीक्षाधीन 2 वर्षों में दोषी **xte ipk; rka** की संख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है।

- (ii) शेष **funf'kr xte ipk; rka** में, जिन्होंने इस कर से कुछ राजस्व प्राप्त होना दिखाया है, उनका ब्लाक-वार वितरण बताता है कि 1999-2000 एवं 2003-04 में इन **xte ipk; rka** के क्रमशः 48% एवं 41% था, इस कर का वार्षिक औसत राजस्व रु. 200 (अथवा रु. 17 प्रतिमाह) से अधिक नहीं रहा। इसके विपरीत ऐसी **xte ipk; rka** जिन्होंने रु. 500 से अधिक औसत वार्षिक राजस्व (अथवा रु. 42 प्रतिमाह) का उद्ग्रहण नहीं किया, उनकी संख्या कुल ऐसी **funf'kr xte ipk; rka** में काफी अधिक संदर्भित 2 वर्षों में क्रमशः 79% एवं 75% रही।
- (iii) ऐसी **funf'kr xte ipk; rka** जिन्होंने या तो 'निरंक' राजस्व बताया अथवा रु. 200 से अधिक वार्षिक औसत राजस्व से अधिक उद्ग्रहीत नहीं किया, की सम्मिलित संख्या 1999-2000 एवं 2003-04 में राज्य की कुल **funf'kr xte ipk; rka** की क्रमशः 64% एवं 61% थी। इन 2 वर्षों में ही ये प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 85 एवं 83 हो जाती हैं, यदि हम ऐसी सभी **funf'kr xte ipk; rka** पर विचार करें, जिनका इस कर से राजस्व या तो 'निरंक' था अथवा रु. 500 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं था।

XVI. जहाँ तक , **spNd vf/kjsi .kka** जिनका उल्लेख 1993 के अधिनियम की अनुसूची - II में किया गया है, के राजस्व का प्रश्न है, हम स्पष्ट करना चाहेंगे, कि **funf'kr xte ipk; rka** ने जहाँ अपने अनिवार्य करों के घटकों से संबंधित समंक उपलब्ध कराये हैं, वहीं उनमें से अधिकांश **xte ipk; rka** ने अपनी , **spNd jktLo ikflr; k& dj , oa xj&dj** दोनों मिलाकर - के बारे में केवल



सम्मिलित राशि की जानकारी ही दी है। इस कारण हमें **funf'kr xte ipk; rka** द्वारा उद्ग्रहीत आंतरिक राजस्व को सही-सही कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व में विभाजित करने में कठिनाई हुई। उपलब्ध समकों से स्पष्ट होता है कि :-

- (i) **funf'kr xte ipk; rka** के कुल स्वयं के राजस्व में 1993 के अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध ऐच्छिक अधिरोपण से प्राप्त वार्षिक औसत राजस्व के अंशभाग में भी संदर्भित अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति रही। **funf'kr xte ipk; rka** के स्वयं के राजस्व में इन अधिरोपणों का अंशभाग 1999-2000 के 19% से कम होकर 2003-04 में 15% रह गया।
- (ii) 1993 के अधिनियम की अनुसूची-I एवं II में सूचीबद्ध अधिरोपणों से इतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व का अंशभाग आश्चर्यजनक रूप से 1999-2000 एवं 2003-04 में क्रमशः 41% एवं 50% रहा। इन राजस्वों में अनेक विविध राजस्व जैसे- बैंकों से प्राप्त ब्याज, मछली पालन क्षेत्रों से प्राप्त किराया, वृक्षों के अस्थायी उपयोग का शुल्क, दण्ड एवं जुर्माना, लायसेंस फीस, पंचायत परिसंपत्तियों से आय, इत्यादि शामिल हैं।

XVII. **funf'kr xte ipk; rka** के आ.रा.सं. के विभिन्न घटकों की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के बाद, उनकी **ifr0; fDr vkjk la** का विवरण प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। **lkj.kh Ø- 2-23** में **funf'kr ipk; rka ds ifr0; fDr vkjkl a ea vr% ftyk fhkJurk; a** दर्शायी गई हैं, जिनके अनुसार -

(i) 1993 के अधिनियम की अनुसूची-I एवं II में सूचीबद्ध *^vfuo;Z , oa , sPNd vf/kjki .kk* से *funf'kr xke ipk; rka* को प्राप्त प्रतिव्यक्ति राजस्व 1999-2000 में रु. 1.45 (जांजगीर-चाँपा) एवं रु. 7.28 (दुर्ग) के मध्य रहा। वर्ष 2003-04 के लिये संबंधित आँकड़े हैं, क्रमशः रु. 0.62 (कोरिया) एवं रु. 8.20 (दुर्ग)। इसी प्रकार *funf'kr xke ipk; rka* के अनिवार्य एवं ऐच्छिक अधिरोपणों से प्राप्त जिला औसत प्रतिव्यक्ति राजस्व, राज्य के कुल औसत से 1999-2000 में 11 जिलों में तथा 2003-04 में 9 जिलों में कम रहा। फिर भी 1999-2000 की स्थिति की तुलना में 2003-04 में राज्य के 2 जिलों (कोरिया एवं सरगुजा) को छोड़कर, शेष सभी जिलों में इन अधिरोपणों से प्राप्त औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। संपूर्ण राज्य की दृष्टि से *funf'kr xke ipk; rka* का उनके अनिवार्य एवं ऐच्छिक अधिरोपणों से प्राप्त प्रतिव्यक्ति राजस्व 1999-2000 के रु. 4.55 से बढ़कर 2003-04 में रु. 5.49 हो गया।

(ii) *funf'kr xke ipk; rka* को *^vU; xj&dj jktLo^* से प्राप्त प्रतिव्यक्ति राजस्व में भी विभिन्न जिलों के बीच भारी भिन्नतायें हैं। उदाहरणतया वर्ष 1999-2000 में यह रु. 0.37 (कोरबा) एवं रु. 5.48 (रायपुर) के बीच तथा 2003-04 में रु. 0.38 (कवर्धा) एवं रु. 13.51 (सरगुजा) के बीच रहा। यह भी उल्लेखनीय है, कि ऐसे जिलों की संख्या जिनका राजस्व के इस मद से प्राप्त प्रति व्यक्ति राजस्व, संपूर्ण राज्य के औसत से कम था, वर्ष 1999-2000 एवं 2003-04 में क्रमशः 11 एवं 10 थी। तथापि

इस प्रतिव्यक्ति राजस्व का संपूर्ण राज्य औसत 1999–2000 के रु. 3.16 से बढ़कर 2003–04 में रु. 5.51 हो गया।

(iii) यद्यपि **funf'kr xte ipk; rks** का आ.रा.सं. का संपूर्ण राज्य प्रतिव्यक्ति औसत 1999–2000 के रु. 7.71 से बढ़कर 2003–04 में रु. 10.99 हो गया, इस मद की भी अंतः जिला भिन्नतायें काफी अधिक हैं। उदाहरणतया वर्ष 1999–2000 में **funf'kr xte ipk; rks** का जिला औसत प्रतिव्यक्ति आ.रा.सं. रु. 2.58 (जांजगीर-चौपा) तथा रु. 11.70 (दुर्ग) के बीच था। यही राशि 2003–04 में रु. 1.20 (कोरिया) तथा रु. 17.47 (बिलासपुर) के बीच थी। इस प्रतिव्यक्ति आ.रा.सं. का जिला औसत 1999–2000 में 12 जिलों में राज्य प्रतिव्यक्ति आ.रा.सं. के औसत से कम था, 2003–04 में ऐसे जिलों की संख्या 10 थी।

(iv) इस प्रकार **funf'kr xte ipk; rks** के औसत प्रतिव्यक्ति आ.रा.सं. संबंधी समंक दर्शाते हैं, कि जहाँ वृहत् स्तर पर प्रति व्यक्ति आ.रा.सं. में सुधार है, वहीं सूक्ष्म स्तर पर जिलों के बीच प्रत्येक जिले में ब्लाकों के बीच तथा प्रत्येक ब्लाक में **xte ipk; rks** के बीच इस संबंध में काफी भिन्नतायें हैं।

XVIII.2728 **funf'kr xte ipk; rks** जो राज्य के 61 ब्लाक तथा सभी 16 जिलों में फैली हुई हैं, **l kj.kh Ø- 2-7 l s 2-23** से प्राप्त समंकों तथा क्षेत्र में हमारी चर्चाओं से बिल्कुल स्पष्ट है, कि **xte ipk; rks** की साधन संग्रहण की वर्तमान स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है।

उनके निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर आने के लिये बाध्य हैं :-

- (i) बड़ी संख्या में **xte ipk; rka** विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रावधानित कर एवं गैर-कर अधिरोपणों को लगाने एवं/अथवा वसूलने में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं कर रही।
- (ii) जहाँ कुछ **xte ipk; rka** ने इन स्रोतों से कुछ राजस्व का संग्रहण बताया है, उनमें से अधिकांश मामलों में कर एवं गैर-कर अधिरोपण विधिक प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यकारी विनियमों के अनुसार नहीं लगाये गये।
- (iii) विभिन्न स्रोतों के स्थानीय राजस्व में योगदान से संबंधित **xte ipk; rka** का वितरण विषम है, क्योंकि राज्य की **xte ipk; rka** द्वारा आंतरिक राजस्व संग्रहण का बड़ा भाग केवल कुछ **xte ipk; rka** के द्वारा संग्रहीत होता है, जो जनसंख्या के मामले में तुलनात्मक रूप से बड़ी हैं तथा गैर-आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं तथा
- (iv) 1999-2000 एवं 2003-04 के बीच **xte ipk; rka** में उपलब्ध राजस्व संग्रहण अधिकारों को उपयोग में लाने के मामलों में चूक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

XIX. **xte ipk; rka** की दयनीय दशा के लिये उत्तरदायी संभावित कारणों में से हम निम्नलिखित का विशेष-उल्लेख करना चाहेंगे :

- (i) **xte ipk; rka** की बहुत बड़ी संख्या राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है ;

- (ii) छोटी **xte ipk; rka** का छोटा आकार उनके स्थानीय शासन की आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम इकाई के रूप में विकसित होने में बाधक है। उदाहरणतया राज्य की कुल **xte ipk; rka** की लगभग 81% जनसंख्या 2000 से अधिक नहीं है ;
- (iii) **xte ipk; rka** के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापिस बुलाये जा सकने का विधिक प्रावधान स्थानीय लोगों से करारोंपण के माध्यम से साधन जुटाने में बड़ी बाधा का कार्य करता है ;
- (iv) **xte ipk; r** के राजस्व प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य सरकार की अपर्याप्त कार्यकारी मार्गदर्शिकायें अथवा विनियम ;
- (v) कुछ करें, उनकी निर्धारण प्रणालियों एवं रीतियों तथा कर दरों का **xte ipk; rka** के लिये उपयुक्त नहीं होना ;
- (vi) पिछले दशक में सामान्य रूप से तथा विशेष योजनाओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा राजकीय सहायता के आकार में काफी वृद्धि ;
- (vii) **xte ipk; r** लेखों की दोषपूर्ण एवं अपर्याप्त अंकेक्षण व्यवस्था ;
- (viii) **xte ipk; rka** द्वारा स्थानीय लोगों की पंचायत कर्मियों के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति तथा उन्हें देय अत्यन्त कम वेतन जिससे उनके प्रेरणा स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ;
- (ix) पंचायत कर्मियों की स्थानीय प्रभाव एवं दबाव में आने की संभावना तथा उनमें पंचायत प्रशासन के आवश्यक अनुभव एवं ज्ञान की कमी ;

- (x) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ राजनीतिकरण, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारी तन्त्र में **xte ipk; rka** के राजनैतिक नेतृत्व को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह देने में उदासीनता ;
- (xi) **xte ipk; rka** के निर्वाचित नेताओं में 'कर मृत्यु' के डर से स्थानीय निर्वाचकों पर करारोपण की व्यापक अनिच्छा ;
- (xii) राज्य सरकार का **xte ipk; rka** के प्रति उनके द्वारा अपने राजस्व संग्रहण अधिकारों का पर्याप्त एवं उचित उपयोग न करने के दोष के लिये अत्यन्त उदार, परन्तु औचित्यहीन दृष्टिकोण, इत्यादि।

XX. **funf'kr** 2728 **xte ipk; rka** की कुल जनसंख्या 49.89 लाख थी, जो राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या (2001) की लगभग 30% है। इन **funf'kr xte ipk; rka** से केवल 2 भिन्न वर्षों 1999–2000 एवं 2003–04 के समक माँगे गये थे। बीच के वर्षों 2000–2003 से संबंधित समय-श्रृंखला समक आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुये, **xte ipk; rka** के विभिन्न घटकों संबंधी प्रवृत्तियों को जानने हेतु आयोग ने पृथक से 6 जिलों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपने-अपने जिलों की **xte ipk; rka** संबंधी समय श्रृंखला समक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तथापि आयोग को इन **6 ftyka ds 8 cykdk** में फैली केवल **77 xte ipk; rka** से **2000&01 Is 2004&05** की अवधि संबंधी प्रतिसाद प्राप्त हो सका। संयोगवश, ये **xte ipk; rka** जिलों की कुल **xte ipk; rka** के उस अल्प अनुपात की पंचायतें थीं, जिन्हें 'क्रियाशील' पंचायतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन **77 xte ipk; rka** की जनसंख्या राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का

मात्र 1.66% थी। इन पंचायतों की जनसंख्या 679 (कोरबा जिले के कटघोरा ब्लाक में कोलिहामुडा) एवं 7632 (रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक में कुर्रा) के बीच थी, यद्यपि इन 77 पंचायतों में 53% की जनसंख्या 2000 से अधिक नहीं थी। यद्यपि इन **xte ipk; rks** को राज्य की कुल **xte ipk; rks** का 'प्रतिनिधि' नहीं माना जा सकता। फिर भी वे कुछ 'क्रियाशील' **xte ipk; rks** के 2000-01 से 2004-05 की अवधि में राजस्व घटकों के स्वरूप एवं उनकी प्रवृत्तियों की एक झलक दे सकेंगी :-

- (i) **I kj.kh Ø- 2-24** में अवलोकनीय है, कि इस पाँच वर्ष की अवधि में इन **xte ipk; rks** द्वारा किया गया, आंतरिक साधन संग्रहण, उनके कुल वार्षिक साधनों का 3.40% से 5.19% के बीच था। तथापि संपूर्ण पाँच वर्ष की अवधि के लिये, उनके आं.सा.सं. का वार्षिक औसत अंश, उनके कुल साधनों का 4.13% बनता है। यह भी देखा जा सकता है, कि इस अवधि में निरपेक्ष रूप में इन **xte ipk; rks** द्वारा संग्रहीत आंतरिक साधनों की औसत मात्रा लगभग रु. 25000 रही है। इसी अवधि में किसी **xte ipk; r** द्वारा साधनों की औसत संग्रहीत मात्रा रु. 23358 एवं रु. 26888 के बीच रही।
- (ii) **I kj.kh Ø- 2-25** स्पष्ट करती है, कि समीक्षाधीन अवधि में इन **xte ipk; rks** का औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आं.सा.सं. रु. 10 से कुछ ही अधिक है। सारणी से यह भी ज्ञात होता है, कि इन **xte ipk; rks** द्वारा जुटाये गये साधनों से औसतन उनके वार्षिक राजस्व व्यय के लगभग 29% तथा उनके कुल व्यय के लगभग 5% की प्रतिपूर्ति होती है।
- (iii) **xte ipk; rks** की बाहरी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता रही है। इन बाहरी स्रोतों में राज्य सरकार के अनुदान

(सामान्य/प्रयोजनांतर्गत/एस.एफ.सी/एम.एल.ए.एल.ए.डी) तथा केन्द्र सरकार के अनुदान (सी.एस.एस./सी.एफ.सी./एम.पी.एल.ए.डी) शामिल हैं तथा समीक्षाधीन अवधि में इस निर्भरता का आकार उनके कुल साधनों का 96% (औसत) रहा है।

2.3.6 अब हम 2728 न्यादर्श **xte ipk; rka** (न्या.ग्रा.पं.) के **vfuoq; l vf/kjki .kka** की **^ekx] ol wjh ,oa 'ksk^** की चर्चा करेंगे। **l kj.kh Ø 2-26** में इस संबंध में आयोग को प्राप्त संख्यात्मक जानकारी को जिलेवार प्रस्तुत किया गया है। न्या.ग्रा.पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी **xte ipk; rka** के चुनाव के संबंध में हमारे अध्ययन प्रवास एवं राज्य में पंचायतों के क्रियाकलापों से जुड़े हुये अनेक आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक व्यक्तियों से हुई हमारी चर्चाओं से निम्नलिखित परिदृश्य स्पष्ट होता है :-

**i fke]** सारणी में प्रस्तुत समंकों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि संपूर्ण राज्य में वर्ष 2003-04 में **U; k-xk-i pk; rka** द्वारा अनिवार्य अधिरोपणों की **^ekpkh xbl^** राशि के विरुद्ध 73% के संतोषजनक अनुपात में वसूली की गई। राज्य के 16 जिलों में यह प्रतिशत इसी वर्ष में 53 (रायगढ़) एवं 100% (बस्तर एवं दन्तेवाड़ा, जो दोनों ही आदिवासी जिले हैं) के बीच रही। इसके अतिरिक्त **U; k-xk-i pk; r** द्वारा उसी वर्ष में अपने अनिवार्य अधिरोपणों से संग्रहित औसत राजस्व रु. 6977 था तथा यह विभिन्न जिलों में कोरिया में रु. 1144 से बिलासपुर एव दुर्ग जिले में रु. 10360 के बीच रहा। अनिवार्य अधिरोपणों के माँगे गये राजस्व की तुलना में संग्रहित राजस्व, जो 1999-2000 में 68% था, बढ़कर 2003-04 में 73% हो गया, इसी बीच इन अधिरोपणों से प्राप्त प्रति **U; k-xk-i pk; r** औसत राजस्व में रु. 1657 की वृद्धि पाई गई।



f}rh; ] U; kxt-*ipk*; rka द्वारा हमें प्रस्तुत <sup>^</sup>elx] ol iyh , oa 'kSk^ विवरणों के संबंध में हमें निम्नलिखित मत व्यक्त करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है :

- (1) *xte ipk; rka* का राजस्व प्रशासन उन्हें पूर्ण रूप से स्वयं के उपयोग के लिये विधि प्रदत्त अनिवार्य अधिरोपणों को लगाने में उनकी अनिच्छा एवं ढिलाई के कारण अत्यन्त असंतोषजनक है। *xte ipk; r* स्तर पर विशेषतया आदिवासी क्षेत्रों एवं अनेक ऐसी *xte ipk; rka* में जहाँ का सचिव अत्यन्त कम वेतन पर नियुक्त 'संविदा' कर्मचारी (पंचायतकर्मी) है, *xte ipk; r* स्तर के राजस्व स्रोतों संबंधी विधिक प्रावधानों एवं प्रशासकीय विनियमों के उचित एवं पूर्ण पालन का सर्वथा अभाव है। सचिवों की विधिक प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासकीय विनियमों को समझने की अज्ञानता एवं अनिच्छा ने सरपंचों की गैर-जानकारी को और बढ़ाया है, विशेषतया आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता एवं जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत नीचा है। परिणामस्वरूप अनेक *xte ipk; rka* में राजस्व प्रशासन या तो है ही नहीं अथवा अव्यवस्थित, मनमाना एवं तदर्थ है।
- (2) अनिवार्य अधिरोपणों के <sup>^</sup>elx^ संबंधी समंक जो U; kxt-*ipk*; rka के द्वारा राज्य वित्त आयोग को उपलब्ध कराये गये हैं, स्थिति को काफी घटा कर प्रस्तुत करते हैं। अनेक *xte ipk; rka* के द्वारा अपने करों एवं गैर-करों को, जारी विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लगाया एवं वसूला नहीं जाता है और न ही वे स्थानीय निवासियों के द्वारा देय करों एवं गैर-करों के सही निर्धारण के प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या में *xte ipk; rka* में न तो समय-समय पर निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण होता है और न ही वहाँ कम से कम प्रमुख कर-*Hkfe , oa Hkouka ij dj&* के 'निर्धारणों की पंजी' देखने को मिलती है। कर की वसूली बहुत कम है तथा कुल पंचायतों द्वारा केवल यदा-कदा उस राशि को वसूल करने के प्रयास किये जाते हैं, जिन्हें करदाता देने को 'इन्छुक' हैं, जिससे अनिवार्य कर राजस्व में कुछ राजस्व संग्रहण तो 'दिखाया' जा सके।

- (3) अधिकांश प्रकरणों में '1 xfggr^ राशि 'ekjk^ के बराबर दर्शायी होती है। अन्य शब्दों में निर्धारणों के अभाव में अनेक **xte ipk; rka** को उस 'माँग' की जानकारी ही नहीं होती, जो वास्तव में कर-आधार के आकार एवं संबंधित **xte ipk; r** द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थित रूप से लोगों द्वारा देय कर राशि होनी चाहिये। एक प्रकार से **U; kxk-ipk; rka** द्वारा दर्शायी गयी 'ekx^ संग्रहित राशि के बराबर तक 'घटी' हुई माँग होती है। निहितार्थ यह है, कि **U; k-xk-ipk; rka** द्वारा दर्शित कतिपय महत्वपूर्ण अनिवार्य अधिरोपणों से प्राप्त हो सकने वाले उत्पादक एवं स्थायी राजस्व स्रोत का समुचित एवं संपूर्ण दोहन नहीं किया जाता, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अत्यधिक राजस्व हानि होती है।
- (4) उपर्युक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में हम इस दृढ़ अभिमत के हैं, कि राज्य की **xte ipk; rka** के राजस्व प्रशासन की वर्तमान दयनीय स्थिति में उनकी वित्तीय प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के युक्तीकरण के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त सुधार की आवश्यकता है।

#### 2.4.0 पंचायतों के राजकोषीय अधिकार क्षेत्र की पुनर्रचना :

##### 2.4.1 हमारा दृष्टिकोण :

राज्य में पंचायतों विशेषतया **xte ipk; rka** के आंतरिक राजस्व संग्रहण की संचालन व्यवस्था की वर्तमान शोचनीय स्थिति के सतर्क विश्लेषण तथा बेहतर राजकोषीय निष्पादन को प्रोत्साहित करने एवं अपने अनिवार्य उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के निष्पादन में जानबूझकर चूकने को हतोत्साहित करने की अत्यावश्यकता दोनों इस बात की माँग करते हैं, कि राज्य की पंचायतों के सभी स्तरों पर उनके राजकोषीय अधिकार क्षेत्रों की पुनर्रचना की जाय। इस संदर्भ में पंचायत राजस्व के वर्तमान स्रोतों के कर-आधार एवं दर-रचना को शामिल करते हुये, उनकी राजस्व संरचना में परिवर्तन करना तथा उनके लिये राजस्व के नये स्रोतों की खोज करना आवश्यक है।

इस क्षेत्र में अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करते समय हमने यह सुनिश्चित करने के लिये, कि राज्य की पंचायत व्यवस्था अन्य अनेक राज्यों के लिये एक आदर्श (रोल-मॉडल) बन सके, कतिपय सामान्य परन्तु महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा है। **ifke]** भारतीय संविधान के युगान्तरकारी 73वें संशोधन ने ऐसे प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत संरचना का प्रावधान किया है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं है। संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिये तीन स्तरों का प्रावधान करते समय किसी एक विशिष्ट स्तर की पंचायत के हित में कोई झुकाव नहीं दर्शाया है। वास्तव में इस संशोधन के अक्षर एवं भावना में निहित है, कि राज्य तीनों स्तरों के ग्रामीण स्थानीय शासन को अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं राशियों के अंतरण तथा आवश्यक कार्मिकी सहायता के माध्यम से संपुष्ट करेगा। यद्यपि अनेक राज्यों में तत्संबंधी स्थिति संतोषजनक नहीं है, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत जैसी बड़ी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, जिसकी प्रकृति अभी भी ग्राम प्रधान है, यह केवल आवश्यक ही नहीं वरन् सम्भाव्य भी है, कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर को उपयुक्त उत्तरदायित्व, अधिकार एवं साधन दिये जायें। हमारे मत में पंचायतों के प्रत्येक स्तर की विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वे ग्रामीण अधोसंरचना एवं समग्र ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता के सुधार में योगदान दे सकती हैं। हमारा मत है, कि पंचायतों की त्रि-स्तरीय संरचना को चुनने के बाद देश के ग्रामीण स्थानीय शासन की समग्र व्यवस्था में उसके किसी भी स्तर को उसकी आधिकारिक भूमिका से वंचित करना नादानि होगी। भारत जैसी साधन-न्यून अर्थव्यवस्था में हम किसी स्तर की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित स्थानीय संस्था, जिसका संवैधानिक अस्तित्व है, की अवहेलना अथवा उसके अनादर की गंभीर भूल नहीं कर सकते।

**f}rh; ]** राज्य के संबंधित विभागों के अनेक क्षेत्रीय कार्य जो पंचायतों को सौंपे जाने हैं, श्रेणीबद्ध प्रकृति के हैं। वे राज्य सरकार के अनेक संबंधित विभागों के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य, सड़क, बाजार, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक वितरण, पेयजल, गरीबी निवारण, महिला एवं बाल

विकास, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण इत्यादि। यदि **^'ijdrk ds fl )kr^** के आधार पर विभिन्न स्तरों की पंचायतों में वास्तविक उपयुक्त कार्य वितरण किया जाय, तो उससे निश्चित ही पंचायतों के प्रत्येक स्तर को उपयुक्त कार्यात्मक उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं तथा उससे उन पंचायतों के कोष के लिये आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय साधन एवं कार्मिक सहयोग का संकेत भी प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में यह उल्लेख करना संतोषप्रद है, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में ही पंचायतों के तीनों स्तरों के लिये कार्य-वितरण योजना तैयार करने की दिशा में पहल की हुई है तथापि अभी उसका स्थापित होना शेष है।

इस संबंध में हम यह उल्लेख करना चाहेंगे, कि उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों एवं अधिकारों का कार्य वितरण, जिसमें पंचायतों के राजकोषीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल होंगे, इन तीनों स्तरों के बीच परस्पर व्यापित न हो। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है, कि व्यवस्था के अंतर्गत ही तीनों स्तरों के बीच उपयुक्त कार्यात्मक, संगठनात्मक एवं वित्तीय संबंधों का निर्माण किया जाये। राज्यों को सुनिश्चित करना होगा, कि **^'gdkjh l ?kokn^** की भाँति ही **^'gdkjh ipk; r izkkyt^** स्थापित हो, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर की पंचायतें जहाँ अपनी निर्णय प्रक्रिया में उन्हें प्रदत्त कार्यात्मक स्वायत्तता का उपभोग करें, वहीं यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करें, कि विभिन्न स्तरों के बीच संबंध एवं श्रृंखलायें ग्रामीण लोगों के समग्र कल्याण के हित में सौहार्दपूर्ण तरीके से परस्पर संपुष्टिदायक हों।

**r'rh; ]** राज्य सरकारें जिन्होंने ही अंततः स्थानीय शासन की इकाइयों को अपने-अपने राज्यों में जन्म दिया, अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकतीं। इन संस्थाओं की चिन्ता एवं स्नेह करने वाली माँ की भाँति राज्यों का यह नैतिक उत्तरदायित्व है, कि वे अपने **\*f'k'kq/kā** का तब तक लालन-पालन करें एवं उन्हें पौष्टिक आहार दें, जब तक वे अपनी स्वयं की शक्ति विकसित नहीं कर लेते। अतएव पंचायतों को प्रतिद्वन्दी न समझते हुये उन शिशुओं की तरह समझें, जो

अपनी माँ से जुड़े हुये हैं तथा जिन्हें माँ सिखाती है, कि वे व्यवहार कैसे करें, कैसे उत्तरदायित्व वहन करें, शक्ति अर्जित करें, अपनी जीविका कमायें तथा कैसे दीर्घ काल में स्वयं को जीवित रखें। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को केवल प्रवर्तक की भूमिका ही न निभाते हुये एक परामर्शदाता एवं मार्गदर्शक की भूमिका भी निभानी होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि पंचायतें अपेक्षित एवं वांछित दिशाओं में आगे बढ़ें। पंचायतों पर राज्य का अत्यधिक नियन्त्रण अथवा उन्हें अत्यधिक वित्तीय पोषण स्थानीय शासन के स्वस्थ विकास के लिये घातक सिद्ध हो सकता है। अतएव राज्य सरकार को सावधानी रखनी होगी, कि न तो उनके शिशुओं का अत्यधिक लाड़-प्यार हों और न ही उन्हें भूखा रखा जाय।

**vc ge ipk; rka ds }kjk vkrfjd jktLo l xg.k l xdkh viuh vuqka kk; a Li"V djxk** संभव है, इनमें से कुछ अनुशासक कुछ-कुछ क्रांतिकारी लगे। तथापि हमें स्वीकार करना होगा, कि जैसे गंभीर रोग के लिये गंभीर उपचार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमने इस विचार को आधार में रखा है, कि राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में विशेषतया उसके राजकोषीय अधिकार क्षेत्र में इन संस्थाओं के समग्र एवं दूरगामी हित में तत्काल एवं अत्यधिक परिवर्तनों की आवश्यकता है।

#### 2.4.2 भूमि एवं भवनों पर कर :

भूमि एवं भवनों पर वर्तमान कर, राज्य की **xte ipk; rka** के अनिवार्य कर के रूप में तो बना रहे परन्तु कर निर्धारण के आधार के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे क्षेत्राधिकारों की तुलना में कस्बों की पंचायतों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में पूँजीगत मूल्य अधिक उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जहाँ कुल **146 ea l s 85 cykd rFkk 9820 xte ipk; rka** की 50% पंचायतें, अनुसूची-V क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ बड़ी संख्या में बसाहट वाले मकान कच्चे अथवा अर्द्ध-पक्के हैं। ऐसी बस्तियों में पूँजीगत मूल्य का आधार मान्य करने से स्थानीय वित्त के, प्रयास की तुलना में संतोषजनक राजस्व मिलना कठिन होगा। इसी प्रकार

उस स्थिति में वार्षिक भाड़ा मूल्य आधार भी कम उपयुक्त होगा, जहाँ अधिकांश मकानों में स्वामी निवास करते हैं तथा उनका कोई भाड़ा मूल्य नहीं है। जो मकान भाड़े पर भी दिये हुये हैं, उनकी संख्या अत्यन्त कम है तथा उनका भाड़ा नाम मात्र का ही है। अनेक दूर- दूर बसे हुये स्थानीय क्षेत्रों में स्थित मकानों के लिये शासन द्वारा भाड़ा मूल्य निर्धारण भी अर्थहीन होगा।

**Hkfe; ka , oa Hkouka ij dj** निर्धारण के लिये पूँजीगत मूल्य का विधिक प्रावधान होते हुये भी यह दुःखद है, कि वास्तव में बहुत कम पंचायतें इस आधार को अपनाती हैं। जहाँ पूँजीगत मूल्य आधार अपनाया भी जाता है, वहाँ निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार की समुचित मार्गदर्शिकाओं के अभाव तथा **xte ipk; r** कार्मिकों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भवनों के पूँजीगत मूल्यों के वस्तुपरक आकलन हेतु आवश्यक विशेषज्ञता एवं अभिरुचि की कमी के कारण करयोग्य भवनों पर अत्यन्त कम कर-निर्धारण होता है। एक ओर बहुत बड़ी संख्या में **xte ipk; r** इस अनिवार्य कर को भी अधिरोपित एवं/अथवा संग्रहित नहीं करती, वहीं दूसरी ओर अन्य पंचायतें कर-योग्य भवनों से समान दर से केवल नाम मात्र का कर वसूलती हैं। कुल मिलाकर पूँजीगत मूल्य पर आधारित कर निर्धारण की विधिक कार्यवाही मात्र कागजी होकर रह गई है।

इस पृष्ठभूमि में हम इस दृढ़ मत के हैं, कि **Hkfe; ka , oa Hkouka ij dj** के निर्धारण के आधार में कुछ सुधार आवश्यक है। तदनुरूप हमारी अनुशंसा है, कि राज्य सरकार भवनों पर **xte ipk; rka** द्वारा लगाये जाने वाले कर के लिये 'वर्गीकृत निर्मित क्षेत्र' आधार संबंधी विधिक प्रावधानों में संशोधन के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। कर-निर्धारण के आधार के लिये वर्तमान पूँजीगत मूल्य के आधार के स्थान पर निम्नलिखित आधार अपनाया जा सकता है :-

- (1) सर्वप्रथम राज्य सरकार को चाहिये, कि वह अधिनियम में ही अथवा विधिक विनियमों में 'भवन' 'निर्मित क्षेत्र' 'आंशिक रूप से व्यापारिक उपयोग में आने वाले भवन' 'भवन का फर्श' 'कच्चा/अर्द्ध पक्का/पक्का भवन', इत्यादि शब्दों को परिभाषित करे।

- (2) कर, स्वामी पर अधिरोपित किया जाये। यदि स्वामी का कोई अता-पता नहीं है, तो **xte ipk; r** के लिये यह विधि सम्मत होना चाहिये, कि वह भवन में काविज व्यक्ति से कर वसूल करे, जिसे काबिज व्यक्ति बाद में मालिक से प्राप्त कर सके।
- (3) सभी रहवासी कच्चे मकान जिनका निर्मित क्षेत्रफल एक निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक नहीं है, उन्हें कर से मुक्त रखना चाहिये।
- (4) प्रत्येक **xte ipk; r** के लिये यह आवश्यक हो कि वह प्रतिवर्ष संबंधित **tuin ipk; r** के कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) को प्रत्येक वार्ड में स्थित सभी भवनों, कच्चे मकानों सहित, की जानकारी मय भवन का प्रकार, स्वामी संबंधी जानकारी, भवन का उपयोग, आंशिक अथवा पूर्ण एवं तलों की संख्या, की अद्यतन सूची प्रस्तुत करे।
- (5) प्रत्येक **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ को निर्देश दिये जाये, कि वह अपने ब्लॉक में स्थित **xte ipk; r** द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल भवनों में से न्यूनतम 25% भवनों के न्यादर्श का अपने अधिकारियों के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराये। प्रत्येक **xte ipk; r** के भवनों की सूची को 'टेस्ट चैक' के बाद सरपंच एवं निर्धारित ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी दोनों के द्वारा 'सही' अथवा 'संशोधन-उपरान्त सही' के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिये।

'भवनों की प्रमाणित सूची' **xte ipk; r** के सूचना पटल पर लगाई जाकर, उसमें सन्निहित जानकारी के विरुद्ध स्वामियों से एक सप्ताह में आपत्तियां आमंत्रित की जायें। प्राप्त आपत्तियों यदि कोई हों, पर **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. द्वारा नामांकित एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं सरपंच विचार करें तथा जहां आवश्यक हो, संबंधित जानकारी में परिवर्तन करें। तत्पश्चात् **xte ipk; r** की भवनों की सूची अंतिम रूप से **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित की जाय। इन प्रमाणित सूचियों की एक प्रति अंतिम सूची को **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को प्रस्तुत करने के पूर्व संबंधित **xte ipk; r** को दी जाय।

- (6) इसके बाद प्रत्येक ***xte ipk; r*** वर्ष 2007-08 के लिये भवन कर निर्धारण हेतु एक पृथक रजिस्टर बनाये जिसमें 'भवनों की सूची' में शामिल सभी भवन हों, जिनका पक्का, अर्द्ध-पक्का एवं कच्चा में वर्गीकरण हो एवं पुनः उनका उनके उपयोग पर आधारित, रहवासी, अर्द्ध-व्यापारिक एवं व्यापारिक श्रेणियों में वर्गीकरण हो। इसके अतिरिक्त सभी कर-योग्य पक्के एवं अर्द्ध-पक्के भवनों को पुनः 'केवल भू-तल' एवं 'भू-तल पर एक अथवा एक से अधिक तल' वाले भवनों में वर्गीकृत किया जाये।
- (7) राज्य सरकार भवनों की प्रत्येक श्रेणी के लिये समुचित न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित करें। जिसके बीच प्रत्येक ***xte ipk; r*** को सभी श्रेणियों के करयोग्य भवनों के लिये उनके निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार अपनी दरें निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। नमूने के तौर पर ***l kj.kh Ø- 2- 27*** में करयोग्य भवनों का वर्गीकरण एवं संबंधित न्यूनतम तथा अधिकतम दरें देखी जा सकती हैं।
- (8) प्रत्येक ***xte ipk; r*** अपने उस निर्णय की एक प्रति जिसमें उसके क्षेत्राधिकार के प्रत्येक श्रेणी के भवनों के लिये दरें निर्धारित की गई हों, ***tuin ipk; r*** के सी.ई.ओ. को प्रत्येक करदाता द्वारा देय कर की वास्तविक राशि तय करने हेतु, अग्रेषित करेगी। ***tuin ipk; r*** के सी.ई.ओ. प्रत्येक करदाता द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण करेंगे तथा सूची को ***xte ipk; r*** के सरपंच को अग्रेषित करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे, कि प्रत्येक भवन पर अधिरोपित कर पूर्णतः वसूलकर उनकी ***xte ipk; r*** के उपयोग के लिये सुरक्षित रख लिया जाये।
- (9) ***xte ipk; r*** के सरपंच एवं सभी सदस्यों को कर निर्धारण अधिकारी को सहयोग देने अथवा कर वसूलने के कार्य के प्रति गम्भीर उपेक्षा के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाये। लगातार तीन वर्षों तक कुल कर-माँग वर्तमान एवं बकाया के न्यूनतम 70% तक की वसूली भी लगातार



एवं जानबूझकर न कर पाने की स्थिति में **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. ऐसे प्रकरणों को **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को संबंधित **xte ipk; r** के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु रिपोर्ट करेंगे।

- (10) उन भवनों को छोड़कर, जो राज्य अथवा केन्द्र सरकार अथवा तीनों स्तरों की पंचायतों के हैं, विनिर्दिष्ट श्रेणी के कच्चे भवन हैं अथवा धार्मिक, शैक्षणिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के उपयोग में आने वाले ऐसे भवन हैं, जिनसे कोई भाड़ा अथवा फीस नहीं ली जाती, शेष सभी भवनों को 'भवनों पर कर' के दायरे में लाया जाये।
- (11) राज्य सरकार के लिये यह उचित होगा, कि वह **xte ipk; rka** से उनके अपने अधीनस्थ स्थानीय क्षेत्रों में स्थित भूमियों एवं भवनों पर स्वयं कर निर्धारण के अधिकार वापिस लें। स्थानीय प्रशासन के क्षेत्राधिकार के भवनों एवं गैर-कृषि भूमियों का मूल्यांकन ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये, जो संबंधित स्थानीय शासन के कार्मिकों के प्रभाव से मुक्त हों। अतएव हमारा सुझाव है कि राज्य सरकार 'कर-निर्धारण अधिकारियों' (क.नि.अ.) के एक पृथक जिला कैंडर का गठन करें। ये क.नि.अ. **tuin ipk; r** के उप-सी.ई.ओ. के स्तर के हों तथा उन्हें **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. के प्रशासकीय नियन्त्रण में रखा जाय। इस संबंध में हमारी अनुशंसा है कि राज्य सरकार **vkU/ki nsk** में जारी प्रथा को, जिसके अंतर्गत **xte ipk; rka** के भवनों का आम पुनर्मूल्यांकन, उन पुनर्मूल्यांकन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जो जिला कलेक्टर के प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य करते हैं, कतिपय आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लें।
- (12) प्रत्येक **xte ipk; r** में समस्त करयोग्य भूमियों एवं भवनों का आम पुनर्मूल्यांकन कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा प्रति 3 वर्ष में किया जाये। अन्य शब्दों में प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष  $1/3$  **xte ipk; rka** में यह कार्यवाही की जाये, जिससे 3 वर्षों की अवधि में यह कार्य पूरे जिले में हो

जाये। प्रत्येक चौथे वर्ष में पुनः प्रारम्भ हो। **l kj.kh Ø- 2-28** से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ होकर राज्य की कुल **xte ipk; rka** के प्रति वर्ष यह कार्य 67 कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

इस कार्य के लिये 67 से 70 अधिकारियों की आवश्यकता का आकलन आयोग की इस मान्यता पर आधारित है कि औसतन एक अधिकारी एक वर्ष में लगभग 50 **xte ipk; rka** में यह कार्य सम्पन्न कर सकेगा। यह मानते हुए, कि एक अधिकारी को एक पंचायत का कार्य पूरा करने में औसतन तीन दिन लगेंगे, उसे आबंटित कुल **xte ipk; rka** के लिये वर्ष के 150 दिन लगाने होंगे। जैसा कि कर निर्धारण अधिकारी का कार्य निर्दिष्ट निजी भवनों एवं भूमियों के निर्मित क्षेत्रफल की भौतिक माप करना तथा संबंधित **xte ipk; rka** द्वारा प्रस्तुत भूमियों एवं भवनों की सच्चाई की जाँच करना है, अतएव संबंधित **xte ipk; r** कार्मिकों की सहायता एवं सहयोग के साथ उसे अपना कार्य सम्पादित करने एवं पूर्ण करने में कम ही समय की आवश्यकता होगी।

- (13) यद्यपि एक जिले की सभी **xte ipk; rka** के सभी कर योग्य भवनों का आम पुनर्मूल्यांकन 3 वर्ष के चक्र में पूरा होगा, परन्तु प्रारम्भ में राज्य की सभी **xte ipk; rka** के भवनों का न्यादर्श सर्वेक्षण 3 माह में पूरा करने के लिये लगभग 200 अधिकारियों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार केवल इस कार्य के लिये, तदर्थ आधार पर **tuin ipk; rka** के सी.ई.ओ. के अधीन कार्यरत ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को आदेशित कर सकती है।

**vr, o gekjh vuqka k gß fd jkT; ljdkj dj fu/kkß.k vf/kdkfj; ka ds , d i Fkd dMj dk xBu djß** जिसके सदस्यों को, प्रत्येक जिले को, उसकी **xte ipk; rka** की संख्या के अनुपात में आबंटित किया जाये तथा वे संबंधित जिले के सी.ई.ओ. के प्रशासकीय

नियन्त्रण में कार्य करें। उनकी भर्ती या तो राज्य सरकार के अन्य विकास विभागों के अतिरिक्त स्टाफ में से की जा सकती है अथवा पंचायतों के वर्तमान कार्मिकों में से, जो स्नातक हैं, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर उनका चयन किया जा सकता है। हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि ***dj fu/kkj.k vf/kdkfj; ka ds oru ,oa HkYkka dk Hkqrku dpy jkT; I jdkj ds }kjk gh fd; k tk; A*** सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले ऐसे अधिकारियों के लिये राज्य सरकार का अतिरिक्त वित्तीय दायित्व प्रति वर्ष 2007-08 में रु 95 लाख होने का अनुमान है (प्रति माह रु 10,000 सकल वेतन + रु. 15,000 प्रति अधिकारी, प्रति वर्ष यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता x 70 पद। इसमें सेवा निवृत्ति के लाभ शामिल नहीं हैं)। वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक की अवधि में इस राशि में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि संभावित होगी।

#### 2.4.3 नागरिक सेवा कर :

प्रत्येक ***xte ipk; r*** के लिये अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नियमित रूप से कतिपय आधारभूत सुविधायें प्रदान करना आवश्यक होना चाहिये। इसके लिये आवश्यक पूँजीगत लागत की पूर्ति राज्य तथा/अथवा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि से किये जाने की आवश्यकता होगी। परन्तु ***xte ipk; r*** के लिये यह आवश्यक होगा, कि वह इन सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एण्डएम.) व्यय की प्रतिपूर्ति एक अतिरिक्त कर लगाकर करें, जिसकी न्यूनतम दर भूमियों एवं भवनों पर कर की 50% होगी। इस सेवा कर का उद्देश्य उस व्यय की आंशिक अथवा पूर्ण प्रति पूर्ति करना होगा जो स्वच्छता, नाली व्यवस्था, मार्ग एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति के अनुरक्षण पर व्यय होगा तथा जिन सेवाओं का लाभ ***xte ipk; r*** के सभी रहवासियों को प्राप्त होगा। यह कर उस 'फीस' से भिन्न होगा, जो कोई ***xte ipk; r*** व्यक्तिगत सेवा प्रदाय, जैसे निजी आवासों में नलों के माध्यम से जल

आपूर्ति, व्यक्तिगत निजी आवासों की मलनिकासी सेवा इत्यादि के लिये ले सकेंगी।

*I ok dj , d I em&i/kku dj g\$ u fd fof'k"V 0; fä i/kkuA*

*vk/kkj&Hkur ukxfjd I okvka ds I pkyu , oa vuj{k.k ds  
fy;s , dy dj yx tkus ds ckn 1993 ds vf/kfu; e ds futh 'kk&ky; ka  
I calh dj] izk'k dj , oa ty nj vkfn I calh vuq ph&I , oa II ds  
i ko/kkuka dks foykfi r djuk gkska*

#### 2.4.4 विज्ञापन पर कर :

आयोग की अनुशंसा है, कि **xte ipk; rka** को समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त, अन्य विज्ञापनों पर कर लगाने का विवेकाधीन अधिकार दिया जाय। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग अथवा ढाँचे पर किसी व्यापारिक प्रवृत्ति के विज्ञापन का निर्माण करता है, प्रदर्शित करता है, स्थापित करता है, अथवा संरक्षित करता है, अथवा जो किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर जन अवलोकन के लिये किसी भी रूप में, किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करता है, प्रत्येक ऐसे निर्मित, स्थापित, प्रदर्शित अथवा संरक्षित विज्ञापन के लिये कर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करना आवश्यक किया जाय। तथापि, (i) किसी सार्वजनिक मीटिंग अथवा (ii) केन्द्र एवं राज्य विधायिका अथवा किसी भी स्तर की पंचायत के चुनाव या (iii) ऐसे किसी चुनाव के लिये प्रत्याशी संबंधी विज्ञापन अथवा नोटिस इस कर से मुक्त रहेंगे। राज्य सरकार इस कर के प्रबंधन संबंधी सभी पहलुओं पर **xte ipk; rka** को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं तथा कर की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित कर सकती है।

#### 2.4.5. लोकोपयोगी विशेष कार्यों के लिये अस्थायी कर :

आयोग की अनुशंसा है, कि इस लोकोपयोगी विशेष कार्यों के लिये अस्थायी कर को केवल गैर आदिवासी क्षेत्रों की **xte ipk; rks** तक ही सीमित रखा जाय।

जब भी कोई गैर-आदिवासी क्षेत्र की **xte ipk; r** ऐसे किसी कर का प्रस्ताव करे, तो वह तत्संबंधी प्रस्ताव को, जिसमें उसकी कुल अनुमानित लागत, निर्माण स्थल, आवासों/भवनों पर प्रस्तावित अतिरिक्त कर की दर, अनुमानित लागत की शेष राशि के वित्तीयन का स्रोत, इत्यादि की विस्तृत जानकारी हो, अनुमोदन के लिये ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात् **xte ipk; r** अपने निर्णय को मय ग्राम सभा की उस बैठक के कार्यवृत्त के समक्ष, जिसमें **xte ipk; r** के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, संबंधित **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. को यह सुनिश्चित करने के लिये अग्रेषित करेगी, कि उसके अधिकारियों के द्वारा पंचायत के प्रत्येक कर योग्य भवन के स्वामी का कुल भवन-कर दायित्व निर्धारित किया जा सके। हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि लोकोपयोगी निर्माण कार्यों के लिये अधिरोपित इस अतिरिक्त कर से संबंधित जन भागीदारी का अंश वर्तमान 50% से घटाकर 40% कर दिया जाय।

#### 2.4.6. नाट्यशाला कर (शो टैक्स) :

नाट्यशालाओं, रंगमंचीय अभिनयों एवं अन्य मनोरंजन अभिनयों पर कर, जिसका अधिरोपण प्रत्येक **tuin ipk; r** के लिये अनिवार्य है, वास्तव में अधिकांश जनपदों द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। यह 'शो/प्रदर्शन कर' की वसूली, स्टाफ की कमी तथा राज्य के पंचायत क्षेत्रों में सिनेमा- नाट्यग्रहों की अत्यल्प संख्या के कारण, **tuin ipk; rks** को समुचित राजस्व उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है।

इस कर के संबंध में आयोग तीन अनुशंसाये करना चाहेगा। **iFkej** चलचित्रप्रदर्शी प्रदर्शनों पर नाट्यशाला कर **tuin ipk; r** लगायें तथा सभी गैर-चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों अथवा अभिनयों पर कर **xte ipk; rks** को सौंपे जाये।

**f}rh;] tuin ipk; r** चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर कर की दर निर्धारित करें तथा इसकी सूचना उन **xte ipk; r / ipk; rka** को दे, जिनके अधिकार क्षेत्र में सिने-नाट्यग्रह स्थित हों। संबंधित **xte ipk; r, tuin ipk; r** द्वारा निर्धारित दर पर कर वसूल करें तथा प्रत्येक माह वसूली गई सकल राशि में से 50% काटकर **tuin ipk; r** को प्रेषित करें। **r}rh;]** विभिन्न प्रकार के अभिनयों एवं प्रदर्शनों के लिये निर्धारित कर दरों को **lkj.kh Ø- 2-29** के अनुसार पुनरीक्षित कर बढ़ाना चाहिये। **v}fre]** राज्य सरकार द्वारा इस कर का नाम बदलकर 'शो कर' अथवा 'प्रदर्शन कर' कर देना चाहिये, क्योंकि नाट्यग्रह (थियेटर) शब्द सभी प्रकार के कर-योग्य अभिनयों अथवा प्रदर्शनों के लिये उपयुक्त नहीं प्रतीत होता।

#### 2.4.7. जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत करों का अधिरोपण :

यदि कोई **xte ipk; r** लगातार अनिवार्य अधिरोपण संबंधी अपनी राजस्व उद्ग्रहण शक्तियों का उचित उपयोग न कर पाने की दोषी पाई जाती है, तो हमारी अनुशंसा है, कि संबंधित **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. को **xte ipk; r** की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया जाय। सी.ई.ओ. को संबंधित **xte ipk; r** के सचिव को, **xte ipk; r** के अनिवार्य अधिरोपणों को लगाने/वसूलने तथा उसकी 90% प्राप्तियों को **xte ipk; r** निधि में जमा करने के लिये आदेश देने हेतु अधिकृत किया जाय। ऐसे सभी प्रकरणों में **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. के द्वारा मामला राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को 1993 के अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत संबंधित **xte ipk; r** के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये अग्रेषित किया जाय।

इसी प्रकार यदि किसी समय संबंधित **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को लगता है, कि कतिपय पंचायतें, अपने-अपने क्षेत्रों में करों एवं गैर-करों को उचित एवं संभव दरों से कम दरों पर अधिरोपित कर रही हैं, तब उन्हें अधिकार होगा, कि वे संबंधित **xte ipk; r / ipk; rka** को अपने विनिर्दिष्ट स्वयं के राजस्व स्रोतों की दरें बढ़ाने हेतु 'परामर्श' दे सकें। ऐसे सभी मामलों में संबंधित **xte ipk; rka** के लिये

आवश्यक होगा, कि वे दिये गये 'परामर्श' पर गंभीरता से विचार करें तथा प्रकरण में यथेष्ट कार्यवाही करें।

इसी तरह यदि **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. अनुभव करते हैं, कि कोई **tuin ipk; r** किसी अनिवार्य कर अथवा गैर-कर अधिरोपण के मामलों में विधिक वांछनाओं का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें तत्काल एक तिथि निश्चित करनी चाहिये, जिसके पूर्व संबंधित **tuin ipk; r** को अधिरोपण क्रियान्वित करने हेतु आदेशित किया जाय। यदि **tuin ipk; r** लगातार उपेक्षा की दोषी रहती है, तब प्रकरण को राज्य सरकार अथवा निर्धारित प्राधिकरण को 1993 के अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत **tuin ipk; r** के विस्द्ध कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किया जाय। ऐसे सभी मामलों में जिनमें **tuin ipk; r** अनिवार्य अधिरोपणों को लगाने एवं वसूल करने में असमर्थ रहती है, **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को अधिकार होगा, कि वह **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. को आदेश दे कि वह एक निर्धारित अवधि में उन्हें लगाये तथा प्राप्त राशि को **tuin ipk; r** के कोष में जमा करे।

#### 2.4.8. बाज़ार फीस :

आयोग ने बाज़ार फीस, जो राज्य की **xke ipk; rks** के अनिवार्य अधिरोपणों में शामिल है, से संबंधित वर्तमान विधिक प्रावधानों पर गंभीरता से विचार किया। आयोग **xke ipk; rks** के राजस्व के इस स्रोत की राजस्व उत्पादकता में सुधार की दृष्टि से, निम्नलिखित अनुशंसायें करता है— **ifke]** जहां **xke ipk; r** के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में कोई ऐसा बाज़ार स्थल है, जिसकी छत सीमेंट-क्रांकीट (आर.सी.सी.) अथवा एसबेस्टॉस की हैं, वहाँ स्थल के निर्मित क्षेत्र को कुछ भागों में विभाजित कर, प्रत्येक भाग को, अधिकतम एक वर्ष के लिये निर्धारित वापसी योग्य सुरक्षा निधि एवं मासिक किराये पर निजी दुकानदारों/व्यापारियों को दे देना चाहिये। राज्य सरकार वर्तमान मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुये, विनिर्दिष्ट बाज़ार स्थल को दूकानदारों/व्यापारियों को मासिक आधार पर किराये पर देने के लिये उनका प्रति भौतिक इकाई, जैसे 'प्रति वर्गमीटर

अथवा उसका भाग', न्यूनतम एवं अधिकतम किराया निर्धारित कर सकती है। अन्य शब्दों में जहाँ **xte ipk; r** किसी ऐसे बाज़ार स्थल की स्वामी है अथवा वह उसके नियन्त्रण में है, जिसका कुछ भाग चारदिवारी के अंदर है अथवा/तथा उस पर छत है, वहाँ **xte ipk; r** को बाज़ार क्षेत्र के ऐसे भागों को अधिकतम एक वर्ष किराये पर देने का अधिकार होगा।

**f}rh;]** **xte ipk; r** के स्वामित्व वाले अथवा नियन्त्रणाधीन निर्धारित बाज़ार स्थल के 'खुले' क्षेत्र के उपयोग के लिये हॉकरों से उनके द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाये जाने वाले बाज़ार क्षेत्र के लिये, उस क्षेत्र के आकार के अनुसार, निर्धारित फीस वसूली जाय। **xte ipk; r** खुली नीलामी के माध्यम से, फीस की इस वसूली का निजीकरण भी कर सकती है।

**r}rh;]** **xte ipk; rka** को उन व्यापारियों अथवा दूकानदारों पर बाज़ार फीस लगाने एवं उसे वसूलने के आदेश दिये जाये, जिनके भवनों के स्वामी निजी व्यक्ति हैं।

**v}fre]** राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम एवं अधिकतम दरों का पुनर्निधारण कर उनमें कम से कम 100% की वृद्धि की जाय।

#### 2.4.9 ग्राम पंचायतों के अन्य गैर-कर राजस्व के स्रोत :

आयोग की अनुशंसा है, कि **xte ipk; rka** के राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों की वर्तमान निर्धारित दरों का पुनर्निधारण कर उन्हें **l kj.kh Ø-2-30** में दर्शाये अनुसार बढ़ाया जाय।

#### 2.4.10 दण्ड एवं निवारक :

जहाँ तक अवप्रेरक अथवा निवारकों का संबंध है, राज्य सरकार को, **xte ipk; rka** को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये, कि उनके द्वारा अनिवार्य करों



के अधिरोपण एवं संग्रहण के विधिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में संपूर्ण एवं निरन्तर चूक की स्थिति में संबंधित पंचायतों निम्नलिखित में से किन्हीं शास्त्रों की भागी होंगी, (अ) निर्धारित समयावधि में विधिक उत्तरदायित्वों अथवा प्रशासकीय अनुदेशों के पालन न किये जाने तक राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा अन्य राजस्व हस्तांतरणों को रोकना और/अथवा (ब) अनिवार्य करों एवं गैर-करों के अधिरोपण एवं संग्रहण में लगातार चूक करने पर **xte ipk; r** को भंग करना तथा/अथवा (स) जहाँ सरपंच को **xte ipk; r** का कार्यपालिक अधिकारी घोषित किया गया है, वहाँ उसकी चूक के लिये सरपंच पद से हटाना तथा/अथवा (द) 6 वर्ष के लिये संबंधित सरपंच/सदस्य की **xte ipk; r** में सरपंच/सदस्य चुने जाने की अयोग्यता प्रदान करना तथा/अथवा (इ) संबंधित **xte ipk; r** के सरपंच एवं सदस्यों से असंग्रहित विधिक राजस्व की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करना। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्पष्ट निर्देश जारी कर सकती है कि – (i) कोई भी **xte ipk; r** राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी कर या गैर कर दरों में कमी नहीं करें, (ii) यदि किसी वर्ष कर संग्रहण विगत वर्ष की राशि से कम है, तो संबंधित **xte ipk; r** को इसके कारणों का स्पष्टीकरण राज्य सरकार को करना होगा, (iii) **xte ipk; r** प्रत्येक पांच वर्ष के लिए करों एवं गैर-करों की दरों को ऊपर की ओर संशोधित करें, (iv) **xte ipk; r** को अपने आंतरिक राजस्व में कम से कम 5% की दर से वार्षिक वृद्धि करना चाहिए।

## 2.5.0 जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के आंतरिक राजस्व संग्रहण (आ.रा.सं.) की समीक्षा :-

2.5.1 यद्यपि पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा **tuin ipk; rka** को **ukV; 'kkykvka ij dj rFkk dF'k Hkkae ij fodkl dj** अधिरोपित करने के अधिकार सौंपे गये थे, राज्य में इस दिशा में इन पंचायतों के द्वारा की गई पहल लगभग शून्य है।

2.5.2 जहाँ तक 'kks@in'ku dj जिसे अधिनियम में 'ukV; 'kkyk dj^ कहा गया है, का संबंध है, वास्तव में यह कर केवल चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर ही **tuin ipk; rka** द्वारा अधिरोपित एवं **xte ipk; rka** द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। परिच्छेद 24.6 में हम पहले ही इस कर की चर्चा कर चुके हैं। हम अपनी पूर्व अनुशंसा को दोहराना चाहेंगे, कि नाट्यशाला कर संबंधी विधिक एवं अन्य प्रावधानों को इस प्रकार संशोधित किया जाये, कि सभी चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर यह कर अनिवार्य रूप से **tuin ipk; rka** द्वारा लगाया जाय तथा सभी गैर-चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर यह कर **xte ipk; rka** लगायें। **tuin ipk; rka** द्वारा लगाये गये कर की वसूली **xte ipk; rka** करें तथा संग्रहित सकल राशि की 50% राशि **tuin ipk; rka** को हस्तांतरित करें।

मनोरंजन के प्रत्येक प्रदर्शन पर शो/प्रदर्शन कर लगाने के अधिकार के बावजूद हम नहीं समझते, कि ग्राम एवं **tuin ipk; rka** के द्वारा इन राजस्व अधिकारों का उपयोग करने पर भी इनसे कोई उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

2.5.3 कृषि भूमि पर विकास कर के अधिकार के संबंध में कहा जा सकता है, कि **tuin ipk; rka** के द्वारा राजनैतिक रूप से शक्तिशाली भू-स्वामियों की नाराजी से बचने के लिये इस अधिकार का लगभग बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त इस अधिरोपण से संबंधित विनियम में पुष्प-उत्पादन, रेशम उत्पादन, मछली पालन, बागवानी इत्यादि के उपयोग में आने वाली भूमियों पर कर की दर/दरें तथा अधिरोपण का प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर भी हम उल्लेख करना चाहेंगे, कि इस कर का **tuin ipk; rka** ने उपयोग नहीं किया है तथा यह केवल अधिनियम तक ही सीमित है। अतएव हम अनुभव करते हैं, कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संबंधी सभी कर पंचायतों के द्वारा नहीं वरन् केवल राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित होने चाहिये। तदनुसार अगले अध्याय में उल्लेख अनुसार हमारी अनुशंसा है कि **tuin ipk; rka** की सूची में से इस कर को विलोपित किया जाय।

- 2.5.4 पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत लायसेंस एवं अन्य अनुमति प्रदाय अथवा उनमें निहित या उनके संधारण में भूमि अथवा अन्य संपत्तियों के उपयोग के लिये फीस, जैसे— **tuin ipk; rka** के द्वारा दोहन किये जाने योग्य राजस्व स्रोतों का भाग्य भी इन मध्यवर्ती पंचायतों को प्रदत्त एवं पूर्व में वर्णित इन दो कर अधिकारों से अधिक भिन्न नहीं है।
- 2.5.5 राज्य की **ftyk ipk; rka** को प्रदत्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित **l kekl; Hkfe midj** में उसकी वर्तमान दर को रु. 0.50 प्रति एक रूपया भू-राजस्व से रु. 10 तक बढ़ाने का अधिकार भी निरर्थक विधिक अभ्यास सिद्ध हुआ, क्योंकि ये पंचायतें भी अपने जिले के कृषि भू-स्वामियों के विरोध को न्यौता नहीं देना चाहतीं। इस संबंध में हम उल्लेख करना चाहेंगे, कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था में करारोपण की राजनैतिक सीमायें होती हैं और यह विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमियों जहाँ कुछ कर अधिकार चुनी गई पंचायतों को भी सौंपे होते हैं, पर कर के संबंध में सही है। फिर भी यह अत्यावश्यक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भारी निवेश जिनका लाभ स्पष्टतया कृषि भूमियों को मिलता है, को देखते हुये कृषि भूमियों पर समुचित कर अधिरोपित किया जाय।
- 2.5.6 संक्षेप में हम उल्लेख करना चाहेंगे, कि राज्य में **tuin , oafyk ipk; rka** के द्वारा आंतरिक राजस्व संग्रहण लगभग अर्थहीन है। ये संस्थायें मुख्य रूप से सौंपे गये राजस्व एवं सहायता अनुदानों के रूप में राज्य की सहायता पर जीवित हैं। **l kj.kh Ø- 2-31** में **tuin ipk; rka** के संसाधनों की संरचना देखी जा सकती है। (अध्याय – 4 भी देखें)
- 2.5.7 **l kj.kh Ø- 2-31** में अवलोकनीय है, कि वर्ष 1999–2000 में राज्य की **tuin ipk; rka** में उनका आ.रा.सं. उनकी कुल प्राप्तियों का मात्र 0.73% था, यद्यपि यह अंशभाग 2003–04 में बढ़कर 1.26% हो गया। इस राजस्व में अधिकांशतः मछली तालाबों एवं पशु मेलों से प्राप्त फीस, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज इत्यादि जैसी

प्रशासकीय एवं अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं। यह भी अवलोकनीय है, कि सौंपे गये राजस्व एवं अनुदान के रूप में दी गई राज्य सहायता राज्य की **tuin ipk; rka** की कुल वार्षिक प्राप्तियों का अत्याधिक बड़ा भाग 99% है।

2.5.8 तथापि आयोग को यह जानकारी नहीं है, कि **tuin ipk; rka** को **ftyk ipk; rka** सरकार से जो संपूर्ण राशि प्राप्त होती है, उसमें से कितनी राशि उनके स्वयं के उपयोग के लिये होती है तथा कितनी **xte ipk; rka** को वितरित करने हेतु होती है। इस कारण हम **tuin ipk; rka** को प्राप्त उस शुद्ध राज्य सहायता का निर्धारण नहीं कर सके, जिस पर एक निगमित निकाय के रूप में स्वयं **tuin ipk; r** के द्वारा तय उद्देश्यों पर व्यय करने का उनका पूर्णाधिकार है। वास्तव में जब तक जिला अथवा **tuin ipk; r** को प्राप्त होने वाली राशियों में **ftyk ipk; r / tuin ipk; r** के पूर्णतः स्वयं के उपयोग तथा आगे **tuin ipk; r / xte ipk; rka** में वितरण हेतु राशियाँ शामिल होंगी, सकल प्राप्तियों एवं व्यय में दोहरे लेखांकन की संभावना बनी रहेगी। पृथक-पृथक समकों के अभाव में ऐसी समग्र प्राप्तियों का उपयोग विभिन्न स्तरों की पंचायतों को बाहरी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय सहायता को विकृत करेगा।

2.5.9 वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिये **ftyk ipk; rka** के राजस्व के विभिन्न स्रोत उनके आकार एवं इन पंचायतों का कुल प्राप्तियों में अंशभाग के अनुसार विवरण अध्याय - 4 में दिया गया है। संपूर्ण राज्य के लिये तथा 2 वर्षों 2001-02 एवं 2003-04 के लिये **ftyk ipk; r** की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त वर्णन **lkj.kh Ø 2-32** में दिया गया है, जो स्पष्ट करता है, कि राज्य की **ftyk ipk; rka** के पास सारणी में शामिल करने योग्य कोई आंतरिक राजस्व नहीं है। अन्य शब्दों में **ftyk ipk; rka** की प्राप्तियाँ सौंपे गये राजस्व एवं अनुदानों से मिलकर बनी हैं, जो अधिकांशतः राज्य की जनपद एवं **xte ipk; rka** को हस्तांतरित करने के लिये हैं।

**2.6.0 जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये राजस्व स्रोतों के सुझाव :**

### 2.6.1 भवनों पर अतिरिक्त कर :

हम अनुशंसा करते हैं, कि प्रत्येक **tuin ipk; r** के लिये विधिक रूप से आवश्यक कर दिया जाय, कि वह उन नगरपालिक निगमों एवं/अथवा नगरपालिकाओं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के क्षेत्रीय प्राधिकार के 10 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित **xte ipk; rka** द्वारा अधिरोपणीय भवनों पर कर (सेवा कर से भिन्न) में प्रमुख कर के 50% से 200% तक का अतिरिक्त कर लगायें। जिन **xte ipk; r** क्षेत्रों को यह अतिरिक्त कर लागू होगा, उन्हें नगरीय संस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिये इस कर की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित की जाये।

**tuin ipk; r** के द्वारा प्रस्ताव पारित कर इस अतिरिक्त कर की दर निर्धारित करने एवं उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित **xte ipk; rka** को संसूचित करने के बाद ऐसी सभी **xte ipk; rka** के लिये इस अतिरिक्त कर को लगाना एवं वसूल करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक **xte ipk; r** जिसे यह अतिरिक्त कर लगाना है, उसे इस कर से प्राप्त सकल राशि के 50% अंश को स्वयं के उपयोग के लिये रखने की अनुमति होगी तथा शेष राशि को प्रत्येक 6 माह में संबंधित **tuin ipk; r** को हस्तांतरित करना होगा।

इस अनुशंसा के पीछे तर्क यह है, कि बढ़ते हुये शहरीकरण एवं स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि के साथ-साथ नगरपालिक क्षेत्रों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संपत्ति के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्तियों के स्वामियों को अनार्जित आय प्राप्त हो रही है। भू-संपत्तियों में सट्टा रोकने तथा ऐसी संपत्तियों के स्वामियों को मिलने वाली अनार्जित आय जो पूर्णतः विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप है, का कुछ अंश वसूलने के उद्देश्य से यह आवश्यक है, कि शहरी स्थानीय प्रशासन इकाइयों से एक निश्चित दूरी में स्थित अचल संपत्तियों पर शुद्धतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों की तुलना में अधिक कर अधिरोपित किया जाय।

### 2.6.2 चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर शो/प्रदर्शन कर :

जैसी कि हमने परिच्छेद 2.4.6 में अनुशंसा की है, **tuin ipk; rks** के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय, कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में सिनेमा शो के मैनेजरों/स्वामियों पर न्यूनतम रु. 15 तथा अधिकतम रु. 30 प्रति चलचित्र प्रदर्शन की दर से कर अधिरोपित करें। कर की वसूली **xte ipk; rks** के द्वारा की जाय तथा उसकी सकल प्राप्तियों का 50% संबंधित पंचायत को हस्तांतरित किया जाय।

### 2.6.3 विकास कर एवं भू-उपकर :

हमने अगले अध्याय में, **fodkl dj , oaHk&jktLo ij midj** की वृद्धि की चर्चा की है, जहाँ पर हमने **tuin ipk; r** के करों की सूची में से विकास कर को विलोपित किए जाने की अनुशंसा की है। (परिच्छेदग्राफ 2.5.3 को भी देखें) हमने अनुशंसा की है, कि राज्य सरकार **l kekl; Hk&midj** को **Hk&jktLo** के रूप में 500% पर स्वयं लगाए तथा **Hk&jktLo** एवं **Hk&midj** की सकल प्राप्तियों को **ftyk ipk; rh jkt fuf/k** को हस्तांतरित करें। इसलिए पंचायती राज अधिनियम 1993 की संबंधित धाराओं में **tuin , oaftyk ipk; rks dks l kekl; Hk&midj** में वृद्धि करने के दिए गए अधिकारों को अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

### 2.6.4 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क पर अधिभार :

वर्तमान में 1993 के अधिनियम में प्रावधान है, कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत ब्लाक में स्थित अचल सम्पत्ति की बिक्री, दान अथवा उसे गिरवी रखने संबंधी दस्तावेजों पर अधिरोपित शुल्क में ऐसी सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा गिरवी के मामलों में दस्तावेज द्वारा सुरक्षित राशि पर (धारा 75) 1% की

वृद्धि की जाय। इस अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को मूल शुल्क के साथ राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत किया जाता है तथा प्राप्त राशि को प्रथमतः राज्य सरकार के कोष में जमा किया जाता है तथा बाद में **vfrfjä LVKEi 'kŷd** के बराबर प्राप्त राजस्व को अनुदान के रूप में **tuin ipk; rka** को दिया जाता है।

पर्याप्त विचारोपरान्त आयोग अनुशंसा करता है, कि **tuin ipk; rka** को अपने-अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्रों में **LVKEi 'kŷd**, **oa vfrfjä LVKEi 'kŷd** की सम्मिलित राशि पर अधिकतम 50% का अधिभार लगाने के लिये अधिकृत किया जाये। इसी प्रकार **ftyk ipk; rka** को अधिकृत किया जाय, कि वे राज्य सरकार को संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के सभी हस्तान्तरणों पर, विनिर्दिष्ट दर पर, जो स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्मिलित राजस्व के 50% से अधिक न हो, अधिभार अधिरोपित करने हेतु आग्रह करें।

जनपद अथवा **ftyk ipk; r** के द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में उच्चतर दर पर, अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरणों पर अधिभार लगाने एवं वसूलने हेतु निवेदन करने के बाद राज्य सरकार को अनिवार्यतः अधिभार लगाना चाहिये तथा उससे प्राप्त सकल राशि के 95% भाग को व्यापारिक कर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा संबंधित **xte ipk; rka**, **tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को हस्तांतरित किये जाने की व्यवस्था करना चाहिये। यदि अधिभार किन्हीं विशिष्ट **tuin ipk; rka** द्वारा लगाया गया है, तो प्राप्त राजस्व **tuin ipk; r** एवं ब्लाक में स्थित **xte ipk; rka** को क्रमशः 50:50 के अनुपात में हस्तांतरित किया जाय। जब **tuin ipk; r** एवं **ftyk ipk; r** दोनों अधिभार लगाने का निर्णय लें, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार **ftyk ipk; r** द्वारा सुझायी गई दर को अंगीकृत करे।

#### 2.6.5 राज्य उत्पादन कर पर अधिभार :

**tuin ,oa ftyk ipk; rka** को अपने स्वयं के उपयोग के लिये राज्य उत्पादन कर पर अपने- अपने अधिकार क्षेत्रों में अधिभार लगाने का अधिकार दिया जाय, जिसकी दर 10% से अधिक न हो। जब कोई **tuin ;k ftyk ipk; r** प्रस्ताव पारित कर सरकार से उनके ब्लाक अथवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन कर पर अधिभार लगाने हेतु निवेदन करें, तो राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावित दर पर अधिभार लगाना तथा उसे मुख्य कर के साथ वसूल करना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी प्रकरणों में राज्य सरकार इस अधिभार से प्राप्त सकल राशि के 90% भाग को संबंधित जनपद अथवा **ftyk ipk; r** को हस्तांतरित करे। तथापि अधिभार लगाने के अधिकार के संबंध में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की समस्या से बचने के लिये ऐसी सभी स्थितियों में, जहाँ कोई **ftyk ipk; r** तथा उस जिले की एक अथवा दो **tuin ipk; r** अधिभार लगाने हेतु निवेदन करें, वहाँ राज्य सरकार केवल **ftyk ipk; r** द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही विचार करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा **ftyk ipk; r** के प्रस्ताव पर लगाये गये अधिभार की स्थिति में अधिभार की शुद्ध प्राप्तियों (90%) को **ftyk ipk; r** एवं जिले की सभी **tuin ipk; rka** में 20:80 के अनुपात में वितरित किया जाय। **tuin ipk; rka** में आपस में अंशभाग का वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाय। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्तिगत **tuin ipk; r** अपने-अपने क्षेत्र में अधिभार हेतु निवेदन करें, तो राज्य सरकार ऐसी पंचायतों को आ.रा.सं.के लिये किये गये प्रयासों के लिये उत्पादन कर पर अधिभार से प्राप्त शुद्ध राशि का 50% प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करें।

#### 2.6.6 भू-राजस्व पर अतिरिक्त उपकर :

अगले अध्याय में हमने अनुशंसा की है, कि वर्तमान अनिवार्य भू-उपकर की दर रू. 0.50 प्रति एक रुपया भू-राजस्व से बढ़ाकर रू. 2.50 कर दी जाय। इस संबंध में हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि राज्य की **ftyk ipk; rka** को इस भू-उपकर को रू. 2.50 से रू. 10 प्रति एक रुपया भू-राजस्व तक बढ़ाने के अधिकार दिये जाये, जिसे वे जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में लागू कर सके। राज्य सरकार उन **ftyk ipk; rka** को जो इस अतिरिक्त भू-उपकर को



लगाने के अधिकार का उपयोग करें, इस अतिरिक्त कर की कुल प्राप्तियों के अधिकतम 150% तक समतुल्य अनुदान का प्रस्ताव कर सकती है। राज्य सरकार अतिरिक्त भू-उपकर की सकल प्राप्तियों की 90% राशि **xte ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को क्रमशः 5% के अनुपात में हस्तांतरित करे। व्यक्तिगत **tuin** एवं **xte ipk; rka** में आपस में वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाय। विभिन्न स्तरों कि **ipk; rka** के द्वारा इस स्रोत से प्राप्त राजस्व संबंधित पंचायतों के 'सामान्य/अनाबद्ध राशियों' में शामिल होगा।

सारणी क्र. 2.1

**Hke ,oaHkouka ij dj dh nja**

Ø-	fooj.k	U; wre	vf/kdre
1	2	3	4
1	ऐसे भवन जिनका पूंजीगत मूल्य रु. 6000/- से अधिक हो किन्तु रु. 12000/- से अधिक न हो	20 पैसे मूल्य के प्रति रु. 100/- पर या उसके किसी भाग पर	30 पैसे पूंजीगत मूल्य के प्रति रु. 100/- पर या उसके भाग पर
2	ऐसे भवन जिनका पूंजीगत मूल्य रु. 12000/- से अधिक हो	1 रु. पूंजीगत मूल्य के प्रति रु. 500/- या उसके भाग पर	रु. 1.50/- पूंजीगत मूल्य के प्रति रु. 500/- पर या उसके भाग पर

सारणी क्र. 2.2

**ofRr; k 0; ki kj] dykRed dk; L ; k vktHfodk ij dj dh nja**

of'kd vk; ¼ -½	U; wre ¼ -½	vf/kdre ¼ -½
1	2	3
11,000 से 15,000	100	200
15,001 से 20,000	150	300
20,001 से 30,000	200	400
30,001 से 40,000	300	600
40,001 से 50,000	450	900
50,000 से अधिक	650	1400

सारणी क्र. 2.3  
 cps x, i'kq/ka ds i a h; u ij fu/kkZjr 'kq/d dh U; ure , oa vf/kdre nja

Ø-	cpk x; k i'kq	U; ure 'kq/d ¼ -½	vf/kdre 'kq/d ¼ -½
1	2	3	4
1.	सुअर, बछड़ा, बकरी / बकरा व गधा	3	20
2.	भैंसा, बैल, गाय, घोड़ा एवं घोड़ी	5	25
3.	भैंस, हाथी एवं ऊंट	10	30

सारणी क्र. 2.4  
 I jk; ] /keZkyk vkfn ds mi ; ks ij fu/kkZjr 'kq/d dh nja

Ø-	fooj.k	'kq/d nj ¼ -½
1	2	3
1.	बरामदा	0.50 प्रतिदिन
2.	छोटा कमरा (3×3 मीटर)	2.00 प्रतिदिन
3.	बड़ा कमरा (3×3 मीटर से अधिक)	4.00 प्रतिदिन
4.	फर्नीचर सहित कमरा (कुर्सी, टेबल एवं चारपाई)	8.00 प्रतिदिन
5.	शिविर हेतु मैदान (3×3 मीटर)	0.30 प्रतिदिन
6.	पशु वधशाला	2.00 प्रति जानवर

सारणी क्र. 2.5  
 fcdh grq dz; djus okys nyky , oa  
 deh'ku , t v vkfn dk dk; Z djus okys 0; fDr; ka ij djka dh nja

Ø-	oxl	dj dh nja ok'kd ifro'kZ ¼ -½
1	2	3
1.	सामान्य क्रेता, दलाल, कमीशन एजेंट तथा पशु, कपास, अनाज तथा तिलहनों के दलाल	25.00
2.	विविध वस्तु के दलाल	10.00
3.	तौलिया या माप करने वाले	5.00

सारणी क्र. 2.6

**खण्ड 1, अनुसूची 1, धारा 1**

क्र.	विवरण	प्रति व्यक्ति प्रति मास	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
1	2	3	4
1.	सिनेमा	10	20
2.	नाटक, सर्कस	7	15
3.	कार्निवल, जलसा, तमाश मलयुद्ध प्रदर्शन	5	10
4.	टामोद की कोई अन्य प्रदर्शन	3	5

सारणी क्र. 2.7  
 2728 U; kn'kz xke ipk; rka }kjk Lo; a }kjk tMk; k x; k jktLo ¼/k-jk-I -½  
 ¼999&2000 , oa 2003&04½

Ø	ftyk	xki a dh la	, sPNd@vfuok; l djka , oa 'k/dka l s jktLo ¼ -½													
			Hkde , oa Hkou ij dj		'kky; dj		izk'k dj		oRr@0; kij dj		tkuoj ia h 'k/d		cktkj 'k/d		dy ; kx	
			1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बस्तर	167	28770 (172)	23296 (139)	0	0	3348 (20)	1744 (10)	2100 (13)	2220 (13)	29388 (176)	18920 (113)	380303 (2277)	418932 (2509)	443909 (2658)	465112 (2785)
2	शबलासपुर	254	70184 (276)	158881 (626)	6000 (24)	0	20423 (80)	24626 (97)	5389 (21)	6914 (27)	102211 (402)	671830 (2645)	1097390 (4320)	1769321 (49850)	1301597 (183866)	2631572 (229746)
3	दंतेवाड़ा	49	2013 (41)	1248 (25)	0	0	0 (64)	3135 (13)	645 (13)	333 (7)	181208 (3698)	175180 (3575)	0 (1017)	0 (3752)	0 (4689)	0 (4689)
4	धमतरी	141	60792 (431)	33431 (237)	2844 (20)	2480 (18)	156409 (1109)	102021 (724)	72445 (514)	53780 (381)	78246 (555)	114034 (809)	503906 (3574)	773099 (5483)	874642 (6203)	1078845 (7651)
5	दुर्ग	422	239302 (567)	290564 (689)	42377 (100)	98444 (233)	515991 (1223)	236604 (561)	157418 (373)	156759 (371)	827778 (1962)	627603 (1487)	2061705 (4886)	2961879 (7019)	3844571 (9110)	4371853 (10360)
6	जौजगीर-चांपा	98	22481 (229)	20737 (212)	0	0	7672 (78)	6475 (66)	4226 (143)	13973 (1027)	84825 (866)	103782 (1059)	100649 (1027)	106751 (1089)	219853 (2243)	251718 (2569)
7	जशपुर	34	17267 (508)	19778 (582)	0	0	2000 (59)	3000 (882)	50 (1)	55 (2)	830 (24)	400 (12)	156150 (4593)	155240 (4566)	176297 (5185)	205473 (6043)
8	कांकेर	100	42683 (427)	7485 (75)	3850 (39)	2750 (28)	25583 (256)	73616 (736)	0	0	17812 (178)	10827 (108)	184110 (1841)	456596 (4566)	274038 (2740)	551274 (5513)
9	कवर्धा	97	72257 (745)	107814 (1111)	0	0	11586 (119)	17125 (177)	2095 (22)	3065 (32)	48534 (500)	35910 (370)	380554 (3923)	465855 (4803)	515026 (5310)	629769 (6493)
10	कोरवा	122	42728 (350)	76515 (627)	0	0	2490 (20)	60 (20)	0	0	24580 (201)	33719 (276)	429825 (3523)	694111 (5689)	499623 (4095)	804405 (6594)
11	कोरिया	63	1001 (16)	0	0	0	0	6394 (101)	3476 (55)	23470 (373)	23470 (16)	1000 (2845)	179263 (1072)	67564 (3335)	210128 (3335)	72040 (1144)
12	म्हासमुंद	343	376914 (1099)	682216 (1989)	1	450 (1)	120861 (352)	131747 (384)	69555 (203)	80408 (234)	802622 (2340)	72368 (2126)	474372 (1383)	946525 (2760)	1844325 (5377)	1913714 (7495)
13	रायगढ़	115	127638 (1110)	128902 (1121)	1080 (9)	4633 (40)	40859 (355)	43172 (375)	21950 (191)	32180 (280)	23256 (202)	9078 (79)	159081 (1383)	250916 (2183)	373864 (3251)	468881 (4077)
14	रायपुर	277	157992 (570)	187691 (678)	2784 (10)	0	222197 (802)	205365 (741)	94507 (341)	148374 (536)	241811 (873)	186669 (674)	1134849 (4097)	1436742 (5187)	1854140 (6694)	2164841 (7815)
15	श्राजनांदगांव	300	103242 (344)	107460 (358)	975 (3)	2510 (8)	169943 (566)	122617 (409)	97348 (324)	161159 (537)	178038 (593)	206531 (688)	1008777 (3363)	1547486 (5158)	1558323 (5194)	2147763 (7159)
16	स्सगुजा	146	4849 (33)	4680 (32)	0	0	10322 (71)	9294 (64)	1096 (8)	1578 (11)	16330 (112)	15265 (105)	304795 (2088)	358692 (2457)	337392 (2311)	389509 (2668)
; kx		2728	1370113 (502)	1850698 (678)	59911 (22)	111267 (41)	1309684 (480)	1007601 (369)	535218 (196)	664274 (244)	2680939 (983)	2283116 (1078)	8555729 (3136)	12459559 (4567)	14511594 (5320)	18376515 (6977)

**I kj.kh Ø- 2-7 Øe'k %  
¼1999&2000 , oa 2003&04½**

Ø-	ftyk	oðfYi d djka , oa 'kY dka l s jktLo ¼ -½		dy Lo; adk dj jktLo ¼ -½ ¼vfuok; l vkj oðfYi d vf/kjki .k½		1999&2000 l s 2003&04 ea % i fjorL			vL; xj dj jktLo ¼ ½			dy Lo; ads l d k/ku ¼ -½		
		1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	vfuok; l vf/kjki .k	oðfYi d vf/kjki .k	; kx	1999-2000	2003-04	1999&2000 l s 2003&04 ea % i fjorL	1999-2000	2003-04	1999&2000 l s 2003&04 ea % i fjorL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बस्तर	297166	378605	741075	843717	4.78	27.41	13.85	1390006	877915	-36.84	2131081	1721632	-19.21
	%	(1779)	(2267)	(4438)	(5052)				(8323)	(5257)		(12761)	(10309)	
2	बिलासपुर	820590	1463403	2122187	4094975	102.18	78.34	92.96	1557156	5269089	238.38	3679343	9364064	154.5
	%	(3231)	(5761)	(8355)	(16122)				(6131)	(20744)		(14486)	(36866)	
3	दंतेवाड़ा	2590	41929	186456	271675	24.95	1518.88	45.71	115990	323208	178.65	302446	594883	96.69
	%	(53)	(856)	(3805)	(5544)				(2367)	(6596)		(6172)	(12140)	
4	धमतरी	547083	566038	1421725	1644883	23.35	3.47	15.7	1068179	1255251	17.51	2489904	2900134	16.48
	%	(3880)	(4015)	(10083)	(11666)				(7576)	(8902)		(17659)	(20568)	
5	दुर्ग	1485005	1965643	5329576	6337496	13.72	32.37	18.91	3244211	4627907	42.65	8573787	10965403	27.9
	%	(3519)	(4658)	(12629)	(15018)				(7688)	(10967)		(20317)	(25984)	
6	जौजगीर चांपा	83301	93615	303154	345333	14.49	12.38	13.91	237271	500561	110.97	540425	845894	56.52
	%	(850)	(955)	(3093)	(3524)				(2421)	(5108)		(5515)	(8632)	
7	जशपुर	74874	72555	251171	278028	16.55	-3.1	10.69	133283	584802	338.77	384454	862830	124.43
	%	(2202)	(2134)	(7387)	(8177)				(3920)	(17200)		(11307)	(25377)	

क्रमशः . . .

क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	कांकेर	48111	87269	322149	638543	101.17	81.39	98.21	83628	271853	225.07	405777	910396	124.36
	%	(481)	(873)	(3221)	(6385)				(836)	(2719)		(4058)	(9104)	
9	कवर्धा	149545	287875	664571	917644	22.28	92.5	38.08	84216	63741	-24.31	748787	981385	31.06
	%	(1542)	(2968)	(6851)	(9460)				(868)	(657)		(7719)	(10117)	
10	कोरबा	129906	17472	629529	821877	61	-86.55	30.55	80920	370120	357.39	710449	1191997	67.78
	%	(1065)	(143)	(5160)	(6737)				(663)	(3034)		(5823)	(9770)	
11	कोरिया	3820	6150	213948	78190	-67.72	61	-63.45	119795	72193	-39.74	333743	150383	-54.94
	%	(61)	(98)	(3396)	(1241)				(1902)	(1146)		(5298)	(2387)	
12	महासमुंद	602828	645812	2447153	3216526	39.39	7.13	31.44	1259386	2284600	81.41	3706539	5501126	48.42
	%	(1758)	(1883)	(7135)	(9378)				(3672)	(6661)		(10806)	(16038)	
13	रायगढ़	25931	94174	399795	563055	25.42	263.17	40.84	73118	122441	67.46	472913	685496	44.95
	%	(225)	(819)	(3476)	(4896)				(636)	(1065)		(4112)	(5961)	
14	रायपुर	1069913	1393695	2924053	3558536	16.76	30.26	21.7	2954822	3565310	20.66	5878875	7123846	21.18
	%	(3863)	(5031)	(10556)	(12847)				(10667)	(12871)		(21223)	(25718)	
15	राजनांदगांव	984556	1070487	2542879	3218250	37.83	8.73	26.56	1839462	3836331	108.56	4382341	7054581	60.98
	%	(3282)	(3568)	(8476)	(10728)				(6132)	(12788)		(14608)	(23515)	
16	सरगुजा	665405	151975	1002797	541484	15.45	-77.16	-46	677281	3452683	409.79	1680078	3994167	137.74
	%	(4558)	(1041)	(6868)	(3709)				(4639)	(23649)		(11507)	(27357)	
;lk		<b>6990624</b>	<b>8336697</b>	<b>21502218</b>	<b>27370212</b>	<b>31.16</b>	<b>19.26</b>	<b>27.29</b>	<b>14918724</b>	<b>27478005</b>	<b>84.18</b>	<b>36420942</b>	<b>54848217</b>	<b>50.59</b>
		<b>(2563)</b>	<b>(3056)</b>	<b>(7882)</b>	<b>(10033)</b>				<b>(5469)</b>	<b>(10073)</b>		<b>(13351)</b>	<b>(20106)</b>	

टीप : कोषक में दिये गये आंकड़े औसत प्रति न्यादर्शी ग्राम पंचायत को दर्शाते हैं।

सारणी क्र. 2.8

2728 U; kn'khz xke i pk; rka ds dy Lo; a ds jktLo ea vkrfjd enka dk fgLI k i fr'kr ea  
¼1999&2000 , oa 2003&04½

Ø.	ftyk	Hke , oa Hkou ij dj		'kpy; dj idk'k dj				ofRr@; ki kj dj		i'kq i ah; u 'kd		cktlj 'kd		xk-ia dk oñfYid vf/kjki .k		vU; xj dj jktLo		xk-ia dk vkr Lo; a dk jktLo ¼ -½	
		1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04	1999- 00	2003- 04
1	बस्तर	172	139	-	-	20	10	13	13	176	113	2277	2509	1779	2267	8323	5257	12761	10309
	%	1.35	1.35			0.16	0.10	0.10	0.13	1.38	1.10	17.84	24.34	13.94	21.99	65.22	50.99	100.00	100.00
2	बिलासपुर	276	626	24	-	80	97	21	27	402	2645	4320	6966	3231	5761	6131	20744	14486	36866
	%	1.91	1.70	0.17		0.55	0.26	0.14	0.07	2.78	7.17	29.82	18.90	22.30	15.63	42.32	56.27	100.00	100.00
3	दत्तेवाड़ा	41	25	-	-	t	64	13	7	3698	3575	-	1017	53	856	2367	6596	6172	12140
	%	0.66	0.20				0.53	.21	0.06	59.92	29.45		8.38	0.86	7.05	38.35	54.33	100.00	100.00
4	धमतरी	431	237	20	18	1109	724	514	381	555	809	3574	5483	3880	4014	7576	8902	17659	20568
	%	2.44	1.15	0.16	0.09	6.28	3.52	2.91	1.85	3.14	3.93	20.24	26.66	21.97	19.52	42.90	43.28	100.00	100.00
5	दुर्ग	567	689	100	233	1223	561	373	371	1962	1487	4886	7019	3519	4658	7688	10967	20317	25984
	%	2.79	2.65	0.49	0.90	6.02	2.16	1.84	1.43	9.66	5.72	24.05	27.01	17.32	17.93	37.84	42.21	100.00	100.00
6	जौजगीर चांपा	229	212	-	-	78	66	43	143	866	1059	1027	1089	850	955	2421	5108	5515	8632
	%	4.15	2.46			1.41	0.76	0.78	1.66	15.70	12.27	18.62	12.62	15.41	11.06	43.90	59.18	100.00	100.00
7	जशपुर	508	582	-	-	59	882	1	2	24	12	4593	4566	2202	2134	3920	17200	11307	25377
	%	4.49	2.29			0.52	3.48	0.01	0.01	0.21	0.05	40.62	17.99	19.47	8.41	34.67	67.78	100.00	100.00

क्रमशः . . .

... क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	कांकर	427	75	39	28	256	736	-	-	178	108	1841	4566	481	873	836	2719	4058	9104
	%	10.52	0.82	0.96	0.31	6.31	8.08			4.39	1.19	45.37	50.15	11.85	9.59	20.60	29.87	100.00	100.00
9	कवर्धा	745	1111	-	-	119	177	22	32	500	370	3923	4803	1542	2968	868	657	7719	10117
	%	9.65	10.98			1.54	1.75	0.29	0.32	6.48	3.66	50.82	47.47	19.98	29.34	11.24	6.49	100.00	100.00
10	कोरबा	350	627	-	-	20	t	-	-	201	276	3523	5689	1065	143	663	3034	5823	9770
	%	6.01	6.42			0.34				3.45	2.82	60.50	58.23	18.29	1.46	11.39	31.05	100.00	100.00
11	कोरिया	16	-	-	-	-	-	101	55	373	16	2845	1072	61	98	1902	1146	5298	2387
	%	0.30						1.91	2.30	7.04	0.67	53.70	44.91	1.15	4.11	35.90	48.01	100.00	100.00
12	महासमुंद	1099	1989	-	1	352	384	203	234	2340	2126	1383	2760	1758	1883	3672	6661	10806	16038
	%	10.17	12.40		0.01	3.26	2.39	1.88	1.46	21.65	13.26	12.80	17.21	16.27	11.74	33.98	41.53	100.00	100.00
13	रायगढ़	1110	1121	9	40	355	375	191	280	202	79	1383	2182	226	819	636	1065	4112	5961
	%	26.99	18.81	0.22	0.67	8.63	6.29	4.64	4.70	4.91	1.32	33.63	36.62	5.50	13.74	15.47	17.87	100.00	100.00
14	रायपुर	570	678	10	-	802	741	341	536	873	674	4097	5187	3863	5031	10667	12871	21223	25718
	%	2.69	2.64	0.05		3.78	2.88	1.61	2.08	4.11	2.62	19.30	20.17	18.20	19.56	50.26	50.05	100.00	100.00
15	राजनांदगांव	344	358	3	8	566	409	324	537	593	688	3363	5158	3282	3568	6132	12788	14608	23515
	%	2.35	1.52	0.02	0.03	3.87	1.74	2.22	2.28	4.06	2.93	23.02	21.93	22.47	15.17	41.98	54.38	100.00	100.00
16	सरगुजा	33	32	-	-	71	64	8	11	112	105	2088	2457	4568	1041	4639	23649	11507	27357
	%	0.29	0.12			0.62	0.23	0.07	0.04	0.97	0.38	18.15	8.98	39.70	3.91	40.31	86.45	100.00	100.00
	<b>; kx</b>	<b>502</b>	<b>678</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>480</b>	<b>369</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>983</b>	<b>1078</b>	<b>3136</b>	<b>4567</b>	<b>2563</b>	<b>3056</b>	<b>5469</b>	<b>10073</b>	<b>13351</b>	<b>20106</b>
	<b>U; kn' kZ 2728 xke i pk; rkdck vkI r</b>	<b>3.76</b>	<b>3.37</b>	<b>0.16</b>	<b>0.20</b>	<b>3.60</b>	<b>1.84</b>	<b>1.48</b>	<b>1.21</b>	<b>7.36</b>	<b>5.36</b>	<b>23.49</b>	<b>22.72</b>	<b>19.20</b>	<b>15.20</b>	<b>40.96</b>	<b>50.10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Note : t - trace



सारणी क्र. 2.9

2728 U; kn'khz xte i pk; rka ds  
 dy Lo; a ds jktLo ¼vk-jk-l -½ ds enka dk dy Lo; a ds jktLo ea% fgLI k  
 ¼1999&2000 , oa 2003&04½

Øa	Lo; a dh jktLo dh ena	U; kn'khz xte i pk; rka ds dy Lo; a ds jktLo ea% fgLI k	
		1999-2000	2003-04
1	2	3	4
I.	vfuo; l dj		
(अ)	कर राजस्व		
1	भूमियों एवं भवनों पर कर	3.76	3.37
2	भौचालयों पर कर	0.16	0.20
3	प्रका T कर	3.60	1.84
4	व्यवसाय/व्यापार पर कर	1.48	1.21
	mi ; kx ¼½ 1 l s 4	9.00	6.62
C	xj&dj jktLo		
5	प उ पंजीयन शुल्क	7.36	5.36
6	बाजार शुल्क	23.49	22.72
	mi ; kx I ¼½ c½	39.85	34.70
II.	oðfyi d fu/ky .k ¼dj , oa xj dj½	19.19	15.20
III.	vl; xj&dj jktLo	40.96	50.10
	mi ; kx II+III	60.15	65.30
	egk; kx ¼ I+II+III ½	100.00	100.00

सारणी क्र. 2.10

U; kn'khz xke ipk; rka dh l d; k  
ftUgkous pkj vfuok; / djka dk vf/kjki .k ugha fd; k  
¼ 1999&2000 , oa 2003&04½

Øa	dj	1999-2000		2003-04	
		l d; k	dy U; k-xk-ia ea %	l d; k	dy U; k-xk-ia ea %
1	2	3	4	5	6
1	भूमियों एवं भवनों पर	419	15.36	537	19.68
2	प्रका ट कर	747	27.38	896	32.84
3	निजी भौचालयों पर कर	2098	76.91	2189	80.24
4	व्यवसाय आदि पर कर	857	31.41	934	34.24

सारणी क्र. 2.11

U; kn'khz xke ipk; rka dh l d; k  
ftUgkous Hkfe vlg Hkouka ij dj vf/kjki .k ugha fd; k  
¼ 1999&2000 , oa 2003&04½

Ø	ftyk	tuin	dykd ea dy U; k-xk-ia dh l d; k	dy dk %			
				1999-2000		2003-04	
				l d; k	%	l d; k	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	दरभा	27	27	100	27	100
		जगदलपुर	42	42	100	42	100
		नारायणपुर	25	25	100	25	100
2	बिलासपुर	मस्तूरी	64	64	100	64	100
3	दंतेवाडा	कोंटा	24	24	100	24	100
		दंतेवाडा	14	14	100	14	100
4	दुर्ग	नवागढ़	36	36	100	36	100
5	जांजगीर-चांपा	सक्ती	32	32	100	32	100
6	ज ापुर	पत्थलगांव	9	9	100	9	100
7	कांकेर	भानुप्रतापपुर	36	36	100	36	100
8	कवर्धा	पंडरिया	3	3	100	3	100
9.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	63	अनु.	-	63	100
10	रायगढ़	खरसिया	39	39	100	39	100
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव	55	अनु.	-	55	100
12	सरगुजा	रामानुजगंज	9	9	100	9	100
		लखनपुर	59	59	100	59	100
; lxx		संख्या 16	537	419	78.03	537	100
jkt; eaU; k xk-ia dh l d; k dk dy ea %		26.23	2728	419	15.36	537	19.68

टीप : अनु. (अनुपलब्ध)

सारणी क्र. 2.12  
 U; kn' khz xke i pk; rka ds Hkfe , oa Hkouka ij  
 dj l sokf'kd vk\$ r jktLo ikflr ds vuq kj forj.k  
 ¼1999&2000 , oa 2003&04½

Ø-	ifro"z Hkou , oa Hkfe ij dj l si klr jktLo dk Lrj ¼ -½	U; kn' khz xke i a dh l ; k				dqy dk %			
		1999-2000		2003-04		1999-2000		2003-04	
		l ; k	l a ; -	l ; k	l a ; -	%	l a ; -	%	l a ; -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निरंक राजस्व के साथ ग्राम पंचायतें	419	419	537	537	15.36	15.36	19.68	19.68
2	राजस्व प्राप्ति के साथ ग्राम पंचायतें :								
i	50 रु. से कम	253	672	118	655	9.27	24.63	4.33	24.02
ii	51 से 100 के मध्य	296	968	286	941	10.85	35.48	10.48	34.49
iii	101 से 300 के मध्य	281	1249	499	1440	10.30	45.78	18.29	52.79
iv	301 से 600 के मध्य	498	1747	224	1664	18.26	64.04	8.21	61.00
v	601 से 1000 के मध्य	546	2293	291	1955	20.01	84.05	10.67	71.66
vi	1001 से 1500 के मध्य	399	2692	519	2474	14.63	98.68	19.02	90.69
vii	1501 से 2000 के मध्य	8	2700	87	2561	0.29	98.97	3.19	93.88
viii	2001 से 3000 के मध्य	-	2700	62	2623	-	-	2.27	96.15
ix	3000 से अधिक	28	2728	105	2728	1.03	100.00	3.85	100.00

टीप : सं. य. = संचयी योग

सारणी Ø- 2.13

U; kn'khz xke ipk; rka ds Hkfe , oa Hkouka ij  
dj l s iklr vkj r jktLo dk Cykd vuq kj forj.k  
¼1999&2000 , oa 2003&04½

दा	ftyk	tuin	50 :- l s de		51 l s 100 :- dse/;		101 l s 300 :- ds e/;		301 l s 600 :- ds e/;		601 l s 1000 :- dse/;		1001 l s 1500 :- dse/;		1501 l s 2000 :- dse/;		2001 l s 3000 :- dse/;		3000 :- l s vf/kd		; ksc			
			99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	बस्तर	1. फरसागांव	-	-	-	-	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47		
		2. तोकापाल	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	
2	बिलासपुर	1. कोटा	-	-	71	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71		
		2. बिल्हा	-	-	77	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	
		3. लोरमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	42	42	
3	दंतेवाडा	1. सुकमा	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11		
4	धमतरी	2. धमतरी	-	-	-	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	
		3. कुरुद	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	
		1. बेरला	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	
5	दुर्ग	2. पाटन	-	-	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	
		3. साजा	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	
		4. डौडीलोहारा	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	
		5. बेमेतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	
		6. गुरुर	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	57	57	
		7. गुंडरदेही	-	-	-	-	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	
		8. बालौद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25	25
		9. दुर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	44	44
		6	जांजगीर- चांपा	1. अकलतरा	-	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
2. बलोदा	-			-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32
7	ज ापुर	1. दुलदुला	-	-	-	-	-	-	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	
		2. कांसाबेल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	3
8	कांकर	1. नरहरपुर	-	-	-	-	-	64	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	

क्रमशः . . .

क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
9	कवर्धा	1. कवर्धा	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	52	-	-	-	-	-	-	52	52	
		2. सहसपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	42
10	कोरबा	1. पोड़ी उपरोडा	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	56	-	-	-	-	-	-	56	56	
		2. कोरबा	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66
11	कोरिया	1. बैकुण्डपुर	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	
12	महासंमुद	1. बागवाहरा	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92
		2. बसना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	82	82
		3. महासंमुद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	77	77
		4. पिथौरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	-	-	-	-	-	-	87	87
		5. सराईपाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	5
13	रायगढ़	1. तमनार	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	
		2. लैलूगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28
14	रायपुर	1. पलारी	-	-	-	-	-	-	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	
		2. कसडौल	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61
		3. अभनपुर	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
		4. आरंग	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
		5. धरसीवां	-	-	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
15	राजनांदगांव	1. खैरागढ़	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
		2. राजनांदगांव	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
		3. डोंगरगांव	-	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
		4. छुईखदान	-	-	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76
		5. छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
		6. अ. चौकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-	-	42	42
16	सरगुजा	1. अम्बिकापुर	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	
		2. प्रतापपुर	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
egk; kx		संख्या 47	253	118	296	286	281	499	498	224	546	291	399	519	8	87	0	62	28	105	2309	2191	
egk; kx dk %		संख्या 47	10.96	5.39	12.82	13.05	12.17	22.77	21.57	10.22	23.65	13.28	17.28	23.69	0.35	3.97	0.00	2.83	1.21	4.79	100	100	
jkt; eal; k xk-ia dk dy ea %		77.05	9.27	4.33	10.85	10.48	10.30	18.29	18.26	8.21	20.01	10.67	14.63	19.02	0.29	3.19	-	2.27	1.03	3.85	84.64	80.32	

सारणी Ø- 2.14  
 U; kn' khz xke i pk; rka dh l ã; k  
 ftl gk us futh 'kspky; ka ij dj vf/kjki .k ugha fd; k  
 ¼ 1999&2000 , oa 2003&04½

Øa	ftyk	tuin	Cykdka ea U; kn' khz xk-ia dh dy l ã; k	ol yh u djus okyh xk-ia dh l ã; k			
				1999-2000		2003-04	
				l ã; k	%	l ã; k	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	अ) दरभा	27	27	100	27	100
		ब) फरसगांव	47	47	100	47	100
		स) तोकापाल	26	26	100	26	100
		द) नारायणपुर	25	25	100	25	100
		इ) जगदलपुर	42	42	100	42	100
2	बिलासपुर	अ) कोटा	71	na	-	71	100
		ब) मस्तूरी	64	64	100	64	100
		स) लोरमी	42	42	100	42	100
		द) बिल्हा	77	77	100	77	100
3	दंतेवाडा	अ) कौंटा	24	24	100	24	100
		ब) सुकमा	11	11	100	11	100
4	धमतरी	स) दंतेवाडा	14	14	100	14	100
		अ) धमतरी	61	na	-	61	100
5	दुर्ग	अ) बालोद	34	34	100	34	100
		ब) बेमेतरा	18	18	100	18	100
		स) साजा	28	28	100	28	100
		द) दुर्ग	44	44	100	44	100
		इ) नवागढ़	36	36	100	36	100
		उ) गुरुर	57	57	100	57	100
6	जांजगीर-चांपा	ऊ) गुंडरदेही	85	85	100	85	100
		अ) बलौदा	34	34	100	34	100
		ब) सक्ती	32	32	100	32	100
7	ज ापुर	स) अकलतरा	32	32	100	32	100
		अ) कांसाबेल	3	3	100	3	100
		ब) पत्थलगांव	9	9	100	9	100
		स) दुलदुला	22	22	100	22	100

Øe'k% - - -

- - - Øe'k%

1	2	3	4	5	6	7	8
8	कांकेर	अ) भानुप्रतापपुर	36	36	100	36	100
9	कवर्धा	अ) कवर्धा	52	52	100	52	100
		ब) पंढरिया	3	3	100	3	100
		स) सहसपुर	42	42	100	42	100
10	कोरबा	अ) कोरबा	56	56	100	56	100
		ब) पोड़ी उपरोड़ा	66	66	100	66	100
11	कोरिया	अ) बैकुण्ठपुर	63	63	100	63	100
12	महासंमुद	अ) बागबाहरा	92	92	100	92	100
		ब) बसना	82	82	100	82	100
		स) महासंमुद	77	77	100	-	-
		द) पिथौरा	87	87	100	87	100
13	रायगढ़	इ) सराईपाली	5	5	100	5	100
		अ) खरसिया	39	39	100	39	100
14	रायपुर	अ) धरसीवां	68	68	100	68	100
		ब) पलारी	61	61	100	61	100
		स) कसडौल	29	29	100	29	100
		द) अभनपुर	70	na	-	70	100
		इ) आरंग	49	49	100	49	100
15	राजनांदगांव	अ) खैरागढ़	32	32	100	32	100
		ब) राजनांदगांव	55	55	100	55	100
		स) डोंगरगांव	42	na	-	42	100
		द) छुईखदान	49	49	100	49	100
		इ) छुरिया	76	76	100	na	-
16	सरगुजा	अ) प्रतापपुर	69	69	100	69	100
		ब) रामानुजगंज	9	9	100	9	100
		स) अम्बिकापुर	9	9	100	9	100
		द) लखनपुर	59	59	100	59	100
; l x dk % j k T ; ea U ; k- x k- i a dk d q ea %		l d ; k 53 86.88	2342 2728	2098 2098	89.58 76.91	2189 2189	93.47 80.24

सारणी ०- 2.15  
 U; kn'khz xke i pk; rka ds futh 'kpk; ;  
 ij dj lsvkl r jktLo ikflr ds vuq kj forj.k  
 1/4 1999&2000 , oa 2003&04 1/2

०-	ifro"z futh 'kpk; ; ij dj lsvkl r jktLo dk Lrj 1/4 -1/2	U; kn'khz xke i a dh l d ; k				dy dk %			
		1999-2000		2003-04		1999-2000		2003-04	
		l d ; k	l a ; -	l d ; k	l a ; -	%	l a ; -	%	l a ; -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निरंक राजस्व के साथ ग्राम पंचायतें	2098	2098	2189	2189	76.91	76.91	80.24	80.24
2	राजस्व प्राप्ति के साथ ग्राम पंचायतें								
i	50 रू. से कम	429	2527	445	2634	15.73	92.63	16.31	96.55
ii	51 से 100 रू. के मध्य	135	2662	-	-	4.95	97.58	-	96.55
iii	101 से 200 रू. के मध्य	-	-	28	2662	-	97.58	1.03	97.58
iv	201 से 500 रू. के मध्य	41	2703	41	2703	1.50	99.08	1.50	99.08
v	501 से 1000 रू. के मध्य	-	-	-	-	-	99.08	-	99.08
vi	1001 से 1500 रू. के मध्य	25	2728	-	-	0.92	100.00	-	99.08
vii	1501 से 2500 रू. के मध्य	-	-	-	-	-	-	-	99.08
viii	2501 रू. से अधिक	-	2728	25	2728	-	-	0.92	100.00



सारणी Ø- 2.16  
 U; kn'kz xke ipk; r dsfuth 'kky;  
 ij dj l sikl r jktLo dk Cykd vud kj forj.k  
 1999&2000 , oa 2003&04½

Ø	ftyk	tuin	50 :- l s de		51 l s 100 :- dse/;		101 l s 200 :- dse/;		201 l s 500 :- dse/;		501 l s 1000 :- ds e/;		1001 l s 1500 :- ds e/;		1501 l s 2500 :- ds e/;		2501 :- l s vf/kd		; ksx	
			99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	बिलासपुर	अ) कोटा	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-
2	धमतरी	अ) धमतरी	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
		ब) कुरुद	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
3	दुर्ग	अ) बेरला	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41
		ब) डौंडीलोहारा	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
		स) पाटन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	25	25
4	कांकेर	अ) नरहरपुर	-	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64
5	महासंमुद	अ) महासंमुद	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
6	रायगढ़	अ) तमनार	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48
		ब) लैलूगा	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
7	रायपुर	अ) अभनपुर	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
8	राजनांदगांव	अ) डोंगरगांव	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
		ब) अ. चौकी	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
		स) छुरिया	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
<b>egk; ksx</b>		<b>l d; k 14</b>	429	445	135	-	-	28	41	41	-	-	25	-	-	-	-	25	630	539
<b>egk; ksx dk %</b>		<b>l d; k 14</b>	68.10	82.56	21.43	-	-	5.19	6.51	7.61	-	-	3.97	-	-	-	-	4.64	100	100
<b>jkI; eaU; k xk-ia dk dgy ea %</b>		<b>22.95</b>	15.73	16.31	4.95	-	-	1.03	1.50	1.50	-	-	0.92	-	-	-	-	0.92	23.09	19.76

सारणी क्र. 2.17  
 U; kn'khZ xke i pk; rka dh l d; k  
 ftUgkous izdk'k dj vf/kjksi .k ugha fd; k  
 1/4 1999&2000 , oa 2003&04 1/2

Ø	ftyk	tuin	Cykdka ea U; kn'khZ xk-i a dh dy l d; k	ol yh u djus okyh xk-i a dh l d; k			
				1999-2000		1999-2000	
				l d; k	%	l d; k	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	अ) दरभा	27	27	100	27	100
		ब) जगदलपुर	42	42	100	42	100
		स) नारायणपुर	25	25	100	25	100
2	बिलासपुर	अ) कोटा	71	71	100	71	100
		ब) मस्तूरी	64	64	100	64	100
		स) बिल्हा	77	-	-	77	100
3	दंतेवाडा	अ) कोंटा	24	24	100	24	100
		ब) सुकमा	11	11	100	-	-
		स) दंतेवाडा	14	14	100	14	100
4	दुर्ग	अ) बेमेतरा	18	18	100	18	100
5	जांजगीर-चांपा	अ) बलौदा	34	34	100	34	100
		ब) सक्ती	32	32	100	32	100
6	ज ापुर	अ) कांसाबेल	3	3	100	3	100
		ब) दुलदुला	22	22	100	22	100
7	कांकेर	अ) भानुप्रतापपुर	36	36	100	36	100
8	कवर्धा	अ) पंडरिया	3	3	100	3	100
9	कोरबा	अ) कोरबा	56	56	100	56	100
		ब) पोड़ी उपरोड़ा	66	-	-	66	100
10	कोरिया	अ) बैकुण्ठपुर	63	63	100	63	100
11	महासंमुद	अ) सराईपाली	5	5	100	5	100
12	रायगढ़	अ) खरसिया	39	39	100	39	100
		ब) तमनार	48	48	100	48	100
13	राजनांदगांव	अ) खैरागढ़	32	32	100	-	-
		ब) छुईखदान	49	-	-	49	100
14	सरगुजा	अ) प्रतापपुर	69	69	100	69	100
		ब) रामानुजगंज	9	9	100	9	100
		<b>l d; k 26</b>	<b>939</b>	<b>747</b>	<b>79.55</b>	<b>896</b>	<b>95.42</b>
		<b>jkI; eaU; k- xk-i a dk dy ea %</b>	<b>2728</b>	<b>747</b>	<b>27.38</b>	<b>896</b>	<b>32.85</b>

सारणी क्र. 2.18  
**1999-2000** , **2003-04**  
**राजस्व प्राप्त करने वाली**  
**ग्राम पंचायतें**

Ø-	1999-2000 2003-04 राजस्व प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें	राजस्व प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें				राजस्व प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें			
		1999-2000		2003-04		1999-2000		2003-04	
		राजस्व	ला;	राजस्व	ला;	%	ला;	%	ला;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	'निरंक' राजस्व वाली ग्राम पंचायत	747	747	896	896	27.38	27.38	32.84	32.84
2	राजस्व प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें								
i	50 रु. से कम	317	1064	180	1076	11.62	39.00	6.60	39.44
ii	51 से 100 रु.	85	1149	28	1104	3.12	42.12	1.03	40.47
iii	101 से 200 रु. के मध्य	226	1375	371	1475	8.28	50.40	13.60	54.07
iv	201 से 500 रु. के मध्य	439	1814	446	1921	16.09	66.50	16.35	70.42
v	501 से 1000 रु. के मध्य	471	2285	483	2404	17.27	83.76	17.71	88.12
vi	1001 से 1500 रु. तक	308	2593	287	2691	11.29	95.05	10.52	98.64
vii	1500 से 2500 रु. के मध्य	91	2684	28	2719	3.34	98.39	1.03	99.67
viii	2501 रु. से अधिक	44	2728	9	2728	1.61	100.00	0.33	100.00

सारणी क्र. 2.19  
 U; kn'khz xke ipk; r ds  
 izk'k dj l s i klr vkI r jktLo dk Cykd vuq kj forj.k  
 ¼1999&2000 , oa2003&04½

Ø-	ftyk	tuin	50 :- l s de		51 l s 100 :- ds e/;		101 l s 200 :- ds e/;		201 l s 500 :- ds e/;		501 l s 1000 :- ds e/;		1001 l s 1500 :- ds e/;		1501 l s 2500 :- ds e/;		2501 l s vf/kd		; ksc	
			99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04	99- 00	03- 04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	बस्तर	अ) फरसगांव	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47
		ब) तोकापाल	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
2	बिलासपुर	अ) बिल्हा	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-
		ब) लोरमी	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	42
3	दंतेवाड़ा	अ) सुकमा	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
4	धमतरी	अ) धमतरी	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	61	-	-	-	-	-	61	61
		ब) कुरुद	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
5	दुर्ग	अ) बेरला	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41
		ब) पाटन	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25	25
		स) साजा	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
		द) डौंडीलोहारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	54	54
		इ) नवागढ़	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
		ई) गुरुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	57	-	-	57	57
		उ) गुडरदेही	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	-	-	-	85	85
		रु) बालौद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-	34	34
औ) दुर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	44	-	44	44	
6	जांजगीर-चांपा	अ) अकलतरा	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
7	ज गपुर	अ) पथलगंवा	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	
8	कांकेर	अ) नरहरपुर	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	64	-	-	-	64	64	
9	कवर्धा	अ) कवर्धा	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	-	-	52	52	
		ब) सहसपुर	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42

Øe'k%- . .

- - - Øe'k%																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
10	कोरबा	अ) पोंडीउपरोडा	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-		
11	महासंमुद	अ) बागबाहरा	-	-	-	-	-	-	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92		
		ब) बसना	-	-	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	
		स) महासंमुद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	77	-	-	-	-	-	77	77
		द) पिथौरा	-	-	-	-	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87
12	रायपुर	अ) पलारी	-	-	-	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	
		ब) कसडौल	-	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
		स) अभनपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70
		द) आरंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	-	-	-	-	-	-	-	49	49
13	रायगढ़	अ) लैलूंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	-	-	-	28	28	
		अ) खैरागढ़	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
		ब) राजनादगांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-	-	-	-	-	-	55	55
		स) डोंगरगांव	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	42
14	राजनादगांव	द) छुईखदान	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	
		इ) छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	76	76
		उ) अ. चौकी	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
		अ) अम्बिकापुर	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
15	सरगुजा	ब) लखनपुर	-	-	59	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	
		<b>egk; kx</b>	<b>l ; k 40</b>	<b>317</b>	<b>180</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>226</b>	<b>371</b>	<b>439</b>	<b>446</b>	<b>471</b>	<b>483</b>	<b>308</b>	<b>287</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>1981</b>	<b>1832</b>	
		<b>egk; kx dk %</b>	<b>l ; k 40</b>	<b>16.00</b>	<b>9.83</b>	<b>4.29</b>	<b>1.53</b>	<b>11.41</b>	<b>20.25</b>	<b>22.16</b>	<b>24.34</b>	<b>23.78</b>	<b>26.36</b>	<b>15.55</b>	<b>15.67</b>	<b>4.59</b>	<b>1.53</b>	<b>2.22</b>	<b>0.49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>jkT; eaU; k- xk- i a dk dy ea %</b>	<b>65.57</b>	<b>11.62</b>	<b>6.60</b>	<b>3.12</b>	<b>1.03</b>	<b>8.28</b>	<b>13.60</b>	<b>16.09</b>	<b>16.35</b>	<b>17.27</b>	<b>17.71</b>	<b>11.29</b>	<b>10.12</b>	<b>3.34</b>	<b>1.03</b>	<b>1.61</b>	<b>0.33</b>	<b>72.62</b>	<b>67.16</b>	

सारणी क्र. 2.20

U; kn'khz xke i pk; rka dh l d; k  
ftUgkaus ofRr dj vf/kjksi .k ughafd; k  
¼1999&2000 , oa2003&04½

Øa	ftyk	tuin	Cykdka ea U; kn'khz xk ia dh dy l d; k	ol wjh u djus okyh xk-ia dh l d; k			
				1999-2000		1999-2000	
				l d; k	%	l d; k	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	अ) दरभा	27	27	100	27	100
		ब) जगदलपुर	42	42	100	42	100
		स) नारायणपुर	25	25	100	25	100
2	बिलासपुर	अ) कोटा	71	71	100	71	100
		ब) मस्तूरी	64	64	100	64	100
		स) बिल्हा	77	na	-	77	100
3	दंतेवाडा	अ) कोटा	24	24	100	24	100
		ब) दंतेवाडा	14	14	100	14	100
4	दुर्ग	अ) बेमेतरा	18	18	100	18	100
		ब) साजा	28	28	100	28	100
		स) नवागढ़	36	36	100	36	100
5	जांजगीर—चांपा	अ) बलोदा	34	34	100	34	100
6	ज ापुर	अ) कांसाबेल	3	3	100	3	100
		ब) पत्थलगांव	9	9	100	9	100
7	कांकेर	अ) भानुप्रतापपुर	36	36	100	36	100
		ब) नरहरपुर	64	64	100	64	100
8	कवर्धा	अ) पंडरिया	3	3	100	3	100
9	कोरबा	अ) कोरबा	56	56	100	56	100
		ब) पोंडीउपरोडा	66	66	100	66	100
10	रायगढ़	अ) खरसिया	39	39	100	39	100
11	रायपुर	अ) पलारी	61	61	100	61	100
12	सरगुजा	अ) प्रतापपुर	69	69	100	69	100
		ब) रामानुजगंज	9	9	100	9	100
		स) लखनपुर	59	59	100	59	100
; lsk		l d; k 24	934	857	91.76	934	100
jkt; eaU; k- xk-ia dk dy ea %		39.34	2728	857	31.41	934	34.24

सारणी क्र. 2.21

निरीक्षण: राजस्व के साथ ग्राम पंचायतों में राजस्व प्राप्ति के मध्य

क्र. सं.	विवरण	राजस्व प्राप्ति (₹)				प्रतिशत (%)			
		1999-2000		2003-04		1999-2000		2003-04	
		₹	₹	₹	₹	%	₹	%	₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	'निरंक' राजस्व के साथ ग्राम पंचायतें	857	857	934	934	31.41	31.41	34.24	34.24
2	राजस्व प्राप्ति के साथ ग्राम पंचायतें :								
i	50 ₹. से कम	465	1322	544	1478	17.05	48.46	19.94	54.18
ii	51 से 100 ₹. के मध्य	98	1420	-	1478	3.59	52.05	-	54.18
iii	101 से 200 ₹. के मध्य	325	1745	193	1671	11.91	63.97	7.07	61.25
iv	201 से 500 ₹. के मध्य	584	2329	599	2270	21.41	85.37	21.96	83.21
v	501 से 1000 ₹. के मध्य	399	2728	251	2521	14.63	100.00	9.20	92.41
vi	1001 से 2000 ₹. के मध्य	-	-	207	2728	-	-	7.58	100.00

सारणी क्र. 2.22  
 U; kn'khz xke ipk; r ds  
 ofRr; k vkn ij dj l sikr vk r jktLo dk Cykd vuq kj forj.k  
 1/1999&2000 , oa 2003&04½

Ø-	ftyk	tuin	50 :- l s de		51 l s 100 :- dse/;		101 l s 200 :- dse/;		201 l s 500 :- dse/;		501 l s 1000 :- dse/;		1001 l s 2000 :- dse/;		; ksx		
			99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	99-00	03-04	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	बस्तर	अ) फरसगांव	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	
		ब) तोकापाल	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
2	बिलासपुर	अ) बिल्हा	77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	
		ब) लोरमी	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	-	-	42	42
3	दंतेवाडा	अ) सुकमा	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	
4	धमतरी	अ) धमतरी	-	-	-	-	-	-	61	61	-	-	-	-	61	61	
		ब) कुरुद	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-	80	80	
5	दुर्ग	अ) बालोद	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-	-	-	34	34	
		ब) बेरला	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	
		स) पाटन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	25	25
		द) डौंडी लोहारा	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	54	54
		इ) दुर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	44	44	44
		उ) गुरुर	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	-	-	-	57	57
6	जांजगीर-चांपा	अ) सक्ती	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
		ब) अकलतरा	-	-	-	-	32	-	-	-	32	-	-	-	-	32	32
7	ज पुर	अ) दुलदुला	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	
8	कवर्धा	अ) कवर्धा	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	
		ब) सहसपुर	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	
9	कोरिया	अ) बैकुण्ठपुर	-	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63	63	

Øe'k% . . .



- - - 0e'k%																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	महासंमुद	अ) बागबाहरा	-	-	-	-	92	-	-	92	-	-	-	-	92	92	
		ब) बसना	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82
		स) महासंमुद	-	-	-	-	-	-	-	77	77	-	-	-	-	77	77
		द) पिथौरा	-	-	-	-	-	87	87	-	-	-	-	-	-	87	87
		इ) सराईपाली	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	5
11	रायगढ़	अ) तमनार	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	
		ब) लैलूंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	28	28
12	रायपुर	अ) कसडौल	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	
		ब) अभनपुर	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	70	70
		स) आरंग	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	49	-	-	49	49
		द) धरसीवां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	68	68	68
13	राजनांदगांव	अ) खैरागढ़	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	32	32	
		ब) राजनांदगांव	-	-	-	-	-	-	55	-	-	55	-	-	-	55	55
		स) डोंगरगांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42	42	42
		द) छुईखदान	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
		इ) छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	76	-	-	76	76
		उ) अ. चौकी	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	46	-	-	46	46
14	सरगुजा	अ) अम्बिकापुर	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9	
<b>egk; ks</b>		संख्या 38	<b>465</b>	<b>544</b>	<b>98</b>	-	<b>325</b>	<b>193</b>	<b>584</b>	<b>599</b>	<b>399</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>1871</b>	<b>1794</b>	
<b>egk; ks dk %</b>		संख्या 38	<b>24.85</b>	<b>30.32</b>	<b>5.24</b>	-	<b>17.37</b>	<b>10.76</b>	<b>31.21</b>	<b>33.39</b>	<b>21.33</b>	<b>13.99</b>	<b>0.00</b>	<b>11.54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>jkI; eaU; k xk- ia dk dgy ea %</b>		62.3	<b>17.05</b>	<b>19.94</b>	<b>3.59</b>	-	<b>11.91</b>	<b>7.07</b>	<b>21.41</b>	<b>21.96</b>	<b>14.63</b>	<b>9.20</b>	-	<b>7.59</b>	<b>68.59</b>	<b>65.76</b>	

2728 U; kn' khz xke ipk; rka dk ifr 0; fDr Lo; a dsjktLo t/kus dk ftyk&okj oxhdj.k  
%kz 1999&2000 rFk 2003&04½

Ø-	ftyk	U; kn' khz xke ipk; rka dh l ; k	U; kn' khz xke ipk; rka dh tul ; k		ifr 0; fDr Lo fPNd , oa , fPNd vf/kjki .k ¼ -½		ifr 0; fDr vU; xj&dj jktLo ¼ -½		ifr 0; fDr dg t/k; k x; k vkrfjd jktLo ¼ -½	
			1991	2001	1999-2000	2003-04	1999-2000	2003-04	1999-2000 (6+8)	2003-04 (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बस्तर	167	278511	293918	2.66	2.87	4.99	2.99	7.65	5.86
2	बिलासपुर	254	507779	535870	4.18	7.64	3.07	9.83	7.25	17.47
3	दंतेवाड़ा	49	80449	84900	2.32	3.20	1.44	3.81	3.76	7.01
4	धमतरी	141	262776	277313	5.41	5.93	4.06	4.53	9.48	10.46
5	दुर्ग	422	732524	773047	7.28	8.20	4.43	5.99	11.70	14.18
6	जांजगीर-चांपा	98	209178	220749	1.45	1.56	1.13	2.27	2.58	3.83
7	ज एपुर	34	64454	68019	3.90	4.09	2.07	8.60	5.97	12.69
8	कांकेर	100	151947	160352	2.12	3.98	0.55	1.70	2.67	5.68
9	कवर्धा	97	157092	165782	4.23	5.54	0.54	0.38	4.77	5.92
10	कोरबा	122	219395	231532	2.87	3.55	0.37	1.60	3.24	5.15
11	कोरिया	63	119105	125694	1.80	0.62	1.01	0.57	2.81	1.20
12	महासमुंद	343	536980	566686	4.56	5.68	2.35	4.03	6.90	9.71
13	रायगढ़	115	163145	172170	2.45	3.27	0.45	0.71	2.90	3.98
14	रायपुर	277	539590	569440	5.42	6.25	5.48	6.26	10.90	12.51
15	राजनांदगांव	300	461903	487456	5.51	6.60	3.98	7.87	9.49	14.47
16	सरगुजा	146	242236	255636	4.14	2.12	2.80	13.51	6.94	15.62
; lxx		2728	4727064	4988564	4.55	5.49	3.16	5.51	7.70	10.99

सारणी क्र. 2.24  
77 U; kn'khz xte ipk; rka ds l d k/kuka dh l j puk  
1/2012 1999&2000 rFkk 2003&04 1/2

Ø- i kflr dsen	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05			ok'kd vk' r			
	v	c	l	v	c	l	c	c	l	v	c	l	v	c	l	v	c	l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Lo; adsvk; ds l kr</b>																			
1	अनिवार्य कर	9.99	12969	2.14	13.82	17953	3.47	10.49	13623	2.42	10.23	13284	1.88	10.69	13884	2.05	11.04	14343	2.39
2	वैकल्पिक कर	1.73	2241	0.37	2.08	2702	0.52	1.94	2513	0.45	2.31	2995	0.42	2.94	3822	0.56	2.20	2855	0.47
3	अन्य गैर कर राजस्व	6.27	8148	1.34	4.80	6233	1.20	6.48	8418	1.49	5.93	7708	1.09	6.56	8523	1.26	6.01	7806	1.27
<b>mi ; ksx 1/4 l s 1/2</b>		<b>17.99</b>	<b>23358</b>	<b>3.85</b>	<b>20.70</b>	<b>26888</b>	<b>5.19</b>	<b>18.91</b>	<b>24554</b>	<b>4.36</b>	<b>18.47</b>	<b>23987</b>	<b>3.40</b>	<b>20.19</b>	<b>26229</b>	<b>3.88</b>	<b>19.25</b>	<b>25004</b>	<b>4.13</b>
<b>II. ckg; l kr</b>																			
4	राज्य शासन से अनुदान	167.72	217817	35.87	150.83	195879	37.82	117.13	152111	26.98	213.47	277234	39.27	145.61	189108	27.95	158.95	206430	33.58
5	भारत सरकार से अनुदान	269.73	350301	57.69	204.94	266156	51.38	275.66	357999	63.50	280.07	363730	51.52	322.81	419232	61.97	270.64	351484	57.21
6	सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास निधि अनुदान	8.45	10969	1.81	10.34	13429	2.59	16.16	20994	3.72	23.01	29890	4.23	16.42	21319	3.15	14.88	19320	3.10
7	मिश्रित अनुदान	3.36	4362	0.72	11.68	15174	2.93	5.50	7137	1.27	8.47	11000	1.56	14.53	18869	2.79	8.71	11308	1.85
<b>III अन्य</b>																			
8	जन सहभागिता	0.30	390	0.06	0.37	479	0.09	0.75	980	0.17	0.17	216	0.03	1.39	1809	0.27	0.60	775	0.13
<b>mi ; ksx 1/4 l s 8 1/2</b>		<b>449.56</b>	<b>583839</b>	<b>96.15</b>	<b>378.16</b>	<b>491117</b>	<b>94.81</b>	<b>415.20</b>	<b>539221</b>	<b>95.64</b>	<b>525.19</b>	<b>682070</b>	<b>96.60</b>	<b>500.76</b>	<b>650337</b>	<b>96.12</b>	<b>453.78</b>	<b>589317</b>	<b>95.87</b>
<b>egk; ksx 1/4 l s 8 1/2</b>		<b>467.55</b>	<b>607197</b>	<b>100</b>	<b>398.86</b>	<b>518005</b>	<b>100</b>	<b>434.11</b>	<b>563775</b>	<b>100</b>	<b>543.66</b>	<b>706057</b>	<b>100</b>	<b>520.95</b>	<b>676566</b>	<b>100</b>	<b>473.03</b>	<b>614321</b>	<b>100</b>

अ. 77 ग्राम पंचायतों का राजस्व (लाख रु. में)  
ब. प्रति ग्राम पंचायत औसत (रु. में)  
स. महायोग से मद का %

सारणी क्र. 2.25  
 77 U; kn'kz xte ipk; rka ds  
 vkrfjd jktLo l xg.k dh ok'kd vkr l jpk  
 2000-01 l s 2004-05

Ø-	en	jktLo l tr				dy vk-jk-l a %\$6½
		vfuo; l vf/kjki .k	, sPnd vf/kjki .k	; kx %\$4½	vU; xj & dj jktLo	
1	2	3	4	5	6	7
1.	एक ग्राम पंचायत का औसत आंतरिक राजस्व संग्रहण (रु.)					
	2000-01	12969	2241	15210	8148	23358
	2001-02	17953	2702	20655	6233	26888
	2002-03	13623	2513	16136	8418	24554
	2003-04	13284	2995	16279	7708	23987
	2004-05	13884	3822	17706	8523	26229
	<b>ok'kd vkr r</b>	<b>14343</b>	<b>2855</b>	<b>17198</b>	<b>7806</b>	<b>25004</b>
2.	प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत (जनगणना 2001) (रु.)	5.93	1.18	7.11	3.23	10.34
3.	कुल आंतरिक राजस्व में % अंशभाग	57.36	11.42	68.78	31.22	100
4.	कुल प्राप्तियों में % अंशभाग	2.33	0.47	2.8	1.27	4.07
5.	राजस्व व्यय में % अंशभाग	16.57	3.3	19.87	9.02	28.89
6.	कुल व्यय में % अंशभाग	2.72	0.54	3.26	1.48	4.74

सारणी 0- 226  
2728 न्यादर्शी ग्राम पंचायतों के अनिवार्य  
अधिरोपड़ों की 'मांग, वसूली एवं शेष' का जिले-वार विवरण

क्र.	जिला @	सूचना देने वाली ग्रा. पंचायतों की संख्या *	1999-2000					2003-04				
			मांग (रु.)	वसूली (रु.)	शेष (रु.)	वसूली का %	प्रति ग्रा.पं. औसत वसूली	मांग (रु.)	वसूली (रु.)	शेष (रु.)	वसूली का %	प्रति ग्रा.पं. औसत वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बस्तर (5)	167 (167)	443903	443909	0	100	2658	465112	465112	0	100	2785
2	बिलासपुर	254	1942819	1301597	641222	67	5124	3496021	2631572	864449	75	10360
3	दन्तेवाड़ा (3)	49 (49)	183866	183866	0	100	3752	229746	229746	0	100	4689
4	धमतरी	141	1176069	874642	301427	74	6203	1414627	1078845	335782	76	7651
5	दुर्ग (1)	422 (54)	4901104	3844571	1056533	78	9110	5530068	4371853	1158215	79	10360
6	जांजगीर-चांपा	98	262612	219853	42759	84	2243	288037	251718	36319	87	2569
7	जशपुर (3)	34 (34)	190952	176297	14655	92	5185	214286	205473	8813	96	6043
8	कांकेर (2)	100 (100)	514073	274038	240035	53	2740	556004	551274	4730	99	5513
9	कवर्धा	97	710978	515026	195952	72	5310	794317	629769	164548	79	6493
10	कोरबा (2)	122 (122)	821483	499623	321860	61	4095	1160453	804405	356048	69	6594
11	कोरिया (1)	63 (63)	247209	210128	37081	85	3335	80044	72040	8004	90	1144
12	महासमुन्द	343	3516131	1844325	1671806	52	5377	4732010	2570714	2161296	54	7495
13	रायगढ (3)	115 (115)	734463	373864	360599	51	3251	880674	468881	411793	53	4077
14	रायपुर	277	3543943	1854140	1689803	52	6694	3392208	2164841	1227367	64	7815
15	राजनांदगांव (1)	300 (46)	1653425	1558323	95102	94	5194	2267978	2147763	120215	95	7159
16	सरगुजा (4)	146 (146)	643895	337392	306503	52	4410	630213	389509	240704	62	2668
योग (25)		2728 (896)	21486925	14511594	6975337	68	5320	26131798	19033515	7098283	73	6977
औसत (प्रति न्यादर्शी ग्राम पंचायत)		-	7876	5320	2557	68	-	9579	6977	2602	73	-

टिप्पणी- \* कोष्टक में दी गई संख्या आदिवासी ग्राम पंचायतों की है।

@ कोष्टक में दी गई संख्या उन आदिवासी ब्लकों की हैं, जिनमें से आदिवासी न्यादर्शी ग्राम पंचायतें ली गई हैं।

**djkjki .k ;kx; Hkou , oaHkouka ij dj dsfy, mnkgj .kuh; nja**

Ø-	djkjki .k ;kx; Hkou dk oxl	fufeŕ {ks=Oy %bdkb½ %nnkgj .k ;kx; ½	dj dh nj %nnkgj .k ;kx; ½ U; wure ¼ -½	vf/kdre ¼ -½
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>v/n&amp;i Dck Hkou</b>			
<b>1-</b>	<b>vkokl h;</b>			
i.	स्वामी अथवा उसके परिवार द्वारा आधिपत्य किया गया (भूतल)	प्रत्येक 100 वर्गफीट या अधिक	25	50
ii.	किरायादार द्वारा आधिपत्य (भूतल)	— तदैव —	50	80
iii.	भवन स्वामी के आंि िक तथा किरायादार के आंि िक आधिपत्य में (भूतल)	— तदैव —	40	70
iv.	प्रत्येक अतिरिक्त तल पर (भूतल के अलावा) आधिपत्य किसी का भी हो	प्रत्येक 100 वर्गफीट या अधिक	30	60
v.	वर्ष में न्यूनतम 6 माह की अवधि से रिक्त है	भूतल सहित प्रत्येक तल पर	20	40
<b>2-</b>	<b>0; ol kf; d</b>			
i.	व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए पूर्ण उपयोग (भूतल)	प्रत्येक 50 वर्गफीट या अधिक	50	80
ii.	व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए आंि िक उपयोग (भूतल)	— तदैव —	40	70
iii.	वर्ष में 6 माह की न्यूनतम अवधि के लिए रिक्त हो	प्रति तल जिसमें भूतल भी भाामिल हैं	30	50
iv.	प्रत्येक अतिरिक्त तल के लिए भले ही आधिपत्य किसी का हो (भूतल के अतिरिक्त)	— तदैव —	40	70
<b>II.</b>	<b>i Dck Hkou</b>			
<b>1-</b>	<b>vkokl h;</b>			
i.	केवल भवन स्वामी द्वारा पूर्णतः उपयोग (भूतल)	प्रत्येक 100 वर्गफीट या अधिक	50	100
ii.	केवल किरायादार द्वारा पूर्णतः उपयोग	— तदैव —	80	140
क्रमश . . .				

... क्रमश				
1	2	3	4	5
iii.	भवन स्वामी द्वारा आंिक एवं किरायादार द्वारा आंिक उपयोग (भूतल)	—तदैव —	60	100
iv.	भूतल के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त तल के उपयोग पर आधिपत्य उपरोक्त में किसी का भी हो	भूतल सहित प्रत्येक तल पर	50	80
v.	वर्ष में न्यूनतम 6 माह की अवधि से रिक्त	भूतल सहित प्रत्येक तल पर	30	60
<b>2-</b>	<b>0; ol kf; d</b>			
i.	व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु पूर्णतः उपयोग	प्रत्येक 50 वर्गफीट या अधिक	100	150
ii.	व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु आंिक उपयोग (भूतल)	— तदैव —	80	120
iii.	भूतल के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त तल के उपयोग पर आधिपत्य उपरोक्त में किसी के भी द्वारा हो	भूतल पर किसी तल भी पर	60	100
iv.	वर्ष में न्यूनतम 6 माह की अवधि से रिक्त	— तदैव —	50	90
<b>III.</b>	<b>dPpk Hkou</b>			
i.	पूर्णतः आवासीय प्रयोजनों के उपयोग में लाया जाने वाला भवन	प्रत्येक 100 वर्गफीट या अधिक	10	20
ii.	व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्णरूप या आंिक उपयोग में लाये जाने वाले भवन	प्रत्येक 50 वर्गफीट या अधिक	15	30
iii.	उपरोक्त (i) एवं (ii) में भामिल भवन यदि वे वर्ष में न्यूनतम 6 माह की अवधि से रिक्त है।	— तदैव —	5	10

सारणी 0- 228

ipk; rkadsfy; sipk; r dj vf/kdfj; kads inkadh vko'; drk  
1/2007&08 I s 2009&10½

Ø-	fityk	Cyk d dh l ½; k	dy xk- ipk; rkadh l ½; k ¼- 12-05 dks ½	ipeW; kdu dsfy; sxt- ia dh l ½; k			ifr o"K ia dj vf/k- l ½; k
				2007&0 8	2008&0 9	2009&1 0	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	14	655	219	218	218	4
2	बिलासपुर	10	864	288	288	288	6
3	दन्तेवाड़ा	11	409	136	137	136	3
4	धमतरी	4	339	113	113	113	2
5	दुर्ग	12	998	333	333	332	7
6	जाजगीर-चांपा	9	582	194	194	194	4
7	जशपुर	8	417	139	140	138	3
8	कांकेर	7	389	130	129	130	3
9	कवर्धा	4	371	123	124	124	3
10	कोरबा	5	354	118	118	118	2
11	कोरिया	5	250	83	83	84	2
12	महासमुन्द	5	492	164	164	164	3
13	रायगढ़	9	710	237	237	236	5
14	रायपुर	15	1204	402	402	400	8
15	राजनांदगांव	9	696	232	232	232	5
16	सरगुजा	19	1090	363	363	364	7
	; ksx	146	9820	3274	3275	3271	67

सारणी 0- 229

'kks&dj dsfy; siLrkfor nj

Ø-	in'ku dk idkj	ifr 'kks@in'ku nj	
		U; wure nj ¼ -½	vf/kdre nj ¼ -½
1	2	3	4
1.	चलचित्रदर्शी प्रदर्शन	15	30
2.	ड्रामा अथवा सर्कस	10	20
3.	कार्निवल या उत्सव, तमाशा, कुश्ती अथवा इसी प्रकार के प्रदर्शन	8	15
4.	अन्य प्रदर्शन	5	10



**खेपक; रकडसफो'क"V खज&dj I ककडसफु; सिलरकफोर नज**

Ø-	jktLo en	orèku fu/kkjr nj ¼ -½	iLrkfor nj ¼ -½
1	2	3	4
<b>I (i)</b>	सवारी करने, वाहन चलाने, पानी खींचने अथवा बोझा ढोने के प्रयोग में आने वाले पशुओं पर फीस	10 प्रतिवर्ष	20 प्रतिवर्ष
(ii)	प्रति कुत्ता अथवा सुअर पर लायसेंस फीस	2 प्रतिवर्ष	20 प्रतिवर्ष
<b>II.</b>	निम्नलिखित के उपयोग की फीस		
(i)	बरामदा	0.50 प्रतिदिन	2 प्रतिदिन
(ii)	छोटा कमरा: 3*3 मीटर	2 प्रतिदिन	8 प्रतिदिन
(iii)	बड़ा कमरा: 3 * 3 मीटर से बड़ा	4 प्रतिदिन	15 प्रतिदिन
(iv)	सुसज्जित कमरा जिसमें फर्नीचर (कुर्सी, टेबिल तथा खाट) हो	8 प्रतिदिन	20 प्रतिदिन
(v)	अन्य	—	25 प्रतिदिन विलोपित किया जाय तथा राज्य के ब्यवसाय कर में शामिल किया जाय
<b>III.</b>	धन्धा करने वालों से फीस	5 से 25 प्रतिवर्ष	
<b>IV.</b>	मोटर वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के ग्राम पंचायत प्रवेश पर फीस	5 प्रतिवाहन प्रतिदिन	3 प्रति वाहन प्रतिदिन
<b>V.</b>	गाड़ी एवं तॉगा स्टैण्ड पर फीस	20 प्रतिवर्ष	10 प्रति वर्ष
<b>VI.</b>	सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर अस्थायी निर्माण, शेड बनाना अथवा उसके आधिपत्य पर फीस	2 प्रति वर्गमीटर अथवा उसके भाग पर प्रतिदिन	10 प्रति वर्गमीटर अथवा उसके भाग पर प्रतिदिन
<b>VII.</b>	ग्राम पंचायत के स्वामित्व अथवा उसमें निहित चरागाह पर मवेशियों के चरने की फीस	20 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष	25 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष
<b>VIII.</b>	बाजार में विक्रित मवेशियों के पंजीकरण पर फीस		
(i)	सुअर, बकरी, गधा एवं बछड़ा	3 से 5 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष	5 से 10 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष
(ii)	भैंसा, बैल, गाय, घोड़ा एवं घोड़ी	5 से 25 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष	10 से 20 प्रति मवेशी प्रतिवर्ष
(iii)	भैंस, हाथी एवं ऊँट	10 से 30 प्रतिदिन	15 से 30 प्रतिदिन

सारणी क्र. 2.31  
 तुन िपक; रकडस ल ढ क/कुकडक ल ढकु  
 1999&2000 , oa 2003&04½

Ø-	ikflr; kads en	1999-2000		2003-04		2003&04 ea 1999&2000 ij % ifjorU
		jk'k ½k[k :- ½	%	jk'k ½k[k :- ½	%	
1	2	3	4	5	6	7
I.	आंतरिक राजस्व	81.78	0.73	272.97	1.26	233.79
II.	<b>glrkrfjr jktLo</b>					
1	सौंपे गये राजस्व	337.70	3.03	717.79	3.31	112.55
2	राज्य सरकार के अनुदान	3551.81	31.84	6318.14	29.15	77.89
3	अभिकर्ता कार्य अनुदान	7185.35	64.40	14364.77	66.28	99.92
	<b>II. dk mi &amp; ; ks</b>	11074.86	99.27	21400.70	98.74	93.24
	<b>I. , oa II. dk ; ks</b> <b>146 t-i½</b>	11156.64	100.00	21673.67	100.00	94.27
	<b>ifr t-ia ikflr; k</b>	76.42		148.45		94.27

सारणी क्र. 2.32  
 ftyk िपक; रकडस ल ढ क/कुकडक ल क्कक  
 2001&02 , oa 2003&04½

Ø-	ikflr dk en	2001&02		2003&04		2003&04 ea 2001&02 ij ifjorU
		jk'k ½k[k :- ½	%	jk'k ½k[k :- ½	%	
1	2	3	4	5	6	7
I.	आंतरिक राजस्व	झ	—	झ	—	—
II.	राजस्व हस्तांतरण					
1.	राज्य करों में अंशभाग	925.00	2.59	800.00	2.03	-13.51
2.	राज्य सरकार के अनुदान	13135.43	36.80	8775.22	22.22	-33.19
3.	अभिकर्ता कार्य अनुदान	21312.86	59.71	29077.74	73.63	36.43
4.	पंचायत राज कोष	320.22	0.90	837.63	2.12	161.58
	<b>II dk mi &amp; ; ks</b>	<b>35693.51</b>	<b>100.00</b>	<b>39490.59</b>	<b>100.00</b>	<b>10.64</b>
	<b>dy ½I\$ II½</b>	<b>35693.51</b>	<b>100.00</b>	<b>39490.59</b>	<b>100.00</b>	<b>10.64</b>
	औसत प्राप्तियाँ (प्रति जिला पंचायत)	2232.13	-	2468.16	-	10.64

टीप :- झ - ज्ञात करें ।